राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १६५८ का ७३वां दिवस [संख्या ४१

बुधवार, २३ अप्रेल, १६५८

विधान सभा की बैठक सायं ४ बज कर १० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री प्रभुलाल पुरोहित

एस.डी.एम. दौसा की अदालत में दफा १०७ के अन्तर्गत तहसील लालसोट के विचाराधीन मामले

१५३१. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट): क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :-

(क) अप्रेल सन् १६५७ के बाद ६ माह में अदालत एस.डी.एम. दौसा में दफा १०७ के अन्तर्गत कितने लालसोट तहसील के मुलाजिमानों के खिलाफ केस पेश हुए ?

(ख) उन मुकदमों के क्या नतीजे हुए ?

(ग) क्या यह सही है कि अधिकतर मुकदमें ड्रॉप हुए और लोग बिला वजह परेशान हुए ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच होगी ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) १०० मुकदमात पेश हुए जिनमें ११७ फरीकसानी थे।

(ख) ७३ मुकदमात की प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हुई और इन मुकदमात के ७७५ फरीक-सानियान डिस्चार्ज हुए। इन मुकदमात में ज्यादतर मुकदमें लालसोट के थे जिसमें राज़ीनामें हुए। १३ मुकदमात जिसमें ११२ फरीकसानी है दूसरी अदालत में ट्रान्सफर हुए। १४ मुकदमात जिनमें १२६ फरीकसानी है जेर तजवीज अदालत है।

(ग) ये ७३ मुकदमात ड्रॉप हुए। मुकदमात लोगों की दरख्वास्त पर दायर हुए थे। जो लोग रिहा हुए और यह ख्याल करते है। कि उन्हें बिला वजह परेशान

(श्री रामकिशोर व्यास)

किया गया है, वे अदालत मजज़ में खुद चारा जोही कर सकते हैं।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : यह आपने किस आधार पर कहा कि राजीनामा हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक्वुअली हुए हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या १०७ में राजीनामा होता है।

श्री रामकिशोर व्यास : पार्टीज़ का विड्राअल होता है, अगर पार्टी नहीं चाहती है तो।

जल वितरण योजना, नगरपालिका, भीनमाल।

१५३२. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार भीनमाल नगरपालिका की जल वितरण योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस योजना की अब क्या प्रगति हो रही है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जी हां, योजना स्वीकृत हो चुकी है और योजना के लिये पाइप आदि सामान मंगवाया गया है। सामान एकत्रित होते ही शीघ्रातिशीघ्र कार्य आरम्भ किया जावेगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह योजना कब स्वीकृत हुई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सन् ५७ में स्वीकृत हुई है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : पानी कहां से लाया जायगा ? किस स्थान से ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पानी के लिए अर्ज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि डिटेल्स नहीं हैं मेरे पास स्कीम के। स्वीकृत हुआ है इसका मतलब है कि पानी जरूर मिल गया है।

नर्सरीज़ के लिए आगरे से काली पौध के पौधों को मंगवाया जाना

१५३३. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या वर्तमान सी.सी. एफ. ने राजस्थान की नर्सरियों में काली पौध होते हुए भी आगरा से पौधे मंगवाये ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उक्त पौधे रास्ते में ही खराब हो गये ?

(ग) यदि हां, तो इन पर कितना खर्चा हुआ ?

(घ) गत वर्ष लगाये गये पौधों में से कितने जिन्दा रहे ? गत वर्ष कितने पौधे लगाये गये थे ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास, वन मन्त्री की ओर से) : (क) जी हां। राजस्थान की नर्सरियों में प्लान्टेशन पर लगाने के लिए काफी पौधे नहीं थे।

Page No.3

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पौधों की गिनती नहीं की गई, लेकिन प्रतिशत बहुत पौधे जिन्दा रहे हैं।

प्रश्न संख्या १५३४

श्री **अध्यक्ष** : श्री मोहरसिंह

(अनुपस्थित)

औषधालय

१५३५. श्री **प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) चाकसू तहसील, ज़िला जयपुर के रूपाहेड़ी कला ग्राम की आबादी कितनी है ?

(ख) उक्त गांव से कोटखावदा ग्राम कितनी दूर है तथा वहां औषधालय किस श्रेणी का है ?

(ग) रूपाहेड़ी कलां स्थित औषधालय ज़िला बोर्ड द्वारा कब खोला गया था और उसे 'ए' श्रेणी का कब बनाया गया ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्री-प्रसाद गुप्ता) : (क) लगभग ७००।

(ख) लगभग २ मील। कोटखावदा में ज़िला बोर्ड की तरफ से कोई औषधालय नहीं है। अलबत्ता 'बी' श्रेणी का सरकारी औषधालय है।

(ग) उक्त गांव में दिनांक २३-१२-५६ को औषधालय खोला गया था और दिनांक २४-१-५८ को 'ए' श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया।

श्री बेनाराम गहलोत : औषधालय किस आधार पर खोले जाते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का औषधालय है जिसके बारे में प्रश्न किया गया था। गवर्नमेंट की तरफ से जो औषधालय खोले जाते हैं उनके लिए जो डवेलपमेंट कमेटी की रिपोर्ट होती है उसकी रिकमन्डेशन पर खोले जाते हैं।

श्री बेनाराम गहलोत : यह २ मील की दूरी पर खोलने का क्या कारण था जब कि १० मील में कई जगह औषधालय नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गवर्नमेंट ने नहीं खोला है वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने खोला है। यह उनके अधिकार की बात है।

पहाड़ी कामा रोड

१५३६. श्री **नाथीसिंह** (कामां): Will the Minister for Public Works be pleased to state :—

(a) Why tenders for repairs to the Pahari-Kaman road, in Bharatpur District, of five miles from Pahari and onward, have not yet been sanctioned ?

(b) Will they now be sanctioned very early so as to have the repairing work done along with other parts of the road ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास सार्वजनिक निर्माण मंत्री की ओर से) : (a) Due to high rates tendered.

(b) Tenders are being recalled.

पुलिस विभाग द्वारा रखी जाने वाली व्यक्तिगत फाइलें

१५३७. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १९५० से अब तक प्रतिवर्ष कितने व्यक्तियों की व्यक्तिगत फाइलें पुलिस विभाग द्वारा रखी जा रही हैं ?

(२) इनमें से कितनी राजनैतिक और कितनी अपराध संबंधी कार्यकलापियों के कारण फाइलें रखी जा रही हैं ?

(३) कितने लोगों की हिस्ट्रीशीट प्रति वर्ष रखी गई ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) सन् १९५० से १९५८ तक क्रमशः ३४९६, ३६०२, ३५८, ३५८६, ३९४८, ४७२६, ५२२८, ५२३४, ५४५२ तथा ५५६६ व्यक्तियों के विरुद्ध फाइलें रखी गई थी।

(२) इसका उत्तर जनहित में देना उचित नहीं है।

(३) सन् १९५० से १९५८ तक क्रमशः २९७५, २९८६, २९१५, ३१९१, ३८३२, ४१५०, ४११६, ४०९० तथा ४१५१ अपराधियों के विरुद्ध हिस्ट्री शीट रखी गई थीं।

श्री तनसिंह : दूसरे का उत्तर क्या आप पब्लिक इन्ट्रेस्ट में नहीं दे रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं समझ नहीं पाता कि यह क्यों हो रहा है। यह राजनैतिक कारणों से हो रहा है इसमें पब्लिक इन्ट्रेस्ट क्या हो सकता है हमें तो संख्या चाहिए। आदमियों के नाम नहीं चाहते हैं। राजनैतिक दृष्टिकोण से अपराधी माने जाते हैं, इसकी संख्या चाहिए।

श्री रामकिशोर व्यास : आर्डिनरी इन्फार्मेशन देते हैं पोलिटिकल पर्सन्स की।

श्री मुरलीधर व्यास : हिस्ट्री शीट खोलने के बाद जांच की जाती है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह एक्ट है।

जिला बोर्ड, सवाई माधोपुर

१५३८. **श्री पृथ्वीराज** (गंगापुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि सवाई माधोपुर ज़िला बोर्ड के भूतपूर्व चेयरमैन द्वारा अपने कार्यकाल में ६ माह तक बोर्ड की मीटिंग नहीं बुलाई गई तथा बिना बोर्ड की आज्ञा के हजारों रुपया बिना अधिकार लोगों को बांट दिये गये ?

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार जांच करायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ?

Page No.5

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) सवाई माधोपुर ज़िला बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष ने ६ माह तक बोर्ड की मीटिंग नहीं बुलाई। भूतपूर्व अध्यक्ष ने कुछ मदों में बोर्ड की आज्ञा प्राप्त किए बिना ही व्यय किया है।

(ख) मुख्य मदों के लिए भूतपूर्व अध्यक्ष से पूछा गया है।

(ग) एन्टीकरप्शन विभाग में जांच के लिए कार्यवाही की गई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ६ महीने तक मीटिंग नहीं बुलाई गई उसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा मालूम होता है कि वे चुनाव में लगे हुए थे उन दिनों इसलिए मीटिंग नहीं हुई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या ६ महीनों तक चुनाव में लगे हुए थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कारण तहकीक नहीं मालूम है।

श्री बेनाराम गहलोत : एन्टीकरप्शन विभाग को यह कब दिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नये चेयरमैन आये तब मालूम हुई यह शिकायत इसलिए ५८ में दिया गया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : एन्टी करप्शन के डर से क्या ६ महीने तक मीटिंग नहीं बुलाई गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एन्टी करप्शन में तो जब नये चेयरमैन हुए तब बाद में शिकायत हुई और एन्टी करप्शन को एन्क्वायरी के लिए कहा गया है।

श्री पृथ्वीराज : ६ महीने में इन्होंने कितना रुपया खर्च किया ?

श्री रामकरणसिंह : ६ महीने में कुल कितनी रकम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने खर्च की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं।

श्री पृथ्वीराज : आंकड़ों के बारे में ही तो सरकार से पूछा है कि इन ६ महीनों में कितना पेमेन्ट किया है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने ?

श्री अध्यक्ष : ६ महीनों में कोई मीटिंग नहीं बुलाई यह बहुत गलत बात है तो है ही।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उन्होंने गड़बड़ की इसीलिए एन्टीकरप्शन को दे दिया गया है। पहले चेयरमैन नहीं थे इसलिए कार्यवाही नहीं हो सकी।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार ने एन्टी-करप्शन विभाग को टाइम दे दिया है कि इस टाइम तक जांच करके रिपोर्ट आ जानी चाहिए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जल्दी से जल्दी करने के लिए कहा गया है।

श्री श्रीभानसिंह : ६ महीने में कितना एक्सपेन्डीचर बोर्ड ने इन्कर किया था ?

Page No.6

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कुछ गड़बड़ थी उस बारे में शिकायत थी तभी तो एन्टी-करप्शन को दिया गया है।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही बात है कि ६ महीनों में ज़िला बोर्ड की कार्यकारिणी की कोई मीटिंग नहीं हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि नहीं हुई इसीलिए शिकायत है और उसकी जांच के लिए एन्टीकरप्शन को दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : एन्टीकरप्शन विभाग क्या जानकारी करेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नियम के खिलाफ खर्च किया है इन ६ महीनों के अन्दर।

श्री श्रीमानसिंह : उसके पहले क्या ऑडिट से अकाउन्ट्स चैक कराये गये, ज़िला बोर्ड के ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग से सवाल करने की बात है। अगर आप करेंगे तो मैं बताऊंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : बिना अधिकार के लोगों को रुपया बांट दिया गया है तो वह किन किन को बांट दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : वह उनको मालूम नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह पब्लिक के काम के लिए दिया गया है, उसमें गड़बड़ है। इसीलिए जांच की जा रही है।

पशु चिकित्सालय

१५३६. **श्री शंकरलाल** (श्री तेजाराम की अनुपस्थित में) : Will the Minister for Agriculture be pleased to state :

1. What is the average monthly expenditure in the current year on one Ist class veterinary hospital, and one 2nd class veterinary hospital and one veterinary dispensary under the following heads :-

(a) Establishment,

(a) Medicine,

(c) T. A.,

(d) D. A.

(e) Contingencies.

2. How many 1st class veterinary hospitals, 2nd class veterinary hospitals and veterinary dispensaries are in Rajasthan at present ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) (कृषि मन्त्री की ओर से) :

1. Statement showing the head-wise expenditure is attached.

2. There are 9 class I veterinary hospitals, 48 class II veterinary hospitals and 162 veterinary dispensaries in Rajasthan at present. A list showing the dispensaries and hospitals district-wise, is attached.

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री श्रीभानसिंह : What are the reasons for higher expenditure on establishment and less expenditure on medicines ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Because we have to keep the doctors and compounders there and all this.

श्री शंकरलाल : दवाइयों का खर्चा क्यों कम किया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जितनी आवश्यकता होती है उतना ही खर्च करें, ज्यादा कहां से करें।

श्री पी० के० चौधरी : Hospitals are for maintenance of doctors or for administration of medicines ?

श्री दामोदरलाल व्यास : For both.

श्री पी० के० चौधरी : Why are you spending more on the maintenance of doctors and less on medicines ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I say we are spending sufficient amount on medicines, but we have to pay the doctors and other staff also.

प्रश्न संख्या १५४०

श्री अध्यक्ष : श्री सूबेदारसिंह।

(अनुपस्थित)

देवगढ़ भीलवाड़ा सड़क

१५४१. **श्री शिवचरणदास** (मांडल): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) देवगढ़ में भीलवाड़ा तक बनने वाली सड़क गत वर्ष कितने मील बनी ?

(ख) उक्त सड़क का ठेका कितने रुपये का और किस तारीख को दिया गया था ?

(ग) क्या उस ठेकेदार ने कार्य शुरू कर दिया है और कर रहा है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास यातायात मंत्री की ओर से) (क) कार्य नहीं हो सका।

(ख) ५,३०,०६८) रु० अगस्त सन् १९५७ में।

(ग) जी नहीं।

श्री शिवचरणदास : आपने क्या जवाब दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कार्य नहीं हो सका।

श्री मुरलीधर व्यास : क्यों नहीं हो सका साहब ?

श्री पी० के० चौधरी : ठेकेदार का नाम क्या है ?

श्री अध्यक्ष : One at a time please.

श्री दामोदरलाल व्यास : इसलिए नहीं हो सका जब कि टेन्डर मन्जूर हुए, तो टेन्डर देने की तारीख से ४ महीने के अन्दर

Page No.8

(श्री दामोदरलाल व्यास)

वह मन्जूर हो जाना चाहिए था वह नहीं हुआ इसलिए ठेकेदार ने टेन्डर के ऊपर काम करने से इन्कार कर दिया ।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें इतना टाइम क्यों लग गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पांच लाख का टेन्डर था इसलिए गवर्नमेंट की सेन्क्शन देने में ज्यादा टाइम लेप्स हो गया ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या उसकी कोई डिपोजिटेड मनी थी जिसे सरकार ने फोरफीट करली या सरकार ने कैंसिल करदी ?

श्री तनसिंह : मन्त्री महोदय इसका जवाब देना चाहते हैं तो देदें नहीं तो मैं दूसरा प्रश्न पूछ लूं ?

श्री अध्यक्ष : काम सैंक्शन ही नहीं हुआ इसलिये यह सवाल पैदा नहीं होता है ।

श्री तनसिंह : सैंक्शन के कागज़ात किस के पास पड़े रहें, इतनी देरी कहां हुई ।

श्री दामोदरलाल व्यास : टेन्डर्स १८-१२-५६ को काल किये गये थे और १६-८-५७ को टेन्डर्स रिसीव किये गये, उसके बाद सेंक्शन में देरी लग गई और नियम के अनुसार ४ महीनों के अन्दर कॉम्युनिकेट करना पड़ता है लेकिन उसको समय पर कॉम्युनिकेट नहीं किया जा सका ।

क्योंकि ४ महीनों में सैंक्शन कॉम्युनिकेट नहीं हुई इसलिये ठेकेदार ने अपना डिस्क्रीशन एक्सरसाइज़ किया और उसने काम करने से इन्कार कर दिया इसलिये दुबारा टेन्डर इन्वाइट किया गया ।

श्री तनसिंह : ४ महीनों से भी ज्यादा ७ महीने उसको कम्युनिकेट करने में लग गये, इतना समय किस के ऑर्डर से लग गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें ऑर्डर का सवाल नहीं है । स्क्रुटनी वगैरा होने में देर लग जाती है फिर सैंक्शन में देर लग जाती है ।

श्री तनसिंह : यह बिल्कुल सवाल टालने की बात है, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि समय कहां कहां और कितना कितना लगा ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं अदब के साथ कहूँगा कि माननीय सदस्य ने इस तरह से कहने का एक रवैया सा बना लिया है । जो इन्फार्मेशन मेरे पास है वही तो दे रहा हूं । जो बात कही जाती है उसे मान लेना चाहिये जो इन्फार्मेशन मेरे पास थी वह दे दी ।

श्री अध्यक्ष : चार महीनों की अवधि में जब आपने रखी है तो उस बीच में उसको कम्युनिकेट करना चाहिये लेकिन इस अवधि में काम्युनिकेट नहीं कर सके इसलिये मेम्बर्स जानना चाहते हैं कि समय कहां लगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : १६-८-५७ को टेन्डर रिसीव हुआ उसके बाद स्क्रूटनी की गई और उसके बाद गवर्नमेंट के पास पहुँची । ५ लाख की रकम थी जिसकी स्क्रू-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

टनी हर तरह से करनी पड़ी, उसमें समय लग गया ।

श्री तनसिंह : अभी मंत्री महोदय द्वारा यह कहा गया कि इस तरह का रवैया बना लिया है । मैं इस पर स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्शन लेता हूँ । ये अपनी सीमाओं से बाहर जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने बहुत अदब से कहा है ।

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी : On what date the Government received the papers ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That date is not available at the moment with me.

श्री शिवचरण दास : यह प्रश्न साफ था और मैं जवाब यह चाहता था कि ७ महीने लग गये तो किस तारीख को ठेका तय हुआ और कागज़ गवर्नमेंट के पास पहुँचने तक कहां कहां और कितनी कितनी देरी लगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका सवाल यह नहीं है आपने पूछा था कि उक्त सड़क का ठेका कितने रुपयों का और किस तारीख को दिया गया था । इसके उत्तर में मैंने अर्ज किया कि ५,३०,०६८ रुपये का, अगस्त सन् ५७ में । आपका दूसरा सवाल था "क्या उस ठेकेदार ने कार्य शुरू कर दिया है और कर रहा है" इसके उत्तर में मैंने कहा "जी नहीं" ।

श्री शिवचरणदास : आपने बताया कि ४ महीनों से अधिक समय लगा जिसके कारण उसने मन्जूर नहीं किया । मैं यह जानना चाहता हूँ कि चार महीनों से अधिक समय किस जगह लगा ?

श्री अध्यक्ष : सब जगह किस किस का बताएंगे । वे कह रहे है कि किसी की गलती नहीं थी ।

श्री तनसिंह : प्रिपेअर होकर नहीं आते हैं तो. .

श्री पी०के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, the question I asked was a valid supplementary.

श्री तनसिंह : मंत्री महोदय तैयार होकर नहीं आते, मैं अदब से अर्ज करूंगा कि जब मैं बोल रहा हूँ तो बार बार बीच में उठते हैं, मैं अदब से अर्ज करूंगा कि तैयार होकर आवें और ठीक तरह से उत्तर देवें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं तैयार हूं Delay in the disposal of tender occurred due to correspondence at various stages and that matter is being enquired into.

श्री पी० के० चौधरी : Then how long it was lying with the Government ?

श्री अध्यक्ष : He says that it is being enquired into.

श्री शिवचरणदास : मुझे अभी बहुत प्रश्न पूछने हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी जल्दी पूछिये, दूसरों को पूछने का मौका देते हैं ।

श्री शिवचरणदास : क्या यह सही है कि इस ठेकेदार ने दूसरा काम शुरू कर दिया था ।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं ।

श्री शिवचरणदास : क्या यह सही है कि इसका बिल बन गया था ?

श्री अध्यक्ष : काम ही जब शुरू नहीं हुआ तो बिल कैसे बनता ।

श्री दामोदरलाल व्यास : उसने ठेका ही मन्जूर नहीं किया तो काम शुरू कैसे करता ।

श्री शिवचरणदास : मैं निवेदन करता हूं कि ठेका मन्जूर हो गया है, उसने काम चालू कर दिया है और चालू करने के बाद बंद किया है ।

श्री अध्यक्ष : आप इसकी फिर से जांच करवा लीजिये ।

श्री शिवचरणदास : क्या यह सही है कि काम चालू करके बंद इसलिए किया कि इससे टैक्स लेना शुरू कर दिया था ।

श्री दामोदरलाल व्यास : ठेकेदार को जब सरकार की तरफ से चार महीने तक सूचना नहीं मिली तो उसने यह बहाना लिया कि लेबर मंहगी हो गई है, मेटिरियल की कीमत बढ़ गई है इसलिए मैं पुरानी रेट पर काम करने में असमर्थ हूं ।

श्री शिवचरण दास : यह क्या बात है कि गलत जवाब मिलता है मुझे पूरा मालूम है कि उसने काम शुरू कर दिया था ।

श्री अध्यक्ष : आपके अकेले के कहने से कैसे मानलें ?

श्री तनसिंह : हम सब इस बात को मानते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आपने जो बातें बताई हैं उनको ध्यान में रखते हुए जांच करायेंगे ।

श्री शिवचरणदास : क्या इस साल काम चालू हो जायेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : टेन्डर्स इन्वाइट किये जा रहे हैं ।

रोड नं० ५ सरदारपुरा, जोधपुर स्थित हरिजन बस्ती में बिजली की व्यवस्था

१५४२. **श्री सूरजमल** (फलौदी) : क्या विद्युत मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या रोड नंबर ५ सरदारपुरा, जोधपुर में जहां कि पिछड़ी जाति व हरिजनों की बस्ती है, बिजली की लाइन जाती है ?

(२) यदि हां, तो वहां कितनी बत्तियों की व्यवस्था है ?

(३) क्या इस बस्ती की आबादी को ध्यान में रखते हुए सरकार वहां अधिक बत्तियों की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(श्री रामकिशोर व्यास)

प्रश्न (१) में वर्णित बस्तियां सरदारपुरा के पश्चिम में रोड नं० ६ से ११ के बीच में स्थित हैं। यहां पर बिजली की लाइन इस समय नहीं है।

(२) प्रश्न (१) के अनुसार यह प्रश्न नहीं उठता।

(३) यह प्रश्न नगरपालिका जोधपुर से सम्बन्धित है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस क्षेत्र में हरिजन लोग रहते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : वे लोग सरदारपुरा के पश्चिम में रोड नं० ६ और ११ के बीच में रहते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या वहां पर बत्ती नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या वहां पर बत्ती लगाने के लिए दरख्वास्त दी गई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह म्युनिसिपेलिटी से ताल्लुक रखता है। रुपये हों तो लग सकती है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसके लिए जानकारी प्राप्त की गई या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसका पता वहीं लग सकता है।

श्री सूरजमल : मंत्रीजी कह रहे हैं कि रोड नं० ५ पर हरिजनों की बस्ती नहीं हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वहां पर बस्ती है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने यह कहा है कि रोड नं० ५ पर नहीं है, ६ और ११ के बीच में है।

श्री सूरजमल : मैं कहता हूँ रोड़ नं० ५ पर हरिजनों की बस्ती है वहां पर मेघवालों की बस्ती है।

श्री तनसिंह : एक ओर ५ नम्बर की बात है और दूसरी ओर ६ पर बत्ती है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : ६ पर नहीं है।

प्रश्न संख्या १५४३

श्री अध्यक्ष : श्री धन्नालाल।

(अनुपस्थित)

सिटी बस सर्विस, जयपुर के विरुद्ध की गई शिकायतें

१६४४. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : क्या गृहमंत्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या दिनांक २८ जनवरी, सन् ५८ को कोई रिपोर्ट थाना मानकचौक में सरदार हरबेलसिंह तथा श्री कपूरचन्द जैन द्वारा सांगानेर दरवाजे से आदर्शनगर की बीच लगने वाले सिटी बस सर्विस के खिलाफ की गई ? यदि हां, तो उस विषय में अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ?

(२) क्या उपरोक्त बस सर्विस के विरुद्ध और भी कई शिकायतें की गई थीं, यदि हां, तो कब और उसमें उस समय क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(३) क्या सरकार यह महसूस करती है कि किस प्रकार अधिक सवारी भरना स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद है और सवारियों के लिए भी कष्टदायक है ? यदि हां, तो सरकार ने उसे रोकने का क्या उपाय किया है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां, श्री मदनसिंह ड्राइवर और श्री टोपन कंडक्टर बस नं० आर. जे. एल. ३६३८ को मोटर विहिकिल एक्ट की धारा ८२।११६ के अंतर्गत तथा उक्त एक्ट की धारा ११२ को ध्यान में रखते हुए दिनांक ३.३.५८ को चालान किया था और प्रकरण एडीशनल सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में है।

(२) दिनांक २१. १. ५८ के बाद इस रास्ते में चलने वाली बसों के विरुद्ध कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(३) जी हां। सरकार इस बात का स्वयं ही अनुभव करती है कि बसों में अत्यधिक भीड़ मुसाफिरों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और असुविधाजनक है। अत्यधिक भीड़ को रोकने के लिये और मोटर विहिकल एक्ट और नियमों को भंग करने से रोकने के लिये सभी रूट पर बसों को कानूनी ढंग से पुलिस द्वारा चैक किया जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास : सरकार को कैसे पता चला कि बसों में भीड़ अधिक होती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कई चालान किये हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि बड़ी भीड़ रहने का कारण यह है कि पुलिस वाले और कार्यालय के लोग फ्री ट्रेवल करते हैं और पैसे नहीं देते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : बसों में ज्यादा सवारियां भर लेते हैं इसलिये भीड़ रहती है।

श्री मुरलीधर व्यास : चालान कितने पेश हुए ?

श्री अध्यक्ष : यह दूसरा प्रश्न है।

श्री रामकिशोर व्यास : फिर भी थोड़ी इनफोर्मेशन मेरे पास है वह बता देता हूं। इस रूट पर जनवरी, ५७ में ५, फरवरी, ५७ में ४, मार्च, ५७ में ११, अप्रेल, ५७ में १८, मई, ५७ में ८, जून, ५७ में २१.... बहुत सारे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

हाथमनी जोड़, जसवंतपुरा में वृक्षारोपण

१५५५. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या मंत्री, वन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जिला जालौर के स्थित हाथमनी जोड़ जो कि जसवन्तपुरा जंगलात की संरक्षता में है. वहां पर सन् ५६-५७ में प्लान्टेशन करवाया गया है १ यदि हां, तो कितनी एकड़ भूमि में तथा सरकार का उस पर क्या खर्चा लगा ?

(ख) इस तहसील में और किस किस जगह पर प्लान्टेशन करवाया गया है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि प्लान्टेशन करवाते वक्त सैकड़ों की तादाद में हरे वृक्ष

(श्री लक्ष्मीचन्द)

इस जोड़ से कटवाये गये हैं ? यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

(घ) क्या इस वर्ष ५७–५८ में भी इसी जोड़ में प्लान्टेशन के लिये नई और जमीन निकाली गई है ? यदि हां, तो वह कितनी भूमि है ?

(ङ) इस प्लान्टेशन में प्रतिवर्ष कितने वृक्ष लगाये और उसमें कामयाब कितने वृक्ष हुये हैं।

(च) प्लान्टेशन करवाने के पहले इस जोड़ से सरकार को चराई शुल्क की आमदनी सन् ५४–५५ व ५५–५६ में प्रतिवर्ष कितनी कितनी हुई है ?

(छ) क्या यह सत्य है कि इस जोड़ की पथरीली जमीन होने के कारण प्लान्टेशन की स्कीम वहां पर सफल नहीं हो सकती है ? क्या इस आशय के पब्लिक ने कई रिप्रेज़न्टेशन सरकार के पास किये हैं ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, वन मंत्री की ओर से): (क) जी हां। १०० एकड़ भूमि पर। सन् ५६–५७ में ६५७८ रु० और ५७–५८ में फरवरी तक ३०८२ रु०।

(ख) कहीं नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हां। १०० एकड़।

(ङ) सूचना प्राप्त की जा रही है।

(च) १९५४–५५ में २०८२ रु०
१९५५–५६ में २६०७ रु०

(छ) जी नहीं। भूमि पथरीली नहीं है। जनता की तरफ से कुछ रिप्रेजन्टेशन प्राप्त हुए थे जब उन्हें विषय वन अधिकारी ने समझाया कि वे प्लान्टेशन से घास व पाला मुफ्त ले जा सकेंगे तो वे सहमत हो गये इससे प्लान्टेशन जारी रखा गया।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या वहां के जिलाधीश ने इस प्रकार की रिकमन्डेशन सरकार के पास की है कि इस जमीन में प्लान्टेशन कामयाब नहीं हो सकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है। अलबत्ता यह बात जरूर है कि जो ठेकेदार उस जोड़ का ठेका लिया करता था, उसने इस प्रकार के रिप्रेजन्टेशन सरकार के पास में किये कि उसे पर्सनल नुकसान होता है। बाद में वन अधिकारी ने जांच करके गांव के लोगों को समझा दिया कि यह उचित बात नहीं है।

श्री लक्ष्मीचंद : क्या प्लान्टेशन करवाने से पहले सरकार ने यह जांच करवाई कि इस जगह प्लान्टेशन सक्सेसफुल हो सकता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री लक्ष्मीचंद : कौनसे अधिकारी द्वारा और कब करवाई गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वन अधिकारी ने इससे पहले जांच करली थी। उससे पहले डिप्टी मिनिस्टर गये थे, उनके साथ वन अधिकारी ने देख लिया था और जांच करके नर्सरी लगाना तय किया था।

Page No.14

डॉ० चन्द्रकला : आपने प्रश्न ङ के उत्तर में कहा है कि सूचना प्राप्त की जा रही है। जब तक पूरी जानकारी नहीं हो जाती है तब तक कितने वृक्ष लगाये, कितने कामयाब हुए, सफल होने की बात कैसे कह सकते हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी।

श्री लक्ष्मीचंद : प्रश्न पूछना जरूरी है ?

श्री अध्यक्ष : पूछिये।

श्री लक्ष्मीचंद : जो रिप्रेजन्टेशन आये हैं, उनके बारे में जांच करवाई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि जांच करवाई, उससे मालूम हुआ कि जमीन पथरीली नहीं है, बल्कि मुफीद है।

श्री लक्ष्मीचंद : कब जांच करवाई गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख मेरे पास नहीं है, मगर रिप्रेजेन्टेशन आने के बाद जांच करवाई गई।

श्री लक्ष्मीचंद : रिपोर्ट नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं कि जांच करवाई गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख मेरे पास नहीं है, वाकयात हैं मेरे पास, जो मैं अर्ज कर रहा हूं।

श्री लक्ष्मीचंद : जांच की क्या रिपोर्ट आई ?

श्री दामोदर लाल व्यास : मैंने कहा कि जमीन पथरीली नहीं है, मुफीद जगह है, इसमें प्लान्टेशन किया जा सकता है।

श्री लक्ष्मीचंद : क्या जनता ने रिप्रेजन्टेशन किये कि उसमें कामयाबी नहीं हो सकती ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर चुका हूँ कि ठेकेदार को ठेका मिलता था, उसने खुद के फायदे के लिए रिप्रेजन्टेशन करवाये थे लेकिन वास्तव में उसमें कुछ तथ्य नहीं था।

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने यह कहा कि पथरीली ज़मीन होने के कारण कामयाबी नहीं हुई।

श्री दामोदरलाल व्यास : No, I never said that.

श्री अध्यक्ष : यह कुछ लोगों की शिकायत थी जो जांच करने पर गलत साबित हुई, यह कहा है।

श्री मोगजी।

चिकित्सालय, बांसवाडा

१५४६. **श्री मोगजी भाई** (बांसवाड़ा): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा ज़िले के अस्पताल में सम्पूर्ण दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं और एक महिला डॉक्टर थीं उनका तबादला कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों और कब से ?

(ख) क्या यह सही है कि एक कॉलेज़ का चपरासी और एक म्युनिसिपैलिटी के

(श्री मोगजी भाई)

चपरासी दवाइयों के अभाव में मिशन अस्पताल में भर्ती किये गये।

(ग) क्या यह सत्य है कि पेनेसिलिन इन्जेक्शन व टेबलेट्स (गोलियां) नहीं होने के कारण सिर्फ पानी पिलाया जाता है या मरीज़ को बाजार से दवाई खरीद कर मंगाई जाती है ? यदि हां, तो सरकार दवाइयों का बजट उक्त अस्पताल के लिये बढ़ाने का सोच रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) बांसवाड़ा ज़िले के अस्पताल में सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हैं तथा रोगियों को वितरण की जा रही हैं । इस अस्पताल में एक डॉक्टर जिनका नाम मिसेज़ एस. जाकरिया था बहुत अर्से से कार्य कर रही थी तथा इनके पति उदयपुर में कार्य कर रहे हैं। इसी कारण इनका स्थानान्तरण बांसवाड़ा से उदयपुर करना पड़ा तथा वे वहां से दिनांक १८. १२. ५७ की शाम को रिलीव हो गई । उनके स्थान पर दूसरी लेडी डॉक्टर का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

(ख) कॉलेज़ का चपरासी मिशन अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ। अस्पताल में जाने पर उसका इलाज किया गया था तथा बराबर दवाइयां दी गई थीं। नगरपालिका का एक मेहतर अस्पताल में भर्ती था जो डॉक्टरों के कहने के उपरान्त (अगेन्स्ट मेडीकल एडवाइज़) अस्पताल छोड़कर मिशन अस्पताल में भर्ती हुआ। जब वह सरकारी अस्पताल में था तब उसे दवाइयां बराबर मिलती रही थी।

(ग) रोगी की हालत देख कर ठीक ठीक इलाज किया जाता है । अगर इसके लिये किसी प्रकार के इन्जेक्शन तथा गोलियों की आवश्यकता होती है तो वे रोगी को दी जाती है । किसी समय अगर इन्जेक्शन अथवा विशेष औषधि अस्पताल में मौजूद नहीं होते तो उस अवस्था में रोगी के फायदे के लिए उन्हें बाजार से खरीदने की सलाह दी जाती है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्री मुरलीधर व्यास : महिला डॉक्टर को तब्दील किस कारण से किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि उसका पति उदयपुर में था। हमने ऐसा नियम बना रखा है कि जहां हसबेन्ड हो, वहां वाइफ का ट्रान्सफर हो जाय, ऐसी कोशिश की जाय।

(श्री मुरलीधर व्यास द्वारा प्रश्न पूछने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी भाई ।

श्री मोगजी भाई : क्या यह सरकारी नियम है कि पति पत्नि को साथ रहना चाहिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जहां तक हो सके ।

श्री मोगजी भाई : क्या महिला डॉक्टर के खिलाफ कोई शिकायत थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने नहीं कहा कि शिकायत थी। उनके हसबेन्ड उदयपुर में थे, इसलिये ट्रान्सफर किया गया।

Page No.16

श्री भोगजी भाई : उनके खिलाफ शिकायत थी, इसलिए तब्दील किया गया ?

श्री अध्यक्ष : तो भी अच्छा हुआ।

डॉ० चन्द्रकला : डॉक्टर जाकरिया को उदयपुर भेजने के बदले उनके पति को बांसवाड़ा क्यों न भेज दिया गया ?

(हंसी)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या १५४७

श्री अध्यक्ष : श्री बालमुकन्द।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १५४८

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह।

नर्सरीज, वन विभाग

१५४९. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) राजस्थान में वन विभाग की नर्सरियां कहां कहां हैं ?

(ख) उक्त नर्सरियों ने कितने पौधे का ५६–५७ व ५७–५८ में उत्पादन किया ? पृथक पृथक नर्सरियों की सूचना देने की कृपा करें ?

(ग) उक्त नर्सरियों पर उक्त वर्षों में पृथक पृथक क्या क्या व्यय किया गया ?

(घ) धौलपुर नर्सरी का कार्य देखते हुये सरकार उसकी वृद्धि हेतु क्या क्या व्यवस्था करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास, वन मन्त्री की ओर से।) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(घ) धौलपुर नर्सरी की वृद्धि करने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि ज़मीन कम है और कुंए में काफी पानी नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह : क्या प्रश्न घ का उत्तर भ्रमात्मक नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कौनसा ?

डॉ० बहादुरसिंह : अन्तिम प्रश्न।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

डॉ० बहादुरसिंह : आपने कहा है कि धौलपुर नर्सरी की वृद्धि करने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि जमीन कम है और कुंए में पानी नहीं है। क्या यह भ्रम फैलाने वाला नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो वाकाया है, वह अर्ज कर दिया है।

Page No.17

डॉ० बहादुरसिंह : यह बिल्कुल गलत है, जो नर्सरी लगी हुई है, वह कम्पाउन्ड-वाल की १—४ हिस्से में लगी हुई है और ३—४ हिस्से में जंगल पड़ा हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो मेरी सूचना थी, वह अर्ज़ कर दी है, आप बता रहे हैं, इसकी जानकारी करेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं पानी के लिये भी बताऊं, वहां पर दो कूए हैं जो इस तरह की चार नर्सरीज़ को पानी देने के लिए तैयार हैं। वहां की स्थिति बहुत शानदार है।

श्री दामोदरलाल व्यास : I will find out Sir, on the information of the hon'ble Member.

श्री तनसिंह : माननीय सदस्य ज्यादा इन्फोर्मेशन दे रहे हैं, मिनिस्टर साहब उतनी इन्फोर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं। यह मैं बड़े अदब के साथ कह रहा हूं।

श्री पी० के० चौधरी : Regarding second part, we will like to know the total number of production in 1956-57 and 1957-58.

श्री दामोदरलाल व्यास : what ?

श्री पी० के० चौधरी : Total numbers.

श्री अध्यक्ष : उसका जोड़ लगा हुआ नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : I wanted total only, Sir,

श्री दामोदरलाल व्यास : I have not got the total, but in the list it is there, how many were planted.

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

चोरियां

१५५०. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील कोटपुतली और तहसील बैराठ में अगस्त, १९५७ से ३० जनवरी, १९५८ तक किस किस ग्राम में कुल कितनी चोरियां हुईं व कितनी बरामद हुईं ?

(२) कितने चोर पकड़े गये, कितनों का चालान हुआ ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) तहसील कोटपुतली में कुल चोरियां ६२ हुईं जिसमें से १३ बरामद हुईं।

तहसील बैराठ में कुल चोरियां १८ हुईं, जिसमें से ५ बरामद हुईं।

(२) २४ चोर पकड़े गये तथा इनमें से २३ का चालान हुआ।

श्री रामकरणसिंह : क्या सरकार पुलिस के इस कार्य को संतोषजनक समझती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : किस चीज़ को ?

श्री रामकरणसिंह : जितनी चोरियां हुईं उनमें से केवल कुछ चोरियां बरामद हुईं, क्या सरकार इसको संतोषजनक समझती है और जो बरामदगी हुई है, उसको संतोषजनक समझती है।

श्री पी० के० चौधरी : जितने चालान हुए, उनमें से कितने का कन्विक्शन हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह अलग से सवाल है।

श्री पी० के० चौधरी : This is not a separate question, Sir. It is part of the question those who are Challaned, how many of them were convicted ?

श्री अध्यक्ष : That is not part of this question.

श्री बहादुरसिंह : क्या चोरियों के कारण की जांच की जा रही है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रामकरणसिंह : चोरियों की जो बरामदगी हुई, क्या उसके बारे में बतायेंगे कि चोरियों के अन्दर जो सामान लोगों का गया है, वह उन्हें वापिस मिला है ? क्या चोरी के सामान के कुछ हिस्से के मिलने से सरकार चोरियों की बरामदगी समझती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो अलग अलग केस की बात है, किसी में कुल बरामदगी हुई है, किसी में आधी हुई है, किसी में कुछ कम हुई है।

श्री रावराजा सरदारसिंह : क्या चोरियों का कारण अनएम्प्लॉयमेंट है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इसका यह कारण है कि पुलिस और चोर मिल कर चोरियां करते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह आपका खयाली कारण है।

श्री रामकरणसिंह : जो चोरियां पकड़ी गई हैं, वे पंचायत और पब्लिक ने पकड़वाई हैं, चोरों को पकड़ने के बाद पुलिस को हैंड ओवर किया है, लेकिन पुलिस को हैंड ओवर करने पर भी कुछ चोरों को पुलिस ने बिना कोई कानूनी कार्यवाही किये छोड़ दिया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह कह नहीं सकता। आप सूचना दे रहे हैं, उसकी जानकारी करेंगे।

श्री रामकरणसिंह : मैंने पूछा है कि कितने चोर पकड़े गये, कितनों का चालान हुआ ? मैं पूछ रहा हूं कि कितनों को छोड़ दिया गया है, इसकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। कुछ ऐसे चोर पकड़े गये हैं जिन्हें पंचायत ने पकड़ा था।

श्री अध्यक्ष : आप साफ प्रश्न पूछिये, गोलमाल प्रश्न क्यों पूछते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने पूछा कि कितने चोर पकड़े गये और कितनों का चालान हुआ। मैंने आपको बताया कि २४ चोर पकड़े गये तथा इनमें से २३ का चालान हुआ।

श्री रामकरणसिंह : क्या ग्राम पंचायत और पब्लिक ने जिन चोरों को पकड़ा और पकड़ कर पुलिस को हैंड ओवर किया, उस पर किसी प्रकार का कोई स्टेप नहीं उठाया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री रामकिशोर व्यास : अगर केस बनता है तो एक्शन लिया जाता है, अगर केस नहीं बनता है तो नहीं लिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

नगर विकास मंडल, जयपुर

१५५१. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाज़ार जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

जयपुर नगर विकास मंडल का गठन कब हुआ ? इसके अभी तक कौन कौन सदस्य रहे और उनको कितना कितना भत्ता दिया गया ? इसकी एक सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जयपुर नगर विकास मंडल का गठन दिसम्बर सन् १६४६ में हुआ था । इसके अब तक कौन कौन सदस्य रहे और उनको कितना २ भत्ता दिया गया इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : ये विकास समिति के सदस्य किस आधार पर बनाये जाते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कलेक्टर की रिपोर्ट पर बनाये जाते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि हरिश्चन्द्र शर्मा इस बोर्ड के अभी सदस्य हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो लिस्ट में नाम दिया हुआ है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नाम देख कर बता दीजिये, इसमें तो नहीं है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : है जरूर, नाम लिस्ट से रह गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लिस्ट में तो नहीं हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : भत्ते की लिस्ट है उसमें ६ नं० पर है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भत्ता लिस्ट में है, मैम्बर्स में नहीं हैं, भत्ता तो क्योंकि मैम्बर रहे हैं लिया ही होगा ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह मैम्बर हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि श्री हरिशचन्द्र शास्त्री ने तारीख १४–३–५७ तक कार्य किया इसके उपरान्त सचिव नगर विकास मंडल को मण्डल का सदस्य बना दिया गया । आपने आगे सचिव, नगर विकास मण्डल के लिये लिखा है कि श्री परमानन्द शर्मा तारीख १८–१–५५ से २६–५–५६ तक श्री एन. जी. भट्टाचार्य, तारीख ३०–५–५६ से १०–६–५६ तक श्री रतन नारायण शिवपुरी, ता० १०–६–५६ से ११–४–५७ तक, सचिव नगर विकास मण्डल सदस्य रहे तो श्री हरिश्चन्द्र इसके सदस्य कैसे थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले तो सेक्रेटरी थे Now he is Secretary-cum-Member.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, सूची में नं० ६ पर लिखा है सचिव नगर विकास मण्डल जयपुर श्री परमानन्द

(श्रीसतीशचन्द्र अग्रवाल)

शर्मा १८–१–५५ से २६–५–५६ तक श्री एन. जी. भट्टाचार्य तारीख ३०–५–५६ से १०–६–५६ तक श्री रतन नारायण, शिवपुरी ता० १०–६–५६ से ११–४–५७ तक क्या बो. आई. बी. मण्डल के सदस्य नहीं थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके पहले मण्डल के सदस्य नहीं थे...

श्री मुरलीधर व्यास : आपने जवाब में कहा कि कलेक्टर की सिफारिश पर बनाया जाता है तो कलेक्टर किस आधार पर सिफारिश करता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो भला आदमी होता है, योग्य होता है, समझदार होता है उसको सदस्य बनाते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : भले आदमी किस तरह पहिचाने जाते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या कलेक्टर जयपुर ने सिफारिश की थी कि मुख्य अधिशासक अभियन्ता, चीफ इन्जीनियर, को सदस्य बनाया जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : समझा नहीं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या कलेक्टर महोदय ने मुख्य अधिशासक अभियन्ता पथ निर्माण विभाग, चीफ इन्जीनियर को सिटी डिवीज़न का सदस्य बना दिया जाय इस प्रकार की सिफारिश की थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट अफसर हैं, पब्लिक की तरफ से जो होते हैं उनके लिये कलेक्टर सिफारिश करता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो इस सम्बन्ध में सिफारिश नहीं की गई थी ?

श्री मुरलीधर व्यास : क्या बीकानेर में कलेक्टर की रिपोर्ट पर किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हालांकि यह इस प्रश्न के बाहर है फिर भी अर्ज़ कर दूं कि हां ऐसे ही कलेक्टर की रिपोर्ट पर किया है ।

श्री श्रीभानसिंह : इस बोर्ड में ऑफिशियल और नौन आफिशियल कितने हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो लिस्ट में दिया हुआ है ।

श्री श्रीभानसिंह : नोमिनेशन का प्रपोर्शन कितना क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लिस्ट में है वह ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या पहले अधिक संख्या थी उसको घटाया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं, घटाया नहीं गया है बाबा हरिश्चन्द्रजी थे उनके स्थान पर जो सेक्रेटरी थे उनको मेम्बर बना दिया, वह पहले मेम्बर थे, और कोई फर्क नहीं हुआ है ।

प्रश्न संख्या १५५२

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा ।

(अनुपस्थित)

श्री होतीलाल ।

Page No.21

भरतपुर के डिप्टी एस. पी. के विरुद्ध आरोप

१५५३. श्री होतीलाल (भरतपुर) : Will the Home Minister be pleased to state :

(i) Whether Shri N. K. Dube is posted as Deputy Superintendent of Police at Bharatpur for the last several years ?

(ii) Whether there were allegations against thim that he kept a constable of Bharatpur Police Lines at his house for his private work at Jaipur and the salary of the constable was paid from the Bharatpur District Police budget for a year or so ? If yes, how amount was paid to that constable during that period ?

(iii) Whether an enquiry was also held against Shri Dube for the above mentioned allegations ?

(iv) Was Shri Dube found guilty of keeping the constable at his house in that enquiry ?

(v) What punishment did the Government award to Shri Dube ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी नहीं यह २०-१०-५५ से २४-२-५८ तक भरतपुर तयनात रहे ।

(२) श्री एन. के. दुबे के घर जयपुर में कॉन्स्टेबिल कब तक रहा उसका सही पता नहीं लगाया जा सका किन्तु यह कान्टेबल दिसम्बर, १९५५ या जनवरी १९५६ से मई १९५७ के बीच कभी कभी यहां रहा। इस अवधि में उसे पूरा वेतन दिया गया और इस प्रकार ठीक राशि जो उसको जयपुर रहने के अर्से के लिये दी गई उसका ठीक पता नहीं लग सका।

(३) जी हां। उपरोक्त दोषों के लिये उनके विरुद्ध जांच की गई थी।

(४) जी हां।

(५) ३ महीने की कॉन्स्टेबिल की वेतन राशि राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स १९५० के नियम १५ के अनुसार श्री एन. के. दुबे से प्राप्त की गई।

श्री होतीलाल : जो कॉन्स्टेबिल को तनख्वाह का एवरेज लगा कर दिया है, तो इन्क्रीमेंट वगैरह रोकने का नहीं किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो तनख्वाह मिलती थी, उसकी तीन महीने की तनख्वाह ली।

श्री होतीलाल : एक डी. एस. पी. कितने आर्डली (अर्दली) रख सकता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वैसे यह अलग सवाल है पर ऑर्डिनेरीली दो रहते हैं।

श्री होतीलाल : दो अर्दली तो भरतपुर में घर में रखे हुए थे, यहां तीन और ले लिये।

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं।

श्री होतीलाल : भरतपुर में कितने अर्दली रखे ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह ।

जल कष्ट निवारण व्यवस्था, राजगढ़ (चूरू)

१५५४. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : (क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि चूरू ज़िले के राजगढ़ शहर के लोगों को पानी की बहुत तकलीफ है ?

(ख) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस सम्बन्ध में एक वहीं के नागरिक ने तीन लाख रुपयों की मदद देना स्वीकार किया हुआ है ?

(ग) यदि हां, तो शहर में पानी की व्यवस्था के बारे में सरकार क्या सोच रही है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां ।

(ख) नगर में पानी की व्यवस्था करने की ओर सरकार का ध्यान है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में धन राशि की कमी से सम्मिलित नहीं हो सकी ।

श्री मोहरसिंह : ६–७ वर्ष पहले क्या ऐसी कोई स्कीम बनी थी, लिखा पढ़ी हुई थी जिसके परिणाम स्वरूप सर्वे प्लान बना ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोई स्कीम नहीं है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने फरमाया कि पानी की कमी है पर लिखित सूचना नहीं, तो क्या ७ वर्ष से पानी की कमी है और सरकार उस ओर ध्यान नहीं देती जब तक कि लिखित में नहीं आ जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने ३ का उत्तर दिया है जिसमें यह पूछा गया है कि क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस सम्बन्ध में एक वहीं के नागरिक ने ३ लाख रुपयों की मदद देना स्वीकार किया हुआ है ? इसके जवाब में मैंने कहा है ।

श्री मोहरसिंह : आवश्यकता महसूस कर ली है लिखित पहले चाहते हैं या सर्वे करायेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर पहले लिखित में आ जाय तो सर्वे फौरन कराई जायगी ।

श्री मोहरसिंह : क्या लिखित में नहीं आया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने पूर्ण जांच कर ली है, केवल मुंह से कहा गया है लिखित नहीं है । लिखित आते ही सर्वे करायेंगे ?

श्री मोहरसिंह : लिखित आने पर ही सर्वे करायेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस कार्य को किया जायगा पर ३ लाख रुपया दिला देते हैं तो फौरन ही सर्वे शुरू करा दिया जायगा ।

राजाराव श्री सरदारसिंह : रुपया नहीं दें उससे पहले सर्वे नहीं शुरू करायेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लिख कर ही नहीं दिया, मैंने कई दफा कहा है लिख कर दे दो....

रावराजा श्री सरदारसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि कोई रुपया नहीं दे और जनता पानी बिना तरस रही है तो सरकार इन्तजाम नहीं करायेगी क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार साधनों के अनुसार ही कर सकती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसीलिये तो जनता का राज्य चाहते हैं। पानी तो पिलाओ भाई साहब ?

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुलचन्द।

अलवर-दिल्ली रूट के लिये दिये गये आवेदन-पत्र

१५५५. **श्री गोकुलचन्द जाटव** (लछमणगढ़) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अलवर, दिल्ली रूट पर पर्मिट देने के लिये किस तारीख को विज्ञप्ति जारी हुई और कितनी दरख्वास्तें प्राप्त हुई ?

(ख) इस रूट पर पर्मिट देने के लिये पहली मीटिंग कहां और किस तारीख को हुई ?

(ग) कितने पर्मिट इस रूट पर दिये जाने हैं ?

(घ) अभी तक भी इस रूट पर पर्मिट क्यों नहीं दिये गये हैं ?

(ङ) क्या यह ठीक है कि जयपुर दिल्ली रूट एक नया रूट निकला है ? यदि हां तो इस पर कितने पर्मिट जारी किये जावेंगे और कब तक दिये जावेंगे

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदर लाल व्यास, यातायात मंत्री की ओर से) : (क) ता० १२।४।५२ व ३।४।५२ को ६१ और ३५ क्रमशः प्राप्त हुई।

(ख) १२।६।५३ को जयपुर में।

(ग) एक भी नहीं।

(घ) दिये जा चुके हैं।

(ङ) हां, चार पर्मिट दिये जावेंगे।

श्री गोकुलचन्द जाटव : मैंने सुना कि दे दिये गये है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां टेम्प्रेरी पर्मिट दिये हैं।

श्री श्रीभानसिंह : टेम्प्रेरी पर्मिट किस किस को दिये हैं और क्या बेसिस हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आर. टी. ए. ने दिये हैं और वह कौनसी जुडिशियल बाडी है।

श्री श्रीभानसिंह : मेरा सवाल यह है कि किस किस को दिये हैं और टेम्प्रेरी पर्मिट देने का बेसिस क्या है।

श्री दामोदरलाल व्यास : बेसिस तो मोटर विहिकल एक्ट में दर्ज है।

डॉ० बहादुरसिंह : बकाया दरख्वास्तों का क्या हुआ ? आप यह बतावें कि किस किस को दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह इन्फोर्मेशन मेरे पास नहीं है। It is not available with me.

श्री श्रीभानसिंह : Then the question be answered when the information is there witn the Hon'ble Minister.

श्री अध्यक्ष : No, he says that it is a quasi-judicial authority which has issued permits and he is not responsible for those permits.

श्री पी० के० चौधरी - Who nominates the members of the R. T. A ?

श्री दामोदरलाल व्यास The Government.

श्री बी.एन. जोशी : The House wants to know the names of the persons on this quasi-judicial authority.

श्री अध्यक्ष : He says he does not know.

श्री श्रीभानसिंह : Then it should be collected.

श्री अध्यक्ष : No, he is not supposed to give the names even at a latter date. What public interest will it serve if names are given ?

श्री श्रीभानसिंह : The question is that there are yumours that a permit has been issued to a child of 10 years of age and therefore the House is very anxious to know whether these rumours are correct or not..

श्री अध्यक्ष : Even for that the Government will not be responsible.

श्री श्रीभानसिंह : But tbe irregularity will be brought to the notice of the Government.

श्री अध्यक्ष : That is alright but the House should realise the limitations of the Government so far as the quasi-Judicial authorities are concerned. No doubt they are nominated by the Government, but the Government is not responsible for all the detailed acts of these authorities.

श्री बी. एन. जोशी : They are ultimately responsible, when the Chairman of the board is the Minister.

श्री दामोदरलाल व्यास : The Minister is not the Chairman of the R. T. A., it is the Commissioner.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले १२.४.५२ को व बाद में ६.१२.५२ को क्यों किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That is for Delhi-Alwar route. Not for Jaipur-Delhi route.

श्री बी. एन. जोशी : जब गवर्नमेंट आर. टी. ओ. को. . .

श्री दामोदरलाल व्यास : आर. टी. ओ. के ऑर्डर की अपील कर सकते हैं एस. डी. ओ .के पास ।

श्री मुरलीधर व्यास : टेम्प्रेरी पर्मिट किन किन को दिये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास कोई इन्फोर्मेशन नहीं है । I have already said that.

श्री श्रीभानसिंह : Then should the House take it that the quasi-judicial authorities are autonomous bodies ?

श्री अध्यक्ष : That is a question of opinion. They are what they are.

श्री श्रीभानसिंह : No. Sir, it is a matter of statute and not of opinion. Whether they are autonomous.

श्री अध्यक्ष : You cannot raise the question of statutes or their interpretation here.

श्री पी०के० चौधरी : Is it a fact that the Government have asked the R. T. A. not to issue any permanent permits on Jaipur-Delhi route as they are going to nationalise it ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That is not to my knowledge.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टेम्प्रेरी पर्मिट के लिये कितनी दर्ख्वास्तें हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कितने समय के लिये दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already said, Sir, that this information is not with me, except that some temporary permits have been issued recently.

श्री श्रीभानसिंह : On a point of information, Mr. Speaker. Supposing there is an irregularity committed by a quasi-judicial authority, who is responsible for it ? And whether this House is authorised to take cognizance of it and whether the Hon'ble Minister can take shelter behind the plea that it is a quasi-judicial authority and he cannot do anything ?

श्री अध्यक्ष : There is no question of taking shelter. The Government nominates a body, but it cannot supervise and control all the detailed activities of that authority.

श्री पी. के. चौधरी : Our question is not about the responsibility. We want the information that even in case of autonomous bodies their reports are placed before the House...

श्री अध्यक्ष : Not necessarily. Besides, their decisions are appealable.

श्री पी. के. चौधरी : We want to know the names of the permit holders.

श्री अध्यक्ष : He says that he does not know about it. Why repeat it ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार के पास इस प्रकार की शिकायत आई कि जो यह चार टेम्प्रेरी पर्मिट दिये गये उन पर एक लाख रुपया दिया गया है ?

श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया : क्या इसमें किसी नाबालिग बच्चे को भी पर्मिट दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : जब यह कह दिया गया है कि मुझे मालूम नहीं है, फिर भी इस प्रकार के प्रश्न पूछना।

एक माननीय सदस्य : इतने टेम्प्रेरी परमिट....

श्री अध्यक्ष : आर. टी. ओ. ने दिये हैं। सरकार कहती है कि आप उसके ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकते हैं। सरकार हर एक बात के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।

एक माननीय सदस्य : क्या सरकार के ध्यान में है कि कितने ऐसे मोटर विहिकल्स हैं जिनको परमिट नहीं मिलते हैं, क्या उसको सरकार ध्यान में आगे रखेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि किसी पार्टी की शिकायत हो तो... he can complain,

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, किसी की शिकायत नहीं है। शिकायत नहीं कर रहे हैं। प्रश्न में हम इन्फोर्मेशन चाहते हैं। हम कोई कम्प्लेन्ट नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : He says, he does not know it. Shri Hari Shankar....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जब यह कहते हैं कि चार टेम्प्रेरी परमिट दिये गये तो उसका मतलब यह है कि उनके पास जानकारी है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, देखिये, अलवर में १९५२ में विज्ञप्ति जारी की थी। सरकार के हजारों रुपये खर्च होते हैं। कितने चक्कर लगाये उस समय यह कहा गया कि पहले इसका ध्यान रखा जावेगा। जब जयपुर अलवर गाड़ी चलती थी। मगर जयपुर दिल्ली रूट को अलग दे दिया गया।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका कोई निर्णय होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : निर्णय तो हो गया। साधारण सा प्रश्न है।

श्री श्रीभानसिंह : Four permits to whom were they issued ?

श्री अध्यक्ष : Please do not mis-interpret. He says he...

श्री श्रीभानसिंह : I request, Sir, I am not mis-interpreting. I want a valid supplementary as to whom these permits were issued.

श्री अध्यक्ष : He says he does not know.

श्री बी. एन. जोशी : If the information cannot be given today, it can be given on any other day.

श्री अध्यक्ष : It is not of public importance.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : ये टेम्प्रेरी परमिट का सवाल नहीं है। जब ये कह रहे हैं कि चार परमिट दिये गये तो इनके पास जानकारी होनी चाहिये और उसको जानबूझ कर छिपा रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं उसको छिपा रहा हूं। This is not proper for him to say so. When I say the infor-

Page No.27

(श्री दामोदरलाल व्यास)

mation is not with me he should presume that I me deliberately....

श्री श्रीभानसिंह : I would submit through the Chair this that issue has assume the shape of a scandal and therefore....

श्री अध्यक्ष : We have done our duty.

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर आप नाम जानना चाहते हैं तो मैं आपको नाम बता दूँगा, I will find out.

श्री अध्यक्ष : It is not something secret. You can find out even otherwise.

श्री पी० के० चौधरी : You can give it tomorrow or day after-tomorrow.

श्री दामोदरलाल व्यास : If you like.

श्री अध्यक्ष : Not in the House, Hon'ble Member. Next question please.

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा प्रश्न ।

श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया : अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा प्रश्न है कि जिस पर आधा घंटे वाद-विवाद होना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष : आप इसके लिये दर्ख्वास्त दीजिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : On a point of order, Sir, अभी जैसा कहा गया है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि परमिट...

श्री अध्यक्ष : यह कोई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है ।

नेक्स्ट ।

जयपुर इर्रिगेशन ईस्ट और वैस्ट के नीचे के कामों के वर्क ऑर्डर

१५५६, श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

(क) जयपुर इर्रिगेशन ईस्ट और वैस्ट में गत सन् १९५६–५७, १९५७–५८ में रु० ५,००० के नीचे के कामों के वर्क ऑर्डर्स कितने लोगों को दिये गये ?

(ख) इनमें से ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें एक से ज्यादा वर्क ऑर्डर्स दिये गये ?

(ग) एक ही व्यक्ति को ज्यादा वर्क ऑर्डर्स बिना टेन्डर्स काल किये क्यों दिये गये ?

(घ) अप्रेल सन् १९५६ से जनवरी, १९५८ तक कुल कितने वर्क ऑर्डर्स जो ५,०००) के नीचे थे उक्त विभागों द्वारा दिये गये ?

(ङ) इनमें से क्या दलित जाति के लोगों को भी कोई वर्क ऑर्डर्स दिये गये ? यदि हां तो किन किन को ?

(च) क्या सत्य यह है कि उक्त विभागों में प्रायः दलित जाति के लोगों को यदि उनके रेट्स से नीचे भी हो, तो काम नहीं दिया

(श्री हरिशंकर सिन्द्धात शास्त्री)

जाता बल्कि दूसरे लोगों को काम दे दिया जाता है ?

सिंचाई मन्त्री (रामकिशोर व्यास) :

	जयपुर ईस्ट	जयपुर वैस्ट
(क) १९५६ – ५७	४२	३५
१९५७ – ५८	२७	३५

(ख) प्राय: सभी ठेकेदारों को एक से अधिक काम उनकी योग्यता के अनुसार दिये गये हैं।

(ग) पांच हज़ार तक के आवश्यक काम सिड्यूल्ड रेट पर बिना टेन्डर काल किये हुये वर्क ऑर्डस पर देने के अधिकार सिड्यूल ऑफ पॉवर्स में इन्जीनियरों को दिये हुये हैं। ऐसे कामों की संख्या अधिक है और योग्य ठेकेदारों की संख्या कम है। हर एक को एक से अधिक काम दिये गये हैं।

(घ) अप्रैल ५६ से जनवरी ५८ तक पांच हज़ार के नीचे के कामों के जयपुर ईस्ट में कुल ३३४ व जयपुर वैस्ट में कुल ३३७ वर्क ऑर्डर्स दिये गये।

(ङ) किसी जाति के कितने ठेकेदारों को कार्य दिया ऐसा रिकार्ड विभाग में नहीं रखा जाता।

(च) काम रजिस्टर्ड ठेकेदारों को उनकी हैसियत व इन्तजाम करने की शक्ति के अनुसार उचित रेटों पर काम करने वालों को दिये जाते हैं। जातियता का कोई भेदभाव नहीं रखा जाता।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : ये वर्क ऑर्डर्स किस आधार पर दिये जाते हैं क्या क्राइटेरिया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने बताया इन्तजाम की केपेसिटी। उनकी फाइनेन्सियल स्ट्रेंस। इनको देखते हुए दिया जाता है।

प्रश्न संख्या १५५७

श्री **अध्यक्ष** : श्री रामधन।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला।

चांदपोल बाजार रोड जयपुर

१५५८. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

(१) चांदपोल बाज़ार, जयपुर की सड़क की मरम्मत एवं कार्पेटिंग होकर कब ठीक हुई ? इसका ठेका कब किसको दिया गया था ?

(२) चांदपोल बाज़ार में जो पानी की लाईन डाली जा रही है उसका ठेका कब किसको दिया गया था ?

(३) लाइन डालने के लिये जो सड़क तोडी गई उसका प्रति फुट क्या खर्चा पड़ा ? सड़क तोड़ने का पूरा खर्च क्या पड़ा ?

(४) सड़क के बनाने के पहले पाइप लाइन न डाले जाने का क्या कारण हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास,

Page No.29

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री की ओर से) : (१) २६–१२-५७ को ठीक हुई, ठेका श्री नन्दलाल ठेकेदार को दिनांक २–११–५७ को दिया गया था।

(२) श्री दिनेन्द्रप्रसाद मनमोहन प्रसाद को दि. १८–३–५७ को।

(३) एक आना प्रति फुट.... । कुल २१६ रुपया।

(४) आवश्यक सामग्री न होने के कारण।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकर के ध्यान में यह है कि सड़क की कार्पेटिंग का काम और पाइप लाइन का काम ये दोनों एक ही ठेकेदार से सम्बन्धित हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज़ किया जिस वक्त कार्पेटिंग हो रही थी उस वक्त पाइप लाइन का काम नहीं हो सका क्योंकि पाइप लाइन डालने में बैन्डस टीज़ वगैरह की आवश्यकता होती है वह उपलब्ध नहीं थी इसलिये पाइप लाइन डाली नहीं जा सकी ?

डॉ० चन्द्रकला : ये चीजें सड़क बनने के कितने बाद प्राप्त हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख तो मेरे पास नहीं है लेकिन जो खर्चा इसमें हुआ वह कुल २१६ रुपया ज्यादा खर्च हुआ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है कि जिस समय सड़क का कार्पेटिंग हो रहा था उसके कुछ थोड़े दिन बाद ही ये चीजें प्राप्त होगई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिस वक्त कार्पेटिंग हो रही थी उस समय उपरोक्त चीजें अवेलेबल नहीं थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब ये चीजें अवेलेबल नहीं थी तो कारपेंटिंग का काम क्यों नहीं रोक दिया गया ?

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, थोड़े ही दिन देर हुई, दो चार दिन की ही बात थी तो क्या इतने दिन तक कार्पेटिंग का काम क्यों नहीं रोक दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने अर्ज किया पाइप लाइन कितने समय बाद डाली गई इसकी तारीख मेरे पास नहीं है किन्तु जो खर्चा हुआ वह मैंने बता दिया है। लेकिन जब माननीय सदस्या यह कह रही हैं कि दो चार रोज बाद ही पाइप लाइन डाल दी गई, मेरी तो यह जानकारी नहीं है वास्तव में यदि दो चार दिन की ही गलती हुई है तो जांच की जायगी।

डॉ० चन्द्रकला : क्या माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में है कि आज भी चांदपोल दरवाजे के बाहर सड़क की कार्पेटिंग हो रही है और बीच दरवाजे के पाइप लाइन डालने के लिये सड़क को तोड़ा जा रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : चांदपोल बाहर की तो जानकारी नहीं है मेरी जानकारी बाजार की सड़क की थी वह जानकारी दे दी।

डॉ० चन्द्रकला जो सड़क की टूट फूट हुई है उसके कारण अस्वास्थ्यकर जो वातावरण होगया है उस कूड़े कर्कट को हटाने की ज़िम्मेवारी किसकी है ?

Page No.30

श्री दामोदरलाल व्यास : सफाई का जहांतक ताल्लुक है यह म्युनिसिपैलिटी का काम है।

डॉ० चन्द्रकला : सड़कों की टूट फूट के कारण जो मलवा इकट्ठा होगया है क्या उसको उठाने की जिम्मेदारी म्युनिसिपैलिटी पर है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह ज़िम्मेदारी तो ठेकेदार की है अगर नहीं हटाता है तो हटवाने के लिये कार्यवाही की जायगी।

डॉ० चन्द्रकला : कार्यवाही कब होगी पाइप लाइन फिट हुए काफी अर्सा हो गया है फ़िर भी मलवे को साफ नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष : एक अल्पकाल सूचना प्रश्न है, रावराजा श्री सरदारसिंह।

(प्रश्न काल में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

५. ६ म० प०

अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर

ग्राम पंचायत आवां (तहसील दूनी) का चुनाव

१. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत आवां, तहसील दूनी (देवली) डिस्ट्रिक्ट टोंक का चुनाव ता० ५।४।५८ को था ?

(२) अगर हां, तो क्या चुनाव हो चुका और क्या परिणाम रहे ?

(३) अगर नहीं तो, किन कारणों से ? क्या यह सही है जनता में भारी असन्तोष छाया हुआ है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: (१) जी हां।

(२) जी हां। चुनाव निर्विरोध हुआ है केवल सरपंच, उपसरपंच, व वार्ड नंबर ६ सरपंच व उपसरपंच का चुनाव करवाने में असमर्थ रहे। अब २।५।५८ चुनाव की तारीख मुकर्रर कर दी गई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : शान्ति भंग होने के क्या कारण थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वार्ड नं० ६ में दो पार्टीज़ थी उनमें आपस में वोटर्स के कारण झगड़ा था इस कारण से शान्ति भंग होने का अन्देशा था।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या पुलिस अधिकारी ने चुनाव अधिकारी को यह लिख कर दिया था शान्ति भंग होने का खतरा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पुलिस अधिकारी जो मौजूद थे उनको खतरा होने का अन्देशा था लिखित में न देने पर भी वे कह सकते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उस तारीख को आर० जे० एक्स० ४६ वहां पर मौजूद थी और वह टोंक से गई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह गाड़ी किसकी है इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

Page No.31

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमेन और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और एक एडवोकेट उसमें गये थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह जो प्रश्न किया गया है यह इस प्रश्न की सीमा से बाहर है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं आपसे निवेदन करूं चुनाव अधिकारी ने जो रिपोर्ट लिखी है उसमें लिखा है कि फलां फलां आदमी ने शान्ति भंग करने की कोशिश की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है उसमें लिखा है और कुछ आदमियों के नाम भी जरूर लिखे हैं सोभाग मल जैन, मदनलाल कोठारी, विरदीचन्द नावां और भी कई व्यक्ति थे जिन्होंने मतदाताओं को झूठी सच्ची बातें कहकर भड़काया ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मदनलाल कोठारी और धर्मचन्द जैन ये पहले भी कनवीक्ट हो चुके हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: इस बारे में पुलिस डिपार्टमेन्ट बता सकता है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जिन लोगों ने चुनाव में गड़बड़ी करने का प्रयास किया सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कार्यवाही करने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जब आपके पास रिपोर्ट आयी कि फलां फलां लोगों ने गड़बड़ी करने का प्रयास किया तो सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उन लोगों के लिये केवल इतना ही लिखा हुआ है कि इन लोगों ने मतदाताओं को भड़काया और ऐसी बातें दिन रात राजनैतिक दल किया करते हैं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मदनलाल डि. सी. सी. के सेक्रेटरी ने चुनाव अधिकारी को यह धमकी दी कि चुनाव स्थगित कर दो नहीं तो तुम्हारा कन्फर्मेशन नहीं होने दूँगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी बात तो कोई आयी नहीं है जो रिपोर्ट में बातें दर्ज थीं वह मैंने सदन में बता दीं । अगर किसी का उद्देश्य चुनाव रुकवाने का ही होता तो दूसरी जगह के चुनाव क्यों कर हो जाते ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मदनलाल कोठारी और धर्मचन्द जब यहां के निवासी नहीं थे तो वहां क्यों कर उपस्थित थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रिपोर्ट में यह तो दर्ज नहीं है कि वे कहां के रहने वाले थे क्या काम करते हैं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार यह समझती है पंचायतों में जो आये दिन इस प्रकार के झगड़े होते हैं उसका मुख्य कारण यह है कि पंचायतों के जो चुनाव होते हैं वे केवल हाथ खड़े करवाकर किये जाते हैं इस कारण होते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस सवाल का जवाब मैं पहले कई दफा दे चुका हूँ ।

Page No.32

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपने कहा शान्तिभंग होने का अन्देशा था और जिन लोगों द्वारा अन्देशा था उनके नाम रिपोर्ट में दर्ज हैं तो क्या सरकार ने, जिन लोगों के नाम रिपोर्ट में दिये हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उन लोगों ने तो भड़काया शान्ति भंग नहीं की।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उन लोगों ने भड़काया क्या इस संबंध में स्पेसिफिक जांच की है, अगर नहीं तो क्यों नहीं करवाई जाती ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : किसी ने शान्ति भंग नहीं की और न मारपीट ही हुई केवल शान्ति भंग होने का अन्देशा था इसलिये चुनाव स्थगित कर दिये।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या सरकार इस संबन्ध में जांच करवायेगी कि शान्तिभंग होने के अन्देशे पर ही चुनाव स्थगित करवा दिये या ऐसे ही करवा दिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : शान्ति भंग होने के अन्देशे पर भी चुनाव स्थगित करवा सकते हैं : on the aprehension of breach of peace, the election was postponed.

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that causing obstruction in the peaceful conduct of an election is a cognizable offence ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो कानून की बात है

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि पुलिस का सब इन्सपेक्टर जो वहां था उसने चुनाव अधिकारी को यह कहा कि कि शान्ति भंग नहीं होगी, आप चुनाव करवायें आप डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी की धमकी में क्यों आते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो कुछ रिपोर्ट मेरे पास थी वह मैंने आपको बता दी। अब चुनाव की तारीख भी मुकर्रर होगई है।

श्री अध्यक्ष : अब नये चुनाव होंगे उस समय देखेंगे।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अध्यक्ष महोदय और भी सवालात रह गये हैं, जो काफी महत्वपूर्ण हैं उनका क्या होगा।

श्री अध्यक्ष : जो सवाल नहीं पूछे गये उनके उत्तर सदन की मेज़ पर रख दिये जायेंगे और वे प्रोसीडिंग्ज़ में आ जावेंगे। सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व कोई शार्ट नोटिस क्वेश्चन तो नहीं है ?

डॉ० चन्द्रकला : है।

श्री अध्यक्ष : That is a post poned question.

स्थगित प्रश्न

मेजर फतेहसिंह, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी

२. **श्री शिवचरणदास** (मांडल) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(क) क्या मेजर फतेहसिंह एम० एल० ए० राजस्थान पुलिस द्वारा ७ अप्रेल सन् १९५५ को गिरफ्तार किये गये थे ?

Page No.33

(श्री शिवचरणदास)

(ख) यदि हां, तो किस अपराध में ? न्यायालय में उस मुकद्दमें का क्या निर्णय हुआ ?

(ग) क्या यह सही है कि मेज़र फतेहसिंह ने गिरफ्तारी से पूर्व उनके प्रान्त में पुलिस द्वारा हुए बलात्कार, घूंसखोरी और अत्याचारों की शिकायत उच्च अधिकारियों को की थी ?

(घ) यदि हां, तो उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) उन्हें राजस्थान पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उन्हें अजमेर पुलिस ने राजस्थान पुलिस की मांग पर दिनांक ७–४–५५ को गिरफ्तार किया था ।

(ख) उनको भारतीय दण्ड संग्रह की धारा ३०२, ३२६, ४००, ३३२, और २१६ (अ) के अन्तर्गत एवं धारा ११५ और ११८ को दृष्टिकोण में रखते हुए गिरफ्तार किया गया था, और प्रकरण अभी तक एस० डी० एम० की अदालत में चल रहा है ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : Not audible.

श्री रामकिशोर व्यास : फिर गौर से सुन लें ।

उनको भारतीय दण्ड संग्रह की धारा ३०२, ३२६, ४००, ३३२ २१६ (अ) के अन्तर्गत एवं धारा ११५, ११८ को दृष्टिकोण में रखते हुए गिरफ्तार किया गया, और प्रकरण अभी तक एस० डी० एम० की अदालत में चल रहा है ।

(ग) श्री फतेहसिंह के द्वारा की हुई कोई भी शिकायत इस विभाग के रेकार्ड में नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : फतेहसिंह की कोई दर्ख्वास्त नहीं बताई जो कि मौजूद है उसमें, तो क्या यह सवाल करके ऐसा दबाव डाला गया था कि हमारी तरफ आजांय ?

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह बात सही है कि ३०२ is a cognizable offence.

श्री रामकिशोर व्यास : Yes.

श्री पी. के. चौधरी : It is correct that Fateh Shri Singh is being harassed now. He raised a question in this House and he has been summoned to appear in the Court on 19th April.

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी समझ में नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरणदास पूछें ।

श्री शिवचरणदास : यह चालान किस तारीख को पेश किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : १६ मार्च को किया गया ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : सन् कौनसा है ?

Page No.34

श्री रामकिशोर व्यास : क्या था ?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : सब से पहले जमानत पर किस तारीख को रिहा किये गये ?

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य को कहने दें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : १६ मार्च को कौनसा सन् था ?

श्री रामकिशोर व्यास : बताया कि १६५८।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : ३०२ के केस में इतनी डिले ?

श्री शिवचरणदास : यह ७ अप्रेल १६५५ को गिरफ्तार किये गये थे उस केस का चालान कब किया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसी का चालान हुआ है।

श्री श्रीभानसिंह : सन् १६५५ से ५८ के केस को पेन्डिग रखने के क्या रीज़न्स थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह केस सबजुडिस है इसलिए इस पर ज्यादा डिस्कशन करना नहीं चाहता, लेकिन आपकी इनफार्मेशन के लिए बताऊं कि आई० जी० पी० ने इस केस पर ऑर्डर दिया था कि उनके बगैर पर्मीशन के इस केस का चालान नहीं किया जाय। इस वज़ह से यह केस पेन्डिग था।

श्री श्रीभानसिंह : क्या महज़ यही रीज़न था कि आई० जी० पी० ने सन् ५५ से ५८ तक इस के लिए सेन्कशन नहीं दी ?

श्री रामकिशोर व्यास : उन्होंने लिखा था कि मुझ से पूछ कर किया जाय।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि प्रारम्भ में बार बार मजिस्ट्रेट के पुलिस को वार्निंग देने पर चालान पेश नहीं किया गया तो पहले तो ज़मानत पर भी छोड़ने को तैयार नहीं थे और बाद में जमानत पर रिलीज़ कर दिया गया।

श्री रामकिशोर व्यास : जिस सवाल की बात आप कर रहे हैं उस सवाल में से नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : क्या यह सही है कि पुलिस एवीडेन्स मस्टर अप नहीं कर सकी ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह बात सही नहीं कह रहे हैं। चालान देना चाहिए था वह दिया नहीं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : ३०२ में चालान हुआ तो किस व्यक्ति की हत्या की गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : एबेटमेंट में आते हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : किस व्यक्ति को एबेट किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : सारे फैक्ट्स में जाना मुनासिब नहीं है। मेरे पास फैक्ट्स हैं। उनका भाषण हुआ उसके बाद मर्डर हुए, डेकोआइटीज़ कमिट हुई। मेटर यह सबजुडिस है।

श्री अध्यक्ष : On the Pense of merits question पूछें ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : Who are the persons who have been murdered. We would like to know.

श्री अध्यक्ष : Some may have died by accident.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : Has any person been murdered at all.

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी जरूरत नहीं कि किसी का मर्डर किया हो ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : There cannot be section 302 without murder.

श्री होतीलाल : लेकिन जब तक मर्डर नहीं हुए हों तो ३०२ में वे नहीं आते हैं । अगर मर्डर नहीं है तो It is 307. How it is 302.

श्री रामकिशोर व्यास : पूरे फैक्ट्स में जाना आज की तारीख में मुनासिब नहीं होगा । उस इलाके में कितने मर्डर हुए हैं, डेकोइटीज़ हुई हैं, कौन कौन सी तारीख में हुई यह सारे फैक्ट्स एन्ड फीगर्स हैं लेकिन चूंकि मामला सबजुडिस है इसलिए इसमें अभी जाना ठीक नहीं है ।

श्री श्रीभानसिंह : आई० जी० पी० ने इस मामले को रोका तो उनके यहां इसको डिले करने के क्या रीजन्स थे और १६ मार्च १६५८ को इस केस को इन्स्टीट्यूट करने के क्या रीजन्स आई० जी० पी० ने दिये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस मामले के रीजन्स नहीं बताये हैं । ऐसा कोई रेकार्ड में नहीं है । बहुत अर्से से पेन्डिंग था ।

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह सही है कि श्री फतेहसिंह ने सवाल उठाया सदन में इसलिए उनका चालान किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : पहले जवाब दे चुका हूं कि यह बात सही नहीं है ।

श्री श्रीभानसिंह : Did Major Fateh Singh made a speech on a cutmotion in the house. Was the case instituted after his speech.

श्री रामकिशोर व्यास : It may be a matter of co-incidence but not on account of that...

श्री श्रीभानसिंह : Is it a matter of co-incidence...

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या इस तरह से एक मुकद्दमें को रोकना आई० जी० पी० के द्वारा अनाधिकार चेष्टा नहीं थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह समझ की बात है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह बात सही है कि प्रिविलेज़ मोशन मूव किया गया था उसके बाद में चालान किया गया ।

श्री रामकिशोर व्यास : वह मैंने बताया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान पुलिस के पास में एफ० आई० आर० कब दर्ज हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : २५–३–५५ को ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : Under what section.

श्री रामकिशोर व्यास : I have already said.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह चीज जो दर्ज कराई थी तो who was the complainant ?

श्री रामकिशोर व्यास : Most probably his name is Madan Lal.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : चालान किस दफा के तहत हुआ है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह बताये हैं आपको।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि गिरफ्तार होने से पूर्व उन्होंने पुलिस के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें की थीं।

श्री रामकिशोर व्यास : वह जवाब दे दिया है।

श्री श्रीभानसिंह : Is the Government prepared to absolutely contradict my statement that this case has been instituted by the I. G. P. after the Hon'ble member has made a specific allegations through the cutmotions in the House. I want a catagorical contradiction from the Government.

श्री रामकिशोर व्यास : There is no question of contractions. It is a question of stating the facts. It may be the coincidence that the challan might have been made after his speech but not on account of that.

श्री श्रीभानसिंह : There can be no question of "Might have been" There should have been a catagorical statement but it has got nothing to do with the speech in the House.

श्री रामकिशोर व्यास : Nothing to do with his speech ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : किसी व्यक्ति के खिलाफ अटेम्प्ट आफ मर्डर की बात हो तो वह ३०७ में चालान किया जाता है, यहां पर ३०२ में केस चलाया गया है। तो यह बात माननीय गृह मंत्री जी जो कि एक अच्छे वकील रह चुके हैं अच्छी तरह से समझ सकते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : The court will decide it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आई. जी. पी. की अनुमति चालान के लिये लेना आवश्यक है तो वहां पुलिस में कब, कितनी बार किस संबंध में ली है कि इस चालान को पुट अप कर दिया जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह अभी नहीं बता सकता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह केस किसके पास पेन्डिंग है ?

श्री रामकिशोर व्यास : पुलिस विभाग में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आई.जी. पी. के पास या विभाग में ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : Just a minute.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

५.१८ म० प०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति !

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा से उस समय तक के लिए अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है जो उनके नाम के आगे निर्देशित है:—

श्री रामप्रसाद—दिनांक ११-२-५८ से १८-४-५८ तक।

श्री जनार्दनराय नागर—दिनांक १३-४-५८ से सत्र के अन्त तक।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

५.१६ म० प०

राजस्व मंत्री का बांसवाड़ा जिले की अकाल स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्रीजी बांसवाड़ा जिले की अकाल की स्थित के संबंध में वक्तव्य देंगे।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : On a point of information, Sir. I submitted a privilege motion.

श्री अध्यक्ष : That is being considerd.

श्री श्रीभानसिंह : Before the Revenue Minister makes a statement, I would like to know one thing. Has any officer of the Govt. or the Revenue Minister given in any paper the statement which he is going to make in the House.

श्री दामोदरलाल व्यास : No, sir. I prepared my statement today at 2.00 p. m. and I do not know how this question has arisen. There is no question of its premature publication in any paper.

श्री श्रीभानसिंह : It has appeared in a paper wherein it has been clearly said about the statement on the famine conditions in Banswara.

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not correct. As I submitted just now, I prepared my statement to-day.

श्री श्रीभानसिंह : But the Government should give a categorical reply whether this has been published in a paper or not. I want this information

श्री दामोदरलाल व्यास : Sir, I do not understand why this point is being raised. I have already said that this statement was with me at 2 and

Page No.38

(श्री दामोदरलाल व्यास)

how it can appear before hand.

श्री पी. के. चौधरी : (showing the paper) It has appeared in this paper and I can read out the...

श्री अध्यक्ष : Let him make his statement. The facts will come before you. .

श्री श्रीभानसिंह : मेरा सब्मिशन यह है कि कोई गवर्नमेन्ट ऑफिसर बाहर स्टेटमेंट, सदन में मंत्री महोदय के उसी स्टेटमेन्ट को देदे और फिर मंत्री महोदय यहां पर यह कह दें केटोगोरिकली कि जो फेक्ट्स दिये हैं वे गलत हैं तो यह कहां तक उचित है। अफसरों ने वही स्टेटमेन्ट पहले दे दिया, कर दिया तो उसके लिये कौन ज़िम्मेवार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जैसा कि अर्ज किया, मैंने स्टेटमेन्ट २ बजे तैयार किया है तो फिर उससे पहले कैसे प्रेस में एपिअर हो गया, इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता। इससे पहले यदि किसी अधिकारी ने कोई स्टेटमेन्ट बांसवाड़ा में फेमिन कंडीशन के बारे में दिया हो तो उसका सदन से संबंध नहीं है। डाइरेक्टर पब्लिक रिलेशन्स ने या डाइरेक्टर ऑफ फेमिन ऑपरेशन को इस मुत्तालिक किसी ने कोई बात पूछी हो तो उनको पूरा अधिकार हैं कि वे इस बारे में बातें बतावें, सदन की कार्यवाही से उसका संबंध नहीं है। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि यह स्टेटमेन्ट रिलीज नहीं हुआ है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या आप इस बात की जांच करायेंगे कि जो स्टेटमेन्ट आप देंगे उसका लाभ नहीं उठाया गया है और यदि लाभ उठाया है तो किसकी जिम्मेदारी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज़ करता हूं कि इसमें लाभ उठाने का सवाल ही नहीं है, मेरा स्टेटमेन्ट २ बजे तैयार हुआ है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : But will the Government make an enquiry.

श्री पी. के. चौधरी : I would invite the attention of the Hon'ble Revenue Minister to this paper and would like to know...

श्री अध्यक्ष : Order please. Wait and see what he says.

श्री दामोदरलाल व्यास : बांसवाड़ा में अकाल है और उसमें राहत के लिए क्या क्या कार्य किये जा रहे हैं यह कोई कोन्फिडेन्शियल चीज़ नहीं है, सभी लोग जानते हैं यदि किसी अधिकारी ने प्रेस में या और कहीं वक्तव्य इस बारे में दिया है तो यह सदन के लिये ब्रीच ऑफ प्रिवलेज का प्रश्न नहीं है क्योंकि इसका संबंध सदन से नहीं है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आपने यह कहा था कि सदन में स्टेटमेन्ट दिया जायगा वही स्टेटमेन्ट यदि लीक हो गया है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लीक होने का कोई सवाल नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : No more discussion. Yes your statement please.

Page No.39

श्री दामोदरलाल व्यास : बांसवाड़ा से आये माननीय सदस्य ने १७ अप्रेल, १६५८ को एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति सदन को अवगत करना चाहूँगा। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य बांसवाड़ा जिले की अभावग्रस्त अवस्था के बारे में चर्चा प्रारम्भ करना था।

यह हमारे राज्य का दुर्भाग्य है कि प्रायः प्रतिवर्ष किसी न किसी क्षेत्र में अनावृष्टि या अतिवृष्टि के कारण अभाव की स्थिति पैदा हो जाती है। माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं। मैं विश्वास दिला सकता हूं कि इस ओर प्रयत्न करने में कहीं कोई कोताही नहीं की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में जो स्थिति बनी और बनती जा रही है उस पर सरकार का बराबर ध्यान रहा है और वहां बराबर आवश्यकतानुसार सहायता पहुंचाई जा रही है। विस्तार की बातों को सदन के समक्ष उपस्थित करने के पहले मैं आपके द्वारा स्थगन प्रस्ताव उपस्थित करने वाले माननीय सदस्य को तथा अन्य माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उस क्षेत्र में सहायता कार्य के सम्बन्ध में वे और भी जो रचनात्मक सुझाव सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे उन पर तत्काल विचार और आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। माननीय सदस्य स्वयं अवगत हैं कि ज़िला स्तर पर एक सहायता समिति कार्य कर रही है जिसके वे स्वयं तथा अन्य कई गैर सरकारी तथा कुछ सरकारी सदस्य हैं। समस्त सहायता कार्य इस समिति के परामर्श से चलाये जा रहे हैं। समिति की पहली बैठक पिछले जनवरी महीने में हुई थी और उसके बाद हर महीने हो रही है। मैं समझता हूँ कि ज़िला स्तर पर भरपूर कार्यवाही की जा रही है। इस क्षेत्र के जिन लोगों को अभावग्रस्त अवस्था के कारण कष्ट हो रहा है उनके साथ हमारी सहानुभूति है और उनको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस अवस्था से मुकाबले के लिए राज्य के जो भी साधन आवश्यक होंगे वे बराबर उनके लिये उपलब्ध रहेंगे। बांसवाड़ा जिले का अधिकांश भाग इस समय अभावग्रस्त अवस्था में है। पिछले मौसम में वर्षा की कमी के कारण खरीफ की फसल को नुकसान हुआ। इस कारण २,५१,८११ की आबादी और ३१६ वर्गमील क्षेत्रफल के १,१३६ गांवों में अभाव की स्थिति घोषित कर दी गई और ऐसी घोषणा के बाद जो कार्यवाही की जाने के नियम हैं वह तुरन्त शुरू कर दिए गए। रबी की फसल के सिलसिले में भी ३२४ गांवों की स्थिति की जांच की जा रही है, अभाव ग्रस्त क्षेत्र में खरीफ के लगान की वसूली स्थगित कर दी गई है।

दीन और असहाय लोगों की एक सूची लम्बरदारों और पंचायतों की सहायता से तैयार की गई थी। ऐसे व्यक्तियों को नकद सहायता स्वरूप दिये जाने के लिए ५,५०० रुपये स्वीकार किये जा चुके हैं। जिले के किसी हिस्से से चारे की बेहद तंगी की खबर नहीं आई है। वैसे, ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिये पर्याप्त घास सुरक्षित रखी हुई है। साधारण उपयोग के लिये वन विभाग अपने नौरक्षित घास के बीड़ों में से परमिट पर बराबर घास दे रहा है। इन बीड़ों का रकबा १३,११७ एकड़ है। पापालखूट, जवाई जगमेर और घोटिया

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अम्बा सुरक्षित वनों से भी घास दी जा रही है। कई हजार व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं।

खाद्य पदार्थों के संबंध में भी ज़िले की स्थिति असाधारण रूप से चिन्तनीय नहीं है। १८ अप्रेल, १९५८ को अनाज के बाजार भाव इस प्रकार थे:—

गेहूँ	१६ रुपये प्रतिमन		
जो	१२	,,	,,
मक्का	१२	,,	,,
चना	१२	,,	,,

पिछले साल के जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रेल महिनों के मुकाबले में ये भाव भाव सस्ते हैं।

	गेहूं		मक्का	
	१९५७	१९५८	१९५७	१९५८
जनवरी	१५	१५॥	१३॥	११॥
फरवरी	१६॥।	१५॥	१४॥	११॥
मार्च	१५॥	१५॥	१४	११
अप्रेल	१५॥	१५॥	१४	११ से १२ तक

मक्का इस प्रदेश में आम तौर से काम में लाया जाने वाला अनाज है और यह ज़िले में काफी मात्रा में उपलब्ध है। इसके भाव पिछले साल के इन्हीं के मुकाबले में कम ही हैं, और मध्यप्रदेश एवं बम्बई के निकटस्थ दोहद और रतलाम ज़िलों में भी प्रायः यही भाव हैं। अतएव जिले के बाहर अनाज जाने का भय नहीं रहा है। पिछले दिनों ५,०३८ मन विदेशी गेहूं भी जिले के लिये प्राप्त कर लिया गया था। कुछ और गेहूँ प्राप्त किया जा रहा है, लेकिन इस प्रकार के गेहूं की जिले में खपत कम होती है। परिणाम स्वरूप बांसवाड़े में जो भी सस्ते भावों की गैर सरकारी दुकानें खोली गई वहां पर भी गेहूं की बिक्री भरपूर नहीं हुई और दूसरी जगह व्यापारी इस काम को लेने के लिए तैयार नहीं हुए। जरूरत हुई तो सरकारी दुकानें खोली जायेंगी।

इस प्रकार जहां तक साधारण स्थिति का प्रश्न है, कोई असाधारण चिन्ता का कारण नहीं है। लेकिन अभावग्रस्त क्षेत्र में लोगों की क्रयशक्ति कम हो जाती है। उस को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सहायता कार्य प्रारम्भ किये जाते हैं।

अलग अलग मदों से २,२४५ लोगों को ६,४६,९०० रुपये तकावी के रूप में दिये जा चुके हैं। तकावी ऋण से कई तरह के काम शुरू होते हैं जिनसे ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष लाभ पर्याप्त होता है, जिन लोगों को तकावी से लाभ पहुंचता है उनकी संख्या भी हर हालत में ऋण प्राप्त करने वालों से अधिक होती है। परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त कहीं कहीं लोग श्रमिक भी अपने काम पर ले जाते हैं।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पिछले आर्थिक वर्ष में विकास खंड क्षेत्रों के निर्माण कार्यों पर २,८७,४७५ रुपये तथा दूसरे क्षेत्र में स्थानीय विकास कार्यों पर ३९,००० रुपये और सिंचाई विभाग ने ४,३०,३०२ रुपये विभिन्न निर्माण कार्यों पर व्यय किये ७२,२५२ रुपये समाज कल्याण विभाग के तथा १५,००० रुपये वन विभाग के कार्यों पर इसके अतिरिक्त खर्च किये गये। सीधे सहायता कार्यों के लिये १,६५,७४३ रूपये अब तक स्वीकार किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त पीने के पानी का व्यवस्था के लिए १३०० रुपये स्वीकार किये गये हैं। जहां अभाव की अवस्था हो जाती है वहां व्यवस्था रहती है कि भवन पथ एवं सिंचाई आदि विभाग भी अपने विभागीय कार्य सहायता कार्य के रूप में चलाते हैं। इस प्रकार स्थानीय विकास कार्यों को छोड़ कर १२२ निर्माण कार्य चालू हैं जिन पर प्रतिदिन औसतन ८३५५ व्यक्ति काम कर रहे हैं। इन सारे काम अभावग्रस्त लोगों को रोजगार और अपने श्रम से अपनी सहायता करने का अवसर देते हैं। जो भी व्यक्ति इन कार्यों पर काम करने आ जाता है उसे लौटाया नहीं जाता और आवश्यकतानुसार सरकार और भी कार्य खोलने को तैयार है। अतएव स्थिति ऐसी नहीं है कि लोगों को रोजगार के लिए अपना प्रदेश छोड़ कर बाहर जाना पड़े।

वैसे यह ध्यान में रखने की बात है कि बांसवाड़े जिले का प्रदेश हमारे राज्य के असम्पन्न क्षेत्र में आता है। यहां कोई ८७ प्रतिशत आबादी आदिवासी लोगों की है। आसपास जब मजदूरी से अधिक कमाने की गुंजाइश होती है। बांसवाड़ा से लोग प्रायः साधारण स्थिति में बाहर जाते ही हैं। दोहद में इन दिनों डबल लाईन डालने का काम चल रहा है। बम्बई, बड़ौदा, अहमदाबाद वैसे भी यहां से लोग जाते ही रहते हैं। इस साधारण अवस्था का सम्बन्ध अभावग्रस्त असाधारण अवस्था से जोड़ना ठीक नहीं होगा। अभाव के कारण ज़िले के बाहर लोगों के जाने की सूचना गलत है। अनाज काफी मात्रा में ज़िलों में पर्याप्त है और रोजगार के लिए काफी सहायता कार्य चालू हैं कोई आदमी बेरोजगार नहीं है और भूखे मरने की खबर सही नहीं है।

जब अभाव की अवस्था असाधारण होती है, छुटपुट वारदातें बढ़ जाती हैं और लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरों की सम्पत्ति पर हमले करने लगते हैं। ऐसी भी अवस्था देखने में नहीं आई है। जनवरी, फरवरी और मार्च के आंकड़े देखें तो पता लगेगा कि इस साल पिछले दो सालों के मुकाबले में ऐसी वारदातें कम ही हुई हैं।

साल	जनवरी	फरवरी	मार्च
१९५६	३३	३४	२१
१९५७	४८	३६	३५
१९५८	३१	२७	१८

गांवों से कस्बों में आने वाले लोगों की तादाद भी बढ़ती देखने में नहीं आई है।

इस विवरण को विस्तार से प्रस्तुत करने का मेरा उद्देश्य यह था कि माननीय सदस्यगण उस क्षेत्र की अवस्था से पूर्णतः अवगत हो जाए जिसके सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव उपस्थित किया गया था। सरकार जिला

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अधिकारी ज़िला स्तर पर बनायी गयी सहायता समिति स्थिति से पूर्णतः अवगत हैं और मैं नहीं समझता कि किसी का ऐसा मानना है कि स्थिति काबू के बाहर या अत्यन्त असाधारण है, उचित नहीं है ।

श्री पी० के० चौधरी : Hon'ble Minister has said that 8000 people are engaged...

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी भाई ।

श्री मोगजी भाई : अध्यक्ष महोदय, मैंने बांसवाड़ा जिले में भुखमरी के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव रखा था, उसका उत्तर मंत्री महोदय ने दिया । मैंने इस सम्बन्ध में जिस स्थिति को लाकर रखा था, उसके सम्बन्ध में कोई उल्लेख उनके उत्तर में नहीं मिला, बल्कि बिल्कुल तथ्यहीन बातें बताई, उन्होंने पिछले साल के नोट को पढ़ दिया । इस समय बांसवाड़ा जिले में भुखमरी की समस्या बहुत गम्भीर है....

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट दिया जा रहा है, If he wants to give any information, he can give me, but I don't think he can make any counter statement.

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ।

श्री मोगाजी भाई : आपने जो बताया, उसके लिए मैं बता दूं कि आपने किस आधार पर बताया ? अभी क्या हालत है, उसके बारे में आपने लम्बा-चौड़ा स्टेटमेंट दिया उसके सम्बन्ध में मैं बता दूँ कि अभी फरवरी, मार्च के महीने में एक महीने सड़क का काम चला और बन्द कर दिया गया है । इस क्षेत्र में, जिसमें इतनी ज्यादा स्थिति खराब है, उस क्षेत्र में कल की तारीख तक कोई काम नहीं चला । आज की मेरी सूचना है कि कल की तारीख तक उस क्षेत्र में कोई काम नहीं चल रहा है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज़ करूंगा कि यह परम्परा गलत होगी । उनका एडजोर्नमेंट मोशन डिसअलाऊ हो गया है....

श्री अध्यक्ष : ये कह रहे हैं कि आपने कहा था कि राहत के काम चल रहे हैं, उनकी कल की जानकारी है कि कोई काम शुरू नहीं हो रहे हैं, वे तथ्य बता रहे हैं जिनसे साबित हो कि उनके दृष्टिकोण से स्थिति क्या है ।

श्री मोगजी भाई : अध्यक्ष महोदय, लोग वहां से भाग रहे हैं । छाजा से लोग अपने मकान सामान लेकर चले गये हैं । लोगों की जो स्थिति है, उसका यह स्टेटमेंट नहीं है...

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने स्टेटमेंट में कहा है कि उस ज़िले में जो कमेटी है सहायता करने की, उसके माननीय सदस्य मैम्बर हैं और इनकी राय से ही सहायता कार्य शुरू किये गये हैं । सहायता कार्य चल रहे हैं, इसमें मैं क्या गलत कहता हूं ।

(विराम)

इनसे कहलाइयेगा He was a Member of that Committee and he had been present when these works were sanctioned.

Page No.43

श्री भोगजी भाई (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, अभी ११ तारीख को मीटिंग हुई, ११ तारीख की मीटिंग की कलेक्टर ने मुझे चार बजे सूचना भेजी । इससे पहले भी जब जब मीटिंग की हैं, हमको टाइम पर सूचना नहीं दी है । वहां एक षड्यन्त्र रचा जाता है । वह भुखमरी का इलाका है, उस भुखमरी की उपेक्षा करके एक षड्यन्त्र किया जाता है । जहां काम चलाने की जरूरत है, वहां न पी. डब्ल्यू. डी. की तरफ से वर्क चल रहे हैं और न सरकार की तरफ से, यह मेरी कल तक की जानकारी है । लेकिन यहां कुछ और जवाब दिया जाता है, और स्टेटमेंट दे दिया जाता है । बेकारी के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि कोई कारखाने के नौकर बेकार हो गये हैं, भुखमरी से जिनका सम्बन्ध है वे किसान हैं, जो खेत में अनाज के न पकने से भूखे मर रहे हैं । उनके लिए कुछ रिलीफ के काम चलाये या गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ एड मिले और उसके लिए सरकार कुछ व्यवस्था करे तो खेत में अनाज के न पकने से जो किसान भूखे मर रहे हैं, वे बच सकें । अगर ये लोग भूख से परेशान होकर किसी दूसरे इलाके में चले गये तो आपने कह दिया कि वहां इस प्रकार की बेकारी नहीं है । वहां बेकारी का सवाल नहीं है । मैं आपको बताऊं कि वहां कम से कम ३ लाख की जनता है, जो किसान हैं, उनमें कम से कम दो लाख बेकार हैं, खेत में अनाज के न पकने से वे बेकार हैं । मैं आपको बताऊं कि छाजा, काजी में कोई काम नहीं चल रहा है, पीपालखूट में कोई काम नहीं चल रहा है....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट पर काउन्टर स्टेटमेंट देना गलत होगा । यह रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है ।

एक माननीय सदस्य : वे हाउस को जानकारी दे रहे हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order, Sir.

श्री अध्यक्ष : आप जानकारी नहीं दें, तथ्य बतायें, जिससे आपके दृष्टिकोण से, जो उन्होंने कहा है, वह गलत है या सही, यह पता चल सके ।

श्री भोगजी भाई : जी हां ।

श्री हीरा भाई : तकावी के विषय में..

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो स्टेटमेंट मिनिस्टर ने दिया है, वहां की स्थिति के बारे में वह, जो सरकार ने मशीनरी रखी है, उसके ज़रिये से, स्टेटमेंट प्राप्त किया गया है । अब उसके बाद एक काउन्टर स्टेटमेंट देकर, क्रिटिसाइज़ करते हुए स्टेटमेंट देना हमको कन्फ्युज़न में डालता है । इसलिए उनके पास तथ्य हैं, उन तथ्यों को मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद रखना कहां तक सही है ? वहां की स्थिति को जानने के लिए सरकार ने जो मशीनरी प्रोवाइड की है उसके ज़रिये तथ्य हमारे सामने आये हैं । उन तथ्यों के ऊपर एक मैम्बर, सिंगल मैम्बर, जिनके पास कोई मशीनरी नहीं है, का स्टेटमेंट देना कहां तक ठीक है ? My point of order is this, where it is confusing, कन्फ्युज़िंग नहीं होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : That is no point of order.

श्री मोगजी भाई : अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बता दूं कि पिछले साल बांसवाड़ा ज़िले में ११ इंच वर्षा हुई, इसलिए वहां पानी की कमी के कारण....

श्री अध्यक्ष : आपको जो कहना है, वह जल्दी से और संक्षेप में कहें।

श्री मोगजी भाई : मैं संक्षेप में कह रहा हूं। तो वहां पर पानी की कमी के कारण रबी की फसल नहीं हुई, ऐसी सूरत में मंत्री महोदय बतावें कि पांच तहसील, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, बागीडोरा, भूखिया आदि जगहों में क्या काम सरकार ने किया है, जिससे जो वहां पर अभाव की स्थिति है, उसमें सहायता मिले। वहां ऐसा कौन सा कार्य किया जा रहा है, कौनसा काम चल रहा है, वह काम बता दें।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बता दिया कि वहां पर कई रिलीफ कार्य खोले गये और दूसरा यह बताया कि लोगों को हज़ारों रुपये की तकावी दी गई। लेकिन सवाल यह है कि तकावी दरअसल किनको दी गई है जिनके घर में हज़ार दो हज़ार की पूंजी है। मंत्रीजी कहते है तकावी उनको दी जाती है, जो बहुत ही खराब हालत में हैं, उनको तकावी दी जाती है। लेकिन यह बात गलत है, आज ऐसे लोगों को तकावी नहीं दी जा रही है, गरीब आदमियों को नहीं दी जा रही है। जिनकी हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है, उन गरीब आदमियों को तकावी नहीं मिलती। तकावी महाराज साहब को दी गई। यह तकावी गरीब आदमियों के लिए है, गरीब आदमी अपना व अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाते हैं, उनके लिए तकावी नहीं है। मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि ये लोग दूसरे लोगों की सम्पत्ति पर अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए हमले करते हैं। उनका इससे क्या मतलब है, यह मैं नहीं समझ पाया हूं। यह बात ठीक है कि रिलीफ के लिए वहां पर ज्यादा से ज्यादा ११, १५ दिन काम चला, वहां पर बामनिया रोड पर काम चला था, कसारवड़ी रोड पर चला आठ दस दिन ४००, ५०० मनुष्यों ने काम किया, उससे क्या सारे ज़िले का गुजर हो गया। इतनी मज़दूरी दे दी, मैं समझता हूं कि हरेक को १०० १५० रु० की मज़दूरी दे दी हो तब तो गुजर चल सकता है लेकिन उससे हर मनुष्य का गुजारा नहीं हो सकता।

(घंटी)

दूसरे आप विकास के लिए बता रहे हैं किन्तु विकास के दरअसल जो काम चल रहे हैं, उनके लिए ५० प्रतिशत ग्राम दान करें तब ५० प्रतिशत सरकार मदद दे, तब विकास कार्यक्रम चले। अगर ५० प्रतिशत नहीं दें तो विकास कार्य नहीं चल सकते। जो विकास के काम चलाते हैं, वे उस स्थान पर चलाने चाहिए जहां पर अकाल की स्थिति हो। वह भी नहीं होता, यह तो हमारे जैसों के लिये या उनके जैसों के लिये विकास कार्य हैं। गरीबों का अकाल इससे कैसे दूर हो सकता है। यह तो मैं समझता हूं कि गोलमाल जवाब देकर दूर हो जाना है, मन्त्री महोदय ने वहां जाकर देखा भी नहीं है, दूसरों के कहने से ही बता दिया।

हमारे कलेक्टर कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, किसान लोग मंजूरी के वास्ते मध्य भारत और इधर उधर जाते हैं, तो कलेक्टर कहते हैं कि वहां तो पैसा कमाने जाते हैं, तो मैं यह

(श्री हीराभाई)

जानना चाहता हूं कि अकाल के पहले तो पैसा कमाने नहीं गये थे, अब कैसे जरूरत पड़ी पैसा कमाने की ? देश विदेशों में ऐसी बुरी हालत में जाना पड़ता है, सोच विचार कर जवाब देना चाहिये तो ठीक है, वरना इस प्रकार का जवाब देने से मन्त्रीजी के लिए या समाज के लिये खतरा होगा। राहत कार्य जो चल रहा है क्या चल रहा है, इसका जवाब नहीं दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of clarification Sir, क्या तकावी जिनको दी जा रही है, जमानत लेकर तकावी दी जा रही हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष, दो माननीय सदस्य बांसवाड़ा से आये हुए हैं, मैंने जो स्टेटमेंट दिया उनके लिये, मैंने यह अर्ज किया कि इतना रुपया राहत तकावी से और अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से खर्च हुआ और इस प्रकार आज ८००० मज़दूरों को रोजमर्रा मज़दूरी दी जा रही है। वे कहना चाहते हैं कि गोलमाल जवाब दिया और मन्त्री महोदय ने देखा नहीं वहां जाकर। मैं अर्ज़ करूंगा कि मैं खुद बांसवाड़ा तीन दिन के दौरे पर गया और अभावग्रस्त तहसीलों के ग्रामों का दौरा किया, दोनों माननीय सदस्य जो इस सदन के मैम्बर हैं, वह आप तस्दीक कर लेंगे, मैं जहां गया हूं लोग इकट्ठे हुए हैं, उनकी बातें मैंने सुनी हैं, और राहत कार्य कराने की उनकी जो जो मांगें थी, मैंने उनके लिये अधिकारियों को मौके पर ही आदेश जारी किये हैं। माननीय सदस्य मुझे मिले और जिस जिस गांव में गये तो दूर दूर अलग से ही चले जाते थे, न जनता के अभाव अभियोगों को उन्होंने जानने की कोशिश की और न मेरे सामने ही कोई सुझाव रखे। इसके लिये कहना कि मन्त्री महोदय वहां गये ही नहीं। मैं खुद वहां गया हूं वहां का मैंने दौरा किया है। जनता के लोगों से बातें की हैं और उनकी मांगों को सुन कर मौके पर ही आदेश दिये हैं, राहत कार्य शुरू कराये हैं और इसके लिये सरकारी अफसरान को इन्स्ट्रक्शन्स दी हैं। माननीय सदस्य मुझे मिले पर गांव के बाहर ही चले गये।

अब मैं दो चार बातें और बता दूं, यों तो मैंने डिटेल में बताया। बागीडोरा और भूखिया के लिये माननीय सदस्य ने बताया कि वहां राहत कार्य नहीं हो रहे हैं। मैं निवेदन कर दूं जैसा कि मैंने अर्ज किया सभी जगह राहत कार्य शुरू हुए हैं। भूखिया के लिये मैं खास तौर से अर्ज़ कर दूं कि मैंने १५ दिन पहले तार के ज़रिये इत्तला भेजी थी, भूखिया में बांसवाड़ा के कलेक्टर ने स्वयं जाकर वहां की सारी स्थिति से मुझे फौरन अवगत कराया, भूखिया पंचायत क्षेत्र में राहत कार्य चालू कर दिया है, तार के जरिये इसके लिये स्पेशल आदेश दिया था। माननीय सदस्य श्री नाथूराम जी ने जो वहां के सदस्य हैं, मेरा ध्यान १५ रोज पहले इस ओर आकर्षित किया था और फौरन तार के ज़रिये इत्तिला भेज कर राहत कार्य चालू करवाया गया।

तो माननीय सदस्य ने यह कहा कि गोल माल स्टेटमेंट है। इसके लिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उन्होंने कोई कान्क्रीट सजेशन नहीं दिये कि अमुक जगह के लोग अभाव के कारण परेशान हैं, उनको राहत पहुँचाने के लिये राहत कार्य शुरू करवाया

Page No.46

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जाय। इस तरह के कोई सजेशन उन्होंने दिये होते तो मैं उन पर फौरन अमल करने को तैयार होता, बजाय इसके केवल यों ही स्टेटमेंट दे देना कि भूखों मर रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं। ज्यादा सही रास्ता यह होगा कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान सरकार का इस ओर आकर्षित करें कि कहां कहां क्या क्या असुविधाएं हैं ताकि हम और सरकार दोनों मिल कर जरूरतमन्द लोगों को राहत पहुँचा सकें, वक्त पर मदद दे सकें, बजाय इसके एक स्टेटमेंट जिसमें कोई स्पेसिफिक सुझाव नहीं हो, दे देना कोई लाभ पहुँचाने वाला नहीं होगा। फिर भी मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि बांसवाड़ा के अभाव के सम्बन्ध में कोई कान्क्रीट सुझाव देना चाहें तो वह दें, मैं उस पर अमल करने को तैयार हूं। रचनात्मक सुझाव होना चाहिये, जरूर राहत कार्य शुरू करेंगे।

जैसा कि कहा गया इतनी तादाद में राहत कार्य नहीं हो रहा है कि कोई अनएम्प्लॉयड रह गया हो, ऐसी बात नहीं है। वहां कूओं को डीप कराने का पानी निकालने का काम किया जा रहा है, जो इन्वैलिड, इन्फर्म लोग हैं जो बूढ़े हैं, कोई काम काज नहीं कर सकते उनको रिलीफ दिया जा रहा है, और कई काम हैं जो वहां किये जा रहे हैं। इनके अलावा और कोई काम हों तो माननीय सदस्य सुझाव देवें, जैसे भूखिया के लिये कहा तो मैंने अर्ज़ किया कि भूखिया पंचायत क्षेत्र में १५ रोज पहले ही राहत कार्य शुरू करवा दिया गया। इसलिये मैं कहूँगा कि ज्यादा अच्छा और मुनासिब यह होगा कि मुझे सुझाव देवें और हमारे साथ सहयोग करें, यह काम कोई ऐसा नहीं जो राजनैतिक पार्टी से सम्बन्ध रखता हो, यह तो ह्यूमेनिटेरियन कार्य है, आप हम सब मिल कर करें तो ज्यादा अच्छी तरह हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुँचाया जा सकता है।

(श्री मुरलीधर व्यास के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री दामोदरलाल व्यास : Let me finish please. Then you can put me any question.

एक माननीय सदस्य ने पूछा कि जिनको तकावी दी जाती है उनसे जमानत ली जाती है कि नहीं? माननीय सदस्य खुद जानते हैं कि इसके लिये रूल्स बने हुए हैं, जमानत ले कर सिक्योरिटी ली ही जाती है इसमें दो राय नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : On a point of information, Sir. The Hon'ble Minister said that over 8000 people were working on the relief works, whereas the press communique issued on the 19th April by the Government said that only 4900 people were working on relief works.

श्री दामोदरलाल व्यास : I wil give you the details of 8,355 people.

श्री अध्यक्ष : कितने आदमी काम कर रहे हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : औसत श्रमिक प्रतिदिन सहायता विभाग ४,२२३, ब्लाक डवेलपमेंट ६११, सिंचाई विभाग ६२५, निर्माण विभाग १६००, समाज कल्याण विभाग १०४३ वन विभाग २५० ।

Page No.47

(श्री दामोदरलाल व्यास)

माननीय सदस्यों के लिये मैं यह अर्ज कर दूँ कि जो प्लान वर्क्स चल रहे हैं, जो कार्य प्लान वर्क में पी. डब्लू. डी. के नीचे चल रहे हैं और, और विभागों के नीचे चल रहे हैं, उनके लिये हम यह कर रहे हैं कि उन प्लान वर्क्स को फेमीन रिलीफ वर्क के तौर पर चलाया जाय और जितनी डेफिशियेन्सी होगी वह रिलीफ डिपार्टमेंट में से उन्हें दे दी जायगी, चाहे वह २५ पर्सेंट हो, ३० पर्सेंट हो या इससे अधिक हो···

श्री हीराभाई : वन विभाग में क्या कार्य किया जाता है, साहब ?

(श्री पी० के० चौधरी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : Yes, Shri Chaudhary.

श्री पी० के० चौधरी : On a point of privilege, Sir. The notice of this adjournment motion was reported in the paper on 19th April, and the Government or the Director of Public Relations has issued...

श्री अध्यक्ष : Please state it in writing and I will decide whether it should be admitted or not ?

माननीय राजस्व मंत्री ।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष···

श्री अध्यक्ष : अब इस पर कोई बहस नहीं होगी, बहुत क्वेश्चन हो गये । सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट ।

उच्चतम भूमि सीमा निर्धारण समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष, राजस्थान में उच्चतम भूमि की सीमाएँ निर्धारित करने के लिये उच्चतम भूमि निर्धारण समिति की रिपोर्ट की एक प्रति मैं सदन की मेज पर रखता हूं ।

अनेक माननीय सदस्य : हिन्दी का अनुवाद है कि नहीं ।

श्री अध्यक्ष : सर्कुलेट हो चुकी है, हिन्दी की भी सर्कुलेट हो चुकी है । लेजिस्लेटिव बिजनेस ।

५.४८ म० प०

राजस्व मंत्री महोदय ।

मेवाड़ शिशु हितकारिणी सभा आज्ञाप्ति (अनुपालनीयता) विधेयक, १९५७

(खण्डश: विचार विमर्श एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित मेवाड़ शिशु हितकारिणी सभा आज्ञाप्ति (अनुपालनीयता) विधेयक, १९५७ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २ व ३ स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ २ व ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉजेज ४ और ५ पर श्री पी० के० चौधरी के संशोधन हैं।

(विराम)

(1) In sub-clause (1) the words "and remaining unsatisfied in full at such commencement," be deleted.

श्री पी० के० चौधरी : I move that ein clause 4, sub-clause (1), th words "and remaining unsatisfied in full at such commencement," be d eleted.

श्री अध्यक्ष : And, (2) sub-clause (2) be deleted, and (3) sub-clause (4) be deleted.

श्री पी. के. चौधरी : And sub-clause (2) be deleted, and sub-clause (4) be deleted. अध्यक्ष महोदय, मेरा जो फर्स्ट एमेन्डमेंट है उसका मकसद यह है कि जिस डिक्री के बारे में अब कोई एक्सन नहीं लिया गया। उसको इतने साल बाद फिर से अब रिव्यू करना और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करना, मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं होगा और इसीलिये मैंने यह एमेन्डमेंट रखा है कि those decree which wer not realised should not be realised now and the Governmant should not be given authority to realise it now.

The Second one is for sub-clause (2), for withdrawing right of appeal. इसमें अपील का राइट नहीं दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि यह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि यह नोर्मल कोर्स में होना चाहिये और this special provision should not be there. There should be right of appeal, इसलिये सब-क्लॉज़ (२) को डीलीट करने के लिये मैंने प्रोविज़न रखा है। जो मेरा फोर्थ वन है in sub clause (4), that it should be deleted. इसमें जो केसेज़ को डिसमिस कर दिया गया। उस कानून के माफिक नहीं था। आज नये कानून बना कर उन केसेज़ को जो उस वक्त के कानून के माफिक इल्लीगल थे या इन्वेलिड थे, आज उसको एन्टरटेनएबल बनाया जाता है। मैं समझता हूं कि from the point of law it is not correct and just ऐसा होता तो गवर्नमेंट की कई बातें सदन के सामने आई हैं। जहां पर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट यह कहती है कि पुराने एग्रीमेंटों पर हम मोरल बाइन्डिंग हैं और उस पुराने एग्रीमेंटों को मोरल बाइन्डिंग माना जा कर कम्पन्सेशन दिया जा रहा है। मगर जब प्रश्न करते हैं तो यह कहा जाता है कि यह मोरल बाइन्डिंग है। मगर मैं समझता हूं कि यह चीज़ कानून में नहीं आती। यह तो आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करते हैं! जिस समय कॉन्ट्रैक्ट लेप्स हो जाता है तो आप कहते हैं कि यह तो हमारे पर मोरल बाइन्डिंग है और इसकी वजह से ऐसा करते हैं। जब प्राइवेट इन्डिवीजुअल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वे पूरे किये जाते हैं और

(श्री पी. के. चौधरी)

जो चीज़ कानून के माफिक नहीं हो सकती आज उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है और मैं तो कहूंगा कि यह ओल्ड इस्यूज़ को वापिस रिन्यू करने की बात है । इसलिये मैं समझता हूं कि यह जस्टीफाइड नहीं है । इसलिये मेरा यही सुझाव है कि एमेंडमेंट को मन्जूर किया जाए ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो एमेंडमेंट रखा है उसके संबन्ध में मैं थोड़ा सा बेकग्राउन्ड अर्ज़ कर दूं ताकि कोई गलतफहमी न रहे और साफ़ हो जाय । मेवाड़ के समय में वहां पर शिशुहितकारणी सभा थी । वहां पर यह कानून था कि जो ठिकाने शिशुहितकारणी सभा में ले लिये जाते थे उसके खिलाफ कोई दावा सिविल कोर्ट में नही कर सकता था । वे लोग अपने दावे शिशुहितकारणी सभा में ही करते थे । वह उसको सुनती थी और उसको पॉवर था कि वह उसका फैसला करती । उसको पॉवर्स थे कि वह डिक्री दे सकती थी और उसने अपने वक्त में लाखों रुपयों की डिग्रियें ठिकानों पर दी । जिनको वे डिक्री देते वे एग्जिक्यूट कराते । मगर कर्ज़ देने वालों के पास कोई रेमेडी नहीं थी सिवाय इसके कि वे शिशुहितकारणी में अपना क्लेम पेश करते क्योंकि सिविल कोर्ट तो उनके केसेज़ को सुनती नहीं थी । लेकिन जिस समय राजस्थान बना और कोर्ट ऑफ वार्डस का एकीकरण हुआ उस समय जितने अलग अलग स्टेटों के कानून थे वे सब रिपील हो गये और इस वजह से जितनी डिग्रीज़ शिशुहितकारणी सभा द्वारा दी गई थीं, वे एग्ज़ीक्यूट नहीं हो सकती थीं । क्योंकि उसको सिविल कोर्ट एग्ज़िक्यूट नहीं कर सकती है । लेकिन जिन लोगों ने कर्ज़ा दिया जब यह मानते हैं कि कर्ज़ा दिया तब यह प्रश्न पैदा खुद होगा कि जिन लोगों ने कर्जा जागीरदारों को दिया और शिशुहितकरणी सभा से उन्होंने डिक्री कराई, तो पेमेन्ट तो उसका होना चाहिये । लेकिन इसके पहले ही शिशुहितकारणी सभा खत्म हो गई । डिग्री तो होगई, जब डिग्री हो जाती है तो यह लीगल रेस्पोन्सीबिल्टी रहती है कि उसको एग्ज़िक्यूट कराई जावे । इसलिये उसको एग्ज़िक्यूट कराने के लिये यह कानून प्रस्तुत किया गया है इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य की दलील और सब क्लॉज़ ४ के लिये यह कहना कि जो जो लीगल पेमेंट ड्यू नहीं है उसको अब इस कानून के द्वारा लीगल बनाया जा रहा है और मोरल बाइन्डिंग है यह ठीक नहीं है । जिन लोगों को डिग्री दी गई हैं । तो यह अब स्टेट को ड्यूटी हो जाती है कि उसको एग्ज़िक्यूट भी कराई जावे । वह एग्ज़िक्यूट भी होगी ।

दूसरी बात पहले आपने सब क्लॉज़ (१) में "and remaining unsatisfied in full at such commencement," be deleted. का रखा । मैं यह अर्ज करूंगा कि इसके लिये आपने दलील दी कि उस ज़माने में डिग्री की वसूली नहीं हो पाई, तो अब क्यों वसूल कराई जा रही है ? मैं यह निवेदन करूंगा कि पहले का इन्तज़ाम ऐसा था और कोर्ट ऑफ वार्डस थे और मेवाड़ में शिशुहितरणी सभा थी और उसको पॉवर्स थे । उसने डिग्रीज़ दी और अब उसने डिग्री दे दी और उसको एग्ज़िक्यूट कराते हैं तो कोई गलती नहीं करते हैं । यह एक बहुत ही आवश्यक

(श्री दामोदरलाल व्यास)

चीज़ है। कोर्ट ऑफ वार्ड्स समाप्त होने से यह वसूल नहीं हो सकी थी। सब क्लॉज़ २ को हटाने के लिए आपने रखा है।। मैं यह कहूंगा कि १९५१ में कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स एक्ट बनाया उसके बाद में जितनी डिग्रीज़ शिशु-हितकारणी सभा द्वारा दी गई थी। उसको कलेक्टर को प्रोविज़न नहीं था कि उसको एग्ज़िक्यूट करता। वह डिग्री तो ५ या ७ साल पहले हो गई इसके लिये यह अलग से प्रोसीड करें Shishu Hitkarini Samiti was constituted in the State of Mewar जो डिग्री हो गई और फाइनल हो गई। उसके लिये यहां पर एग्ज़िक्युशन के लिये यह प्रोविज़न कर रहे हैं। कोई एपील नहीं हो रही है और न उसको रिओपिन करने का प्रश्न पैदा होता है। यह तो पुरानी डिग्री हुई है, उसको एग्ज़िक्यूट कराने की बात है। माननीय सदस्य ने तीसरा एमेंडमेंट सेक्शन ४ पर पेश किया है मैं उसको उचित नहीं समझता और जिस पॉलिसी पर हम चल रहे हैं उसमें फिट नहीं होता। इस लिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य तीनों एमेंडमेंटों को विदड्रा कर लेंगे।

६ म० पू०

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अमेन्डमेंट रखे हैं। उनका मकसद यह था कि 'दी देन' जो कानून था 'दी देने' जो कन्डीशन्स थीं उन कन्डीशन्स और कानून के अन्तर्गत लोन दिया गया था, तो जिनको लोन दिया गया था, वे उस समय के कानून और कायदे से गवर्न होने चाहिये। आज हम उनके लिये नया कानून बनायें तो it must come into force from present date. जिस प्रकार प्रोवीडेन्ट फंड में कायदा है उसके अनुसार प्रोवीडेन्ड फंड में अटेचमेन्ट नहीं होता। मान लीजिये किसी विडो या माइनर को कर्ज़ दिया गया और यह समझ कर दिया गया कि जब रिटायर होंगे प्रोवीडेन्ट फंड में से उसे अटेच कर लिया जायगा, They must be governed by the conditions existing at that time. इसलिये कानून बनाते हैं कि प्रोवीडेन्ट फंड में से अटेचमेन्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा दूसरी चीज़ आती है अगर हम कोई कानून बना देते हैं। तो इसका मतलब होगा कि प्रोवीडेन्ट फंड में से भी अटेच कर लेंगे। हकीकत में क्या होता है कि लोग-बाग प्रोवीडेन्ट फन्ड में से पहले एडवान्स ले लेते हैं, जैसे किसी के पांच हज़ार रुपये प्रोवीडेन्ट फन्ड में हैं उसमें से तीन हज़ार रुपये लेकर पांच हज़ार रुपये का प्रोवीडेन्ट फन्ड दे देते हैं, इसको बाइपास करने के लिये प्रोवीडेन्ट फन्ड कानून बना हुआ है। शिशु हितकारिणी सभा के जरिये माइनर्स जो थे उनके राइटस को प्रोटेक्ट करने के लिये जो कुछ भी कर्ज़ा दिया गया, उसमें किसी प्रकार का मेलाफाइड इन्टरेस्ट नहीं था, ऐसा मानकर चलना चाहिये। मैं मानता हूं, उस समय भी जो कुछ ट्रान्जेक्शन्स हुआ उसको बोनाफाइड ही हमें मानना चाहिये। जब वह बोनाफाइड हम मान लेते हैं। तो फिर मोरेली और लीगली रेस्पोन्सिबिलिटी की बात कह कर उन डाउटफुल कन्डीशन्स के आधार पर किसी भी कानून को बनाना मैं ठीक नहीं समझता, इसलिये मैंने अमेन्डमेन्ट मूव किया कि

(श्री पी. के. चौधरी)

previous to commencement of the Act, they must be governed by the rules and laws existing at that time and not by new rules.

श्री दामोदरलाल व्यास : What is the opinion of the Hon'ble Member when the law has been repealed. Does he mean to say that we should not give any substitute forum for that ?

श्री पी. के. चौधरी : But whatever has been instituted before the repeal of the law, it should be governed by the conditions existing at that time. After the repeal, whatever there is, may be instituted under the new rules.

श्री अध्यक्ष : डिग्री नहीं दी गई तो यह एग्जीक्यूट नहीं हो सकता इसीलिये तो कानून बनाया जा रहा है।

श्री पी० के० चौधरी : They are not giving the right of appeal also against these decisions in sub-clause (2).

श्री अध्यक्ष : Do you not want to withdraw ?

श्री पी० के० चौधरी : I will withdraw it. I may be permitted to withdraw it.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ४ में पी० के० चौधरी ने रखा है उसे वापिस लेने की इजाज़त दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw the motion.

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी, Clause 5 part (b) be deleted...

श्री पी० के० चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, I move that part (b) be deleted.

The clause reads as under :—
"whose claim is founded on a cause of action which arose previously to such Thikana being placed under the administration of the Sabha, and

(a) Who had no opportunity to prove his debts before the Sabha, or

(b) Who, notwithstanding such opportunity being afforded to him after the cemmencement of the Rajasthan Court of Wards Act, 1951, did not prove his debts before the Sabha,

may bring a suit based on such cause of action within a period of one year from the date of the Commencement of this Act or within the period of limitation provided by law for such suit, whichever may be later."

अब इसके अन्दर पांच साल और दस साल बाद दुबारा मौका दिया जाता है, यह मैं ठीक नहीं समझता। The person who had failed at that time to prove, there is no reason why

(श्री पी. के. चौधरी)

he should be given a chance again after five years. He can fabricate things during these five years to prove it. So I propose that it should be deleted.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया इस सेक्शन की जो भावना है वह सिर्फ यह है कि राजस्थान कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट, १९५१ के आ जाने के बाद जो डिक्रीज़ हुई उनके एग्ज़ीक्यूशन को प्रोवाइड नहीं किया गया । इस क्लॉज़ के जरिये हम फिर से उन लोगों को मौका दे रहे हैं जिन्होंने दावे कर दिये,लेकिन उनको सेटिसफेक्शन नहीं हुआ । जिसके लिए राजस्थान कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स एक्ट में किसी प्रकार का प्रोवीज़न नहीं है इसलिए हमने इसमें इतना सा प्रोवाइड कर दिया है कि वे दुबारा दावा करके अगर ऐसी कोई बात हो गई हो तो, उसे सही करवा सकते हैं । लीगली जो राइट था स्टेच्युट भंग कर दी गई, ऑल्टरनेटिव कोई फार्म प्रोवाइड नहीं किया । इसीलिए जिनके टाइम बार हो गये उनके लिए जस्टिस होना चाहिये । जो नहीं हुआ उनको जस्टिस देने के लिए ही ऐसा प्रोविज़न किया जा रहा है । इसमें मैं समझता हूं, किसी भी माननीय सदस्य को आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

श्री पी० के० चौधरी : I may be permitted to withdraw.

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि इन्हें अपना संशोधन वापिस लेने की इजाज़त दी जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw the amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ४ और ५ विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ४ और ५ विधेयक में अंग रूप मे जोड़े गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ वन, प्रीएम्बल इत्यादि को स्वीकृत किये जांय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ एक, प्रीएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बने ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह बिल पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस बिल को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

९.९ म० प०

राजस्थान नकदी जागीर उत्सादन विधेयक १९५८

(खंडशः विचार विमर्श)

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवादित राजस्थान नकदी जागीर उत्सादन विधेयक, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

डा० बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रस्ताव था कि इस बिल को दुबारा प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : Clause by clause consideration.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

क्लॉज़ ३ पर रावराजा श्री सरदारसिंह का अमेंडमेंट है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) अध्यक्ष महोदय, मेरा क्लॉज़ ३ में सब क्लॉज़ (३) एड करने का यह एमेंडमेंट है:– Add to clause 3 the following sub—clause (3):– "In the event of the death of the holder of a cashgrant before the expiry of the period for which exgratia payments are payble to him under the second schedule, his heir or heirs lawfully entitled to succeed him shall continue to receive the same for the remaining period." माननीय अध्यक्ष, यह जो मेरा एमेंडमेंट है वह बिल्कुल ही इन्साफ को लिए हुए है, और मुझे उम्मीद है कि माननीय राजस्व मंत्रीजी इसको जरूर मान लेंगे, और मानने के इसके भी कारण हैं, क्योंकि हमारे राजस्व मंत्रीजी का दिल बड़ा ही उदार है।

(हंसी)

और यह भी मैं नम्र निवेदन करूंगा कि मैं जहां तक इस बिल का मतलब समझा हूँ, आपने जिनको कैश जागीरी मिलती थी उनके लिए यह पॉलिसी अख्त्यार की है। इसमें आपने कहा है कि जो १५ साल तक उनको कम्पेन्सेशन तय होगा तो कम्पेन्सेशन पाने वाला पेन्शन पाने वाले के मुताबिक समय से पहले ही मर जायगा तो फौरन ही वह बन्द कर दिया जायगा। तो यह तो, माननीय अध्यक्ष, बहुत भारी अन्याय होगा। बेचारा गरीब आदमी है वह पेन्शन ५०) रु० माहवार पाता है और १ महीने के बाद ही मर गया तो उस बेचारे के पीछे छोटे २ बच्चे हैं, विडोज़ हैं यह तमाम हैं, इसलिए वे बेचारे बहुत तकलीफ पायेंगे, इसलिए यह जो मेरा संशोधन है इसको आप मान लेंगे।

माननीय अध्यक्ष, मैं यह कहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्रीजी, यह जो स्टेटमेंट

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

ऑफ ऑब्जेक्टस एन्ड रीज़न्स दिये हैं:- Resumption of Jagir lands has been effected to a considerable extent. There, however still exist several classes of cash jagirs." यह जो कर रहे हैं इससे मालूम पड़ रहा है कि आखिर में यह भी लिखा हुआ है तो यह भी ले लिया जाय, तो मैं यही निवेदन करूंगा कि आप जिबे क्यों करते हैं, आप शनैः शनैः क्यों करते हैं? आपको जो कुछ गला काटना है वह एकदम कर दिया जाय ताकि बार बार में कानून लाने की नौबत नहीं पड़े। मुझे एक मिसाल याद आ गई है, अध्यक्ष महोदय, वह मैं बताना चाहता हूं।...

श्री जयेन्द्रसिंह : Is it some story telling period ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बीरबल और बादशाह का किस्सा है। एक दफा बादशाह ने बीरबल से कहा कि ऐसी तरकीब करो कि मेरे राज्य में किसी के पास भी दो पैसे न रहें। तो बीरबल ने डोंडी पिटवादी या चाहे जिस तरह से किया और साल, दो साल के अन्दर राज्य में यह हालत हो गई कि दो पैसे भी किसी के पास मिलने मुश्किल हो गये। तो बीरबल ने छानबीन करके बादशाह से कहा कि कुछ नहीं है और अब राज्य भर में किसी के पास दो पैसे भी नहीं मिलेंगे। बादशाह ने क्या किया कि कपड़ों और जेवरों से लादकर अपनी एक लौंडी को राज्य भर में फिरवाया कि किसी के पास दो पैसे हों तो इसको ले ले। वह सब जगह फिर गई, लेकिन दो पैसे भी राज्य भर में किसी के पास नहीं मिले। तो न मालूम एक मुसलमान बुढ़िया थी उसके एक लड़का था वह उसको देखकर उस पर आशिक हो गया (हंसी) और कहने लगा कि मैं तो इसको लूंगा। उसकी मां ने बहुत कहा कि तेरा दो पैसा मिलना तो राज्य भर में मुश्किल हो रहा है, यह कैसे हो सकता है? लेकिन लड़का न माना और छुरी निकाल कर मरने लगा तो मां ने कहा कि बेटा ऐसे क्यों मरता है? तू ऐसा कर कि तेरा बाप जब मर रहा था तो दो पैसे मैंने उसके मुंह में डाले थे और वह कब्र में गड़ा है इसलिए अगर वे पैसे हों तो तू जाकर कब्र से निकाल ला। उसने जाकर कब्र को खोदा तो शरीर तो सब खत्म होगया था। लेकिन उसकी खोपड़ी में उसमे दो पैसे पाये। उसने ले जाकर उसको दिये और उसने ले जाकर बादशाह को दिये तो बादशाह ने कहा कि उस लड़के को बुलाओ। लड़का बुलाया गया तो बादशाह ने उससे पूछा कि तुम यह दो पैसे कहां से लाये। उस लड़के ने बताया कि मेरी मां ने कहा था कि तेरा बाप जब मर रहा था, उस वक्त मैंने उसके मुंह में दो पैसे रखे थे तो उसकी कब्र को खोद कर ले आ। इस पर बादशाह ने हुक्म दिया कि तमाम राज्य की कब्रों को खोद दिया जाय। तो इस तरह से हमारे राजस्व मंत्रीजी खोद खोद कर लाते हैं कि यह जागीर रह गई, वह जागीर रह गई। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आखिर १५ वर्ष दिये हैं तो कोई गरीब हैं, कोई विडोज़ हैं, कोई छोरे हैं उसके तो कम से कम १५ वर्ष का अर्सा है तब तक उसके जो बेटे हैं, बच्चे हैं....

श्री जयेन्द्रसिंह : १५ वर्ष का तो है उसमें।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह मिलता रहना चाहिए। यह क्यों बन्द करना

(श्री रावराजा श्री सरदारसिंह)

चाहते हैं। मैं नम्र निवेदन करूंगा कि आप इसको मान लें। आप जैसे उदार हैं वैसे बनें। परशुराम का अवतार धारण न करें। यह बिल्कुल साफ़ है। इसमें क्या नुकसान है?

श्री अध्यक्ष : जागीर रिजम्पशन एक्ट में इस तरह का प्रोविज़न है क्या? उसमें है तब तो इसमें भी होना चाहिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तब तो इसमें भी होना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): मैं अभी एक एमेंडमेंट पेश कर रहा हूं और यह जो एमेंडमेंट माननीय सदस्य ने पेश किया है, आपने फरमाया है कि इसमें होना चाहिए, वह उसमें है। एक एमेंडमेंट मेरी तरफ से पेश करूंगा। जिस तरह से आपने किया है वह न फिट है और न कोई तरीका है। मगर आपकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए मैं एक एमेंडमेंट पेश करूंगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसका मतलब यह कि....

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब यह है कि आप और बोलते जायेंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : Yes, thank you very much

श्री लक्ष्मीचंद : अध्यक्ष महोदय, श्री सरदारसिंह ने जो एमेंडमेंट रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

एक माननीय सदस्य : वह मान लिया

श्री अध्यक्ष : किस क्लॉज़ पर बोल रहे हैं।

श्री लक्ष्मीचंद : मुझको बोलने दें।

श्री अध्यक्ष : हां बोलिए।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, अगर एक प्रकार से इस तरह से कैश जागीर को जागीर माना जाता है तो जागीर रिजम्पशन एक्ट के मातहत जो जागीरदारों से जागीर रिज्यूम की गई हैं। उसमें यह प्रोविज़न है कि जो जागीरदार मर जायगा तो उसके सक्सेसर होंगे तो उनको जो कम्पेन्सेशन मिलने वाला है वह उनको मिलेगा। उसके जो उत्तराधिकारी होंगे उनको मिल जायगा। अध्यक्ष महोदय, अगर इसको एक प्रकार की जागीर माना जाता है तो इसके उत्तराधिकारी को कम्पेन्सेशन मिलना चाहिये और उसके लिए क्लॉज़ (३) है वह बन गया है और इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। जब राजस्व मंत्रीजी इस बात को तैयार हैं, वे इस चीज को मानने के लिए तैयार हैं, इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसके संबंध में एक सुझाव है। वह यह है कि जहां तक एबोलिशन का सवाल है वह ठीक है, लेकिन जहां पर विधवाओं का सवाल है। उनके लिए टाइम लिमिट फिक्स नहीं होनी चाहिये। यह जो १० वर्ष या १५ वर्ष दिया गया है उसके बाद लिमिट खत्म हो जाती है और उसके बाद में विधवाओं के लिए जीविका का कोई चारा नहीं है। उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एमेंडमेंट रखा है तो

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

उसमें विधवाओं का सवाल है उसको डिफरेंशियेट करना चाहता हूं उसमें टाइम लिमिट दी हुई है। तो वह उसके बाद खत्म हो जायगा वह उस समय तक मिलेगा। विधवाओं के लिए समय निश्चित कर दिया है तो उसके बाद विधवाओं के लिए कोई साधन नहीं होगा। विधावओं के लिए वह आजीवन मिलना चाहिये। विधवाओं के लिए समय निश्चित नहीं हो। इस प्रकार से माननीय राजस्व मंत्रीजी ...

श्री अध्यक्ष : जिन विधवाओं को जो अलाउन्स मिल रहा है उनके लिए है।

एक माननीय सदस्य : होने वाली विधवाओं के लिए नहीं।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : विधवाओं के लिए क्या हो ?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जिन विधवाओं को मिल रहा है उनको उस टाइम लिमिट के अन्दर खत्म नहीं होना चाहिए बल्कि जीवित रहें तब तक मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सब के लिए नहीं कम से कम ५०) रु० से जो कम हों।

डॉ० बहादुरसिंह : इसमें निवेदन यह था कि इस प्रकार के जो जागीरदार मरते हैं उनकी विधवाओं को इस प्रकार का कम्पेन्सेशन हो उसके लिए कुछ प्रोविज़न होना चाहिए।

दूसरा, जो लोग अपंग हैं, उनके लिये होगा। इसके अलावा जो समय निर्धारित किया गया है वह ऐसा है कि यदि कोई जल्दी मर गया तो वह बंद हो जायगा। यदि ५० रु० माहवार देते हैं और वह मर जाता है उसके पीछे औरत है और बच्चा है तो वह इस प्रकार होना चाहिये जिससे उनका गुजारा हो जाय। यदि जागीर समाप्त करते हैं तो १५ साल में गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है, तो यहां भी यह प्रोविजन होना चाहिये कि १५ साल तक मिलता रहेगा बजाय अभी खत्म होने के। तो जो अपंग हैं, विधवाएं हैं या नाबालिग हैं उनके लिये राहत के लिये कुछ करना चाहिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वह तो कुदरती हो जायगा।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं भी इस कमेटी का सदस्य था और जिस दिन कमेटी की डेलीबरेशन्स हो रही थी, उस दिन मेरा एडजोर्नमेंट मोशन था, इसलिये मैं वहां पर उपस्थित होकर अपने सुझाव नहीं दे सका, इसलिये उपस्थित होकर अपने सुझाव नहीं दे सका, मेरा इस पर नोट ऑफ डिसेन्ट भी है जो इसलिये है कि जैसा कि सैकन्ड शिड्यूल में लिखा है कि अमुक पीरियड खत्म हो जाने के बाद और उसके आगे किसी प्रकार का कंपेनसेशन नहीं मिलेगा, मतलब यह कि जब तक रिसीपेन्ट जिन्दा है तब तक मिलेगा, उसकी डेथ के बाद नहीं मिलेगा तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि बाइवे ऑफ कंपेनसेशन माना है तो जागीर रिजम्पशन एक्ट में भी बाइ वे ऑफ कंपेनसेशन माना है, उसमें भी सकसेसर को मिलने का हक मिला है, इसलिये इसमें भी मिलना चाहिये था। बाइ वे ऑफ कंपेनसेशन है नोट एक्सग्रेशिया।

(श्री अनोपसिंह)

इसलिये जब कि रिज़म्पशन ऑफ जागीर एक्ट में भी यह बात है तो यहां पर भी इसको बढ़ादें ताकि सक्सेसर्स को भी मिल सके, यह एडिशन इसमें होना चाहिये। यह इम्पोर्टेन्ट चीज़ है। किसी वजह से लॉ डिपार्टमेंट का ध्यान इस ओर नहीं गया, अब अगर इसमें संशोधन कर दें तो भी कोई बात नहीं है। एक पोइन्ट मेरा और था....

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनिट के लिये अर्ज़ कर दूँ....

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपना एक सुझाव दे दूं।

श्री अध्यक्ष : मुक्तिलालजी कहते हैं वह भी सुन लीजिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल मन्त्रीजी ने रखा है। यदि ज़ागीर रिज़म्पशन एक्ट में यह बात है कि वारिस वगैरा दूसरे लोग हैं उनको मिलना चाहिये तो उसके लिये भी मन्त्रीजी को यहां पर संशोधन बिल लाना चाहिये और ज़ागीर रिज़म्पशन बिल में संशोधन करके उनको भी नहीं मिलना चाहिये। क्योंकि इससे एक आदमी इस पर ही आमादा होकर दूसरा काम नहीं कर सकता और जागीर के ऊपर निर्भर रहता है और जो कुछ उसको इससे मिलता है उस पर ही आश्रित रहता है। तो सरकार ने जितना किया उससे राजपूत तो बर्बाद हो गये। तो क्या सरकार औरों को भी बर्बाद करना चाहती है...

श्री अनोपसिंह : क्या यह राजपूतों पर ही लागू होगा?

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो जैसा मेरा ख्याल है जिनके लिये ज़ागीर नहीं है उनका सरकार क्या करती है, जो विधवाएं हैं उनके लिये सरकार क्या करती है....

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : माननीय सदस्य के तो कोई आगे-पीछे है नहीं...

एक माननीय सदस्य : इनसे कौन विधवा होगी?

श्री अध्यक्ष : तभी तो भैयाजी से बोल रहे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : जिस तरह का संशोधन आया है उसको पास करना चाहिये और अलग अलग महानुभावों ने जो जो सुझाव दिये हैं वे सुझाव गलत हैं, और मैं तो उनको इसलिये गलत मानता हूँ कि आज नहीं तो आज के पांच वर्ष बाद तो समानता का व्यवहार सारे हिन्दुस्तान में करना चाहते हैं, पूंजीवाद और जागीरदारी को खत्म करना चाहते हैं और सब को एक समान देखना चाहते हैं उसको देखते हुए अगर कोई ऐसी चीज़, रिज़म्पशन ऑफ ज़ागीर एक्ट में है तो उसके लिये भी मंत्रीजी को अमेन्डमेन्ट लाकर खत्म करना चाहिये....

एक माननीय सदस्य : God save the Mantriji.

श्री अध्यक्ष : आपका सुझाव समझ गये।

श्री मुरलीधर व्यास : संशोधन के बारे में मैं २ मिनिट में कुछ अर्ज़ कर दूं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अभी तो मैं बोल रहा हूँ !

श्री अध्यक्ष : आपका सुझाव समझ गये ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इसको मंजूर कर रहा हूं, फिर ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : एक सुझाव और सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष : एक सुझाव कॉम्युनिस्टों का सुन लिया, अब सोशलिस्टों का और सुन लीजिये ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, यह सहायता से सम्बन्धित है, उसके लिये नीति जरूर सरकार की स्पष्ट होनी चाहिये । मैं समझता हूं एक प्रकार से कम्पेनसेट करते हैं और जो कम्पेनसेशन दिया जाता है, मैं देखता हूं मज़दूरों को कम्पेनसेशन देने का कोई सवाल आता है और किसी मज़दूर के चोट लगती है तो उसको कम्पेनसेशन दिया जाता है, लेकिन उस हालत में दिया जाता है कि उस मज़दूर के जिसके चोट लगी है उसके पीछे कोई औरत है तो उसको कंपेनसेट किया जाता है और यदि उसके पीछे औरत नहीं होती है तो उसको कम्पेनसेट नहीं किया जाता तो यह नीति का सवाल है । इस मसले पर संशोधन इस प्रकार का है कि सहायता मिलनी चाहिये, मैं भी मानता हूं कि सहायता मिलनी चाहिये लेकिन यह भी ख्याल करना चाहिये कि उसके पीछे कोई स्त्री है या नहीं । यदि उसके पीछे औरत नहीं है और एक लड़का है और वह कमाता है, अच्छी तनख्वाह पाता है और अपने पिता पर आश्रित नहीं है, फिर भी आप उसको कम्पेनसेशन देते हैं तो इस प्रकार देना मतलब नहीं रखता । इसलिये इस बात को मद्देनज़र रखते हुए यदि उसके औरत है तो कम्पेनसेट करना चाहिये । और यदि नहीं है तो नहीं करना चाहिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, उनियारे से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है उसकी स्पिरिट को मैं स्वीकार करता हूं...

श्री अध्यक्ष : शिड्यूल को भी अमेन्ड करना पड़ेगा ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कांसी-क्वेन्शियल अमेन्डमेन्ट्स होंगे ।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो अमेन्डमेन्ट माननीय सदस्य ने पेश किया है उसकी आवश्यकता नहीं है । मैं अपनी तरफ से दूसरा अमेन्डमेन्ट पेश करता हूं और वह यह है कि क्लॉज़ ३ में जो ex-gratia शब्द है उनको ओमिट कर दिया जायगा । शिड्यूल ५ में अमेन्डमेन्ट नं० ५ पेश किया है उसको मैं स्वीकार करता हूं उसमें लिखा है : Delete in second schedule in column 2, the words appearing as :—'Or till the date of the receipients death whichever is earlier." उसको डिलीट कर देंगे, शिड्यूल से मतलब नहीं होगा । जो पीरियड फिक्स किया है उसके लिये मिलता रहेगा । अर्ली डेथ का सवाल नहीं होगा, पर्सनल लॉ का सवाल आ जायगा ।

एक माननीय सदस्य : विधवाओं के लिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सिलेक्ट कमेटी में विधवाओं के प्रश्न को लेकर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री दामोदरलाल व्यास (जारी) : बेवाओं के प्रश्न को लेकर सिलेक्ट कमेटी ने सुझाव दिया था कि बेवाओं के लिये रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिये, ५ या १० साल तक नहीं होकर लाइफ लोंग होना चाहिये। जब तक वह जिन्दा रहे तब तक मिलता रहे, इसको मैंने स्वीकार किया था। मैं सदन से अर्ज करता हूं कि गवर्नमेन्ट ने पहले ही इसका ख्याल रखा है कुछ प्रिन्सेज़ हैं, कुछ जागीरदार हो सकते हैं, इनके बारे में गवर्नमेन्ट की जो नीति है उसके बारे में अर्ज करता हूं :

यह नम्बर दो जो है "Nothing in this Act or in the rules made thereunder shall affect:—

(1) grants of money made or recoegnised to have been made by the Government in any part of the State...

(2) or such other grants of money as the State Government may, from time to time, by notification in th official Gazette, declare to be exempt from the provisio ns of this Act."

And that declaration I make in this House regarding. जो चेरिटेबिल पर्पज़ के लिए मिलने वाला पेमेन्ट है उसके लिए इसके अन्दर कि गवर्नमेंट उसको एग्जेम्प्ट कर देगी

"(1) grants of money made or recognised to have been made by the Government in any part of the State or by the Ruler of a covenanting State for charitable or religious purposes or partly for charitable and partly for religious purposes,..."

श्री जयेन्द्रसिंह : यह बिल के अन्दर आना चाहिये। Sir, it should come in the Bill also.

श्री अध्यक्ष : अमेंडमेंट के सम्बन्ध में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां। It was agreed that it will be covered and especially when I make a statement in the House the presumption is that it has to be made. No Government can escape it.

श्री अमृतलाल पायक : माननीय अध्यक्ष, मैं भी सिलेक्ट कमेटी में मेम्बर था, मैंने नोट ऑफ डिसेन्ट संक्षेप में दिया है। माननीय मन्त्री महोदय ने वक्तव्य दिया है वह ठीक है लेकिन इसके पहले दफा ६ है, उसमें है : "or for the maintenance of widows, or" ये शब्द जोड़ दें, तो मतलब हल हो जाता है। आगे आपने डिस्क्रीशनरी पॉवर्स नोटीफाइ करने पर छोड़ दी हैं.... सब-क्लॉज़ दो के 'एंड में,' जैसा मैंने सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के साथ नोट ऑफ डिसेन्ट में रखा है, रखा जाय। That will serve the purpose more efficiently than keeping this (discretionary power). Therefore, I have put to the House my note of dissent, for this purpose in Section 6.

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष

(श्री दामोदरलाल व्यास)

महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात बताई, मैं निवेदन करूंगा कि यह इस विषय से डील नहीं करता है, यह केस जागीर अबोलिशन बिल, केस जागीर को अफेक्ट करेगा। मेन्टेनेन्स का प्रश्न अलग है। उसको गवर्न करने के लिए इस बिल का सम्बन्ध नहीं है।

श्री अमृतलाल पायक : श्रीमान् क्लॉज़ ३ में शब्द शिड्यूल लिखा हुआ है, उसमें शब्द एक्स ग्रेसिया आता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : उसमें 'मेन्टेनेन्स' शब्द इस्तेमाल किया है। यह ग्रान्ट उनके लाइफ टाईम तक कन्टिन्यू रहेगी।

श्री अमृतलाल पायक : यह प्रोवीज़ो अडॉप्ट हो जाय कि उनको जो मिल रहा है वह कन्टीन्यू करे।

श्री दामोदरलाल व्यास : This law governs cash jagirs, मेन्टीनेन्स का सवाल नहीं।

श्री अमृतलाल पायक : उनका खान-पान मेन्टेनेन्स में आयेगा। मेन्टीनेन्स का मतलब खान-पान में आयेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज करूं कि आप इसे विद्ड्रॉ करें।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय अध्यक्ष, माननीय राजस्व मन्त्री ने मेरा अमेंडमेंट खुद ने नहीं माना है। आप खुद कहते हैं कि मैं अमेंडमेंट देता हूँ, इसमें कोई बात नहीं है, अमेंडमेंट मैं दूं या आप दें, इससे पर्पज़ सर्व होना चाहिए। नं० ५ में जो अमेंडमेंट दिया है, वह कान्सीक्वेंश्यल चेंज हो जाती है, इसलिए मैं राजस्व मन्त्री को उनकी उदारता के लिए बधाई देता हूं और....

श्री दामोदरलाल व्यास : शुक्रिया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं निवेदन करता हूं कि आपके आश्वासन पर अमेंडमेंट वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ६ में प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं। अमेंडमेंट मान लिया तो वह पास हो गया।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय का अमेंडमेंट है कि शब्द 'एक्स ग्रेसिया' हटा दिया जाय....क्लॉज़ तीन में से एक्स ग्रेसिया शब्द हटा दिया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बना।

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

संशोधित क्लॉज़ ३ अंग रूप से विधेयक में जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉजेज़ क्लॉजेज़ ४ व ५

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ४ व ५ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ४ व ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ ६, श्री पी० के० चौधरी।

(श्री पी० के० चौधरी अनुपस्थित)

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ व ७ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ६ व ७ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

शिड्यूल भी इसके साथ ले लें ?

रावराजा सरदारसिंह : इसको हटा रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That is in the second schedule.

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी ने जो अमेंडमेंट रखा है उसके बाद आपके अमेंडमेंट की क्या आवश्यकता रह जाती है?

(विराम)

श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, my amendments are :—

"1. Insert the words 'calculated at monthly rate' between the words 'to the amount' and 'of the cash jagir,' and delete the words 'a monthly' occuring first.'

A person in receipt of a cash jagir to which this Act applies will be paid by way of compensation. a ex-gratia payment equal to the amount calculated at monthly rate of the cash jagir being paid...

अध्यक्ष महोदय, इसका तात्पर्य यह है कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट से फर्स्ट शिड्यूल की जो परिभाषा बनती है, उसका मतलब यह है कि जो मन्थली पेमेन्ट है, उसके लिए यह है। लेकिन किसी शख्स को सिक्स मन्थली मिलता है, किसी की केश जागीर है, उसको सालाना मिलता है। इसलिए इसकी परिभाषा से साफ नहीं होता है। इसकी परिभाषा ऐसी बननी चाहिए कि मन्थली केल्कुलेट करके, साल भर तक मन्थली केल्कुलेट करके, १२ महीने का केल्कुलेशन जोड़ दे और फिर उसे एक महीने में फैलाव करके मिलना चाहिए। यह जो पर्पज़ है इसकी डेफीनेशन में कमी है। मैंने जो अमेंडमेंट रखा है, उसको स्वीकार कर लें तो पर्पज़ सर्व होता है। ऐसी हालत

(श्री लक्ष्मीचन्द)

में यह अमेंडमेंट होना जरूरी है। इस अमेंडमेंट के होने से स्पष्ट हो जायगा और जिनको सालाना मिलता है, वह मन्थली केल्कुलेट करके दे दिया जायगा, because cash jagirs we have already provided.

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य ने कहा है मन्थली रेट रखें। मोड ऑफ पेमेन्ट में लिखा है : "a monthly ex-gratia payment equal to the amount of the cash jagir being paid" इसका मतलब यह नहीं है कि मन्थली वर्ड एप्लाई होगा और सिक्स मन्थली वर्ड एप्लाई नहीं होगा। यह तो इन्टरप्रिटेशन ठीक नहीं है। केश जागीर का यह कानून ऑलरेडी कई जगह इन फोर्स है।

श्री रघुवीरसिंह : आपने आगे कहा है : "by way of compensation a monthly ex-gratia payment equal to the amount of cash jagir being paid monthly..." उसका मतलब यह होगा कि एक्सग्रेशिया जो सरकार की तरफ से हमारे लिये मिलता है, वह नहीं देंगे। इसको क्लीअर कीजिये।

श्री अध्यक्ष : वे कहते हैं कि कोई ग्रान्ट है, वह इयरली या हाफ इयरली दी जाती है वह कवर होती है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जरूर होगी। इयरली, हाफ इयरली कवर होगा। Payment shall be equal to the amount of the cash jagir being paid to him immediately before the passing of the Bill.

श्री रघुवीरसिंह : इसके लिए मैं अर्ज़ करता हूं कि इसको बदल दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मन्थली एवरेज़ मान लें।

श्री दामोदरलाल व्यास : Monthly or average monthly rate of cash jagir ? एक मिनट जरा।

श्री अध्यक्ष : एग्जेक्ट वर्ड्स क्या हों, उसके बारे में बाद में निश्चित करके बता दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : सैकिंड टाइम जो वर्ड्स आये हैं उनके बारे में मैं अर्ज़ करूंगा। We can accept this, Sir.

श्री अध्यक्ष : नीचे क्लॉज़ १ में है : "monthly rate of cash jagir" We can omit the words which are likely to create some confusion.

श्री दामोदरलाल व्यास : पेमेन्ट का तरीका रखा है।

श्री अध्यक्ष : मन्थली रखें। उसके नीचे ५०) रुपया लिखा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : "Being paid monthly" this can be deleted.

श्री अध्यक्ष : "Monthly rate of cash jagir if such cash jagir being so paid."

श्री दामोदरलाल व्यास : "Does not exceed fifty rupees per mensem" ? That will be alright Sir.

श्री अध्यक्ष : जी, हां।

श्री रघुवीरसिंह : No Sir. मान लीजिये सिक्स मन्थली देते हैं तो एक महीने के हिसाब से केल्कुलेट कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष : If you are satisfied that the language of the Bill covers the intention of the House.

श्री दामोदरलाल व्यास : Certainly, Sir. We have to pay up like this every month, otherwise there is no question.

श्री अध्यक्ष : 'being paid monthly.'

(विराम)

श्री दामोदरलाल व्यास : "being paid monthly." If he is paid today, he will be paid if he is not....

श्री रघुवीरसिंह : हाफ इयरली, इयरली रखें तो यह समस्या हो सकती है। अगर मन्थली रख लें तो सिक्स मन्थली क्या होगा, इयरली क्या होगा, वह निकल जायगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर रहा हूं, बीइंग पेड मन्थली कर दिया जाय।

श्री रघुवीर सिंह : "Monthly rate of cash Jagir, if such cash Jagir being so paid." If the cash Jagir is monthly, then he gets it, if it is not being paid mothly, then he does not get it.

श्री दामोदरलाल व्यास : 'बीइंग पेड मन्थली' कर रहे हैं।

श्री रघुवीर सिंह : आप शिड्यूल के हैडिंग का मुलाहिजा करें। इससे नीचे के अधिकारी अधिकार ले लेंगे और बाद में अमेंडमेंट करना पड़ेगा और बाद में रोते फिरेंगे।

श्री अध्यक्ष : We can consult our legal draftsman.

श्री दामोदर लाल व्यास : Sir, I have consulted and actually speaking the purpose will be served by omission of this word 'monthly' in third line of this second schedule.

इसके बाद में क्या होता है, केलकुलेशन हो जायगा। मन्थली किया है इसलिए केलकुलेशन करना पड़ेगा, चाहे ६ महीने बाद मिलता हो या साल भर में मिलता हो।

श्री रघुवीरसिंह (जावली) : आपने कहीं लिखा है, मन्थली के हिसाब से केल्कुलेट कर लेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not necessary.

श्री रघुवीर सिंह : नेसेसरी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अमेंडमेंट बतला दीजिये।

श्री रघुवीरसिंह : अमेंडमेंट दिया गया है :

Page No.64

(श्री रघुवीरसिंह)

"equal to the amount calculated at monthly rate of the cash Jagir.'

श्री तनसिंह : अमेंडमेंट सैकिंड है, इसमें हैं....

"Monthly rate of case Jagir if such cash Jagir being so paid."

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या अमेंडमेंट है, जरा बता दीजिये।

श्री तनसिंह : इसमें लिखा हुआ है :

"Monthly rate of cash Jagir, if such cash Jagir being so paid." इस जगह लिखना है : "Cash Jagir calculated at monthly rate" यह है।

श्री अध्यक्ष : We can keep over this till tomorrow.

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें कुछ नहीं है साहब, केवल थोड़ा सा लैंग्वेज़ का सवाल है, जो ठीक है।

श्री अनूपसिंह ; आप यह लेकुना क्यों रखते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लेकुना का सवाल नहीं है। आप कोई अच्छे शब्द बताइये। आप जो बता रहे हैं उससे पर्पज़ सर्व नही होगा।

श्री अध्यक्ष : (श्री दामोदरलाल व्यास को फाइलों में तल्लीन देख कर) यह ड्राफ्टिंग का सवाल है, उतावली की बात नहीं है . . . .

श्री तनसिंह : कल रख दीजिये, हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे।

श्री दामोदरलालव्यास : नहीं, नहीं We are giving an alternate draft. It will take two minutes more.

श्री अध्यक्ष : अगर माननीय सदस्य एग्री करें कि ज्यादा बहस नहीं करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : No, Sir, It will take only two minutes..

श्री अध्यक्ष : It is only for your satisfaction.

श्री दामोदरलाल व्यास : I am quite satisfied.

श्री अध्यक्ष : 'मन्थली' शब्द कई जगह प्रयोग में लिया है।

श्री तनसिंह : इसमें कन्फ्युज़न है, कन्फ्युज़न को मिटाना चाहते हैं।

श्री जयेन्द्रसिंह : To avoid the confusion, everything should be made clear.

श्री दामोदरलाल व्यास : सजेशन नहीं दिया है इसमें आपने। You have not given any suggestion.

श्री जयेन्द्रसिंह : सजेशन दे रहे हैं, there is nothing to get annoyed.

श्री अध्यक्ष : लैंड रिफॉर्म्स के कानून में स्पेसिफिक प्रोविज़न है, तो क्या आप समझते हैं इसमें इस प्रकार के प्रोविज़न की जरूरत नहीं रहेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसमें १५ इयर्स का रखा गया है तो वहां पर्सनल लॉ गवर्न करता है। किसी जागीरदार की मृत्यु हो गई तो जो टीकाई लड़का होता है वह हकदार बनता है, इसलिये पर्सनल लॉ एप्लाई होता है।

यह जो सेक्शन ३ में अमेन्डमेंट रखा है, उसका मतलब यह है कि एकोर्डिंग टू पर्सनल लॉ उनको मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : तब आप बता दीजिये कि कौन सा प्रोपोज़ल क्या है ?

(श्री दामोदरलाल व्यास द्वारा कागजों को देखने लग जाने के कारण अल्पविराम)

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है तो क्या मैं यह मूव कर दूँ कि हाउस कल के लिये एड्जौर्न कर दिया जाय।

श्री तनसिंह : कल ले लिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : It will not take much time.

श्री अध्यक्ष : इतना ठहर गये, तो अब दो मिनिट में क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I do not mind, if the Members are not in a mood to discuss this amendment.

For the heading of the column 1 of second schedule, substitute the following for the "Monthly rate of cash jagir, if such cash jagir being so paid"

श्री अध्यक्ष : If the monthly...

श्री दामोदरलाल व्यास : "For the monthly rate of cash jagir if such cash jagir being so paid."

श्री रघुवीरसिंह : सर्कुलेट कर दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : We can put it for tomorrow, if they don't want to...

श्री अध्यक्ष : Should we put it for tomorrow ? This is a question of legal drafting and we should not rush it over. All the Members have agreed not to take much time on this.

श्री दामोदरलाल व्यास : Tomorrow, yes.

श्री अध्यक्ष : This would not take more than 10 minutes after this.

अनेक माननीय सदस्य : सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट के बीच में नहीं, साहब।

श्री अध्यक्ष : १० मिनिट में खत्म कर देंगे पहले।

श्री रघुवीरसिंह : हमारा पॉइन्ट ऑफ व्यू था, वह आपने समझ लिया। अब आप

(श्री रघुवीरसिंह)

इसे दृष्टि में रखते हुये जो उचित हो कर लें ।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल ८ बजे प्रातःकाल तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ६. ३८ बजे सायंकाल दिनांक २४ अप्रेल १९५८ के म. पू. ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(बुद्धवार २३ अप्रेल, १९५८)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

एस० डी० एम० दौसा की अदालत में दफ़ा १०७ के अन्तर्गत तहसील लालसोट के विचाराधीन मामले ।

जल वितरण योजना, नगरपालिका भीनमाल ।

नर्सरीज़ के लिये आगरे से काली पौद के पौधों का मंगवाया जाना ।

थानेदार भादरा तहसील के विरुद्ध रिश्वत के आरोप ।

औषधालय ।

पहाड़ी कामां रोड ।

पुलिस विभाग द्वारा रखी जाने वाली व्यक्तिगत फाइलें ।

जिला बोर्ड, सवाई माधोपुर ।

पशु चिकित्सालय ।

नगरपालिका. धौलपुर ।

देवगढ़-भीलवाड़ा सड़क ।

रोड नं० ५ सरदारपुरा, जोधपुर स्थित हरिजन बस्ती में बिजली व्यवस्था ।

८२७३ ठेकेदारों का बकाया रकम का भुगतान ।

सिटी बस सर्विस, जयपुर के विरुद्ध की गई शिकायतें ।

हाथमनी जोड, जसवंतपुरा में वृक्षारोपण ।

चिकित्सालय, बांसवाडा ।

डूंगरपुर सरथुना रोड ।

श्रम-हितकारी केन्द्र, पाली ।

नर्सरीज़, वन विभाग ।

चोरियां ।

नगरविकास मंडल, जयपुर ।

भरतपुर के डिप्टी एस० पी० के विरुद्ध आरोप ।

जल कष्ट निवारण व्यवस्था, राजगढ़ (चुरू) ।

अलवर-दिल्ली रूट के लिये दिये गये आवेदन-पत्र ।

जयपुर इर्रीगेशन ईस्ट और वैस्ट के नीचे के कामों के वर्क ऑर्डर ।

पंचायत भवन निर्माण, दौसा ।

चांदपोल बाजार रोड़, जयपुर ।

स्कम्भ

स्कम्भ

अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर (ग्राम पंचायत आंवा (तहसील दूनी) का चुनाव)।

मेजर फतेहसिंह, सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी।

सदन से अनुपस्थिति के लिये अनुमति ८३४५

निम्नांकित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई:—

१. श्री रामप्रसाद लढ्ढा दिनांक २१–४–५८ से १८–४–५८।

२. श्री जनार्दनराय नागर दिनांक २३–४–५८ से सत्र के अन्त तक।

राजस्व मंत्री का बांसवाड़ा जिले की अकाल स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य ८३४५

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री ने जिला बांसवाडा में अकाल की स्थिति पर एक वक्तव्य दिया।

सदन की मेज पर रक्खी गई रिपोर्ट ८३६६

(उच्चतम भूमि सीमा निर्धारण समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन)।

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व

स्कम्भ

मन्त्री, ने राजस्थान में कृषि भू-क्षेत्रों की अधिकतम सीमायें निर्धारण करने के लिये नियुक्त की गई समिति की रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखी।

१. मेवाड शिशु हितकारिणी सभा आज्ञप्ति (अनुपालनीयता) विधेयक, १९५७ (प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित)।

(खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)।

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय जो स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् विधेयक पर खण्डशः विचार किया जाकर उसे सदन द्वारा पारित भी किया गया।

राजस्थान नकदी जागीर उत्पादन विधेयक, १९५८ ८३७७

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान नकदी जागीर उत्पादन विधेयक, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय जो सदन द्वारा स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

Page No.69

स्कम्भ

खण्ड २:—बिना संशोधन के स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३:—उप खण्ड (२) में 'Ex-gratia' शब्द विलोपित किया जाकर खण्ड संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड ४ से ७:—बिना संशोधन के स्वीकार किये गये।

स्कम्भ

गुरुवार, २४ अप्रेल १९५८ की कार्य सूचि

(१) राजस्थान नकदी जागीर उत्सादन विधेयक १९५८(प्रवर समिति को)

(२) अधिकतम सीमा समिति की रिपोर्ट (वाद-विवाद)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५३६ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE AVERACE MONTHLY EXPENDITURE OF ONE FIRST CLASS VERY. HOSPITAL, ONE SECOND CLASS HOSPITAL AND ONE VETERNARY DISPENSARY

	Pay of establishment.	Medicines.	T. A.	D. A.	Contingencies.
ONE 1st Class Vety, HOSPITAL	1000/-	300/-	200/-	358/-	50/-
ONE 2nd CLASS VETY HOSPITAL	550/-	150/-	150/-	390/-	25/-
ONE VETY. DISPENSARY	200/-	50/-	60/-	120/-	15/-

VETERINARY DISPENSARIES IN RAJASTHAN.

JODHPUR DISTRICT.

1 Phalodi
2 Shergarh
3 Khejarla
4 Baap

JALORE DISTRICT

5 Sanchore
6 Bhinmal
7 Jaswantpura
8 Ahore

BARMER DISTRICT

9 Balotra
10 Gunga
11 Siwana
12 Chohtan

JAISALMER DISTRICT

13 Pokaran
14 Ramgarh

NAGAUR DISTRICT

15 Didwana
16 Nawa
17 Kuchaman city
18 Parbatsar
19 Ladnu
20 Jayal
21 Degana
22 Mundwa
23 Kuchera

PALI DISTRICT

24 Desuri

25 Sumerpur

26 Jetaran

27 Sadri

28 Marwar Junction

SIROHI DISTRICT

29 Pindwara

30 Roodar

BIKANER DISTRICT

31 Loonkaransar

32 Nokha

33 Kolayat

CHURU DISTRICR

34 Dungargarh

35 Sujangarh

36 Sardarshahar

37 Taranagar

38 Sadulpur

GANGANRGAR DISTRICT

39 Nohar

40 Anoopgarh

41 ... ...

42 ... ...

UDAIPUR DISTRICT

43 Salumber

44 Kherwara

45 Bhim

46 Kanore

47 Kumbhalgarh

48 Dhariawad

49 Nathdwara

50 Zadol
51 Deogarh
52 Amet

CHITTORGARH DISTT.

53 Kapasin
54 Chhoti Sadri
55 Begun
56 Kanera
57 Arnod
58 Nimbhahera
59 Bhosrolgarh

BANSWARA DISTRICT

60 Kushalgarh
61 Garhi
62 Ghatol
63 Bhagidora

DUNGARPUR DISTRICT

64 Sagwara
65 Aspur

BHILWARA DISTRICT

66 Asind
67 Gulabpura
68 Jahajpur
69 Gangapur (Shahara)
70 Mandalgarh
71 Karera
72 Raipur
73 Banera

KOTAH DISTRICT

74 Ramganj Mandi
75 Kishanganj

76 Simlia
77 Handana
78 Sangod
79 Siswali
80 Chipabarod
81 Mangrol
82 Indargarh
83 Shahbad
84 Atru
85 Itawa
86 Antah

JHALAWAR DISTRICT

87 Eklera
88 Bhawanimandi
89 Dug.
90 Bakani
91 Sunel Thapa
92 Manohar Thana
93 ... ...

BUNDI DISTRICT

94 Kanera
95 Hindoli
96 Patan

TONK DISTRICT

97 Toda Raisingh
98 Diggi
99 Niwai
100 Dooni
101 Uniyara
102 Aligarh

JAIPUR DISTRICT

103 Chaksu

Page No.75

104 Jamva Ramgarh
105 Bairath
106 Bandi Kui
107 Sikrai
108 Phagi
109 Bassi
110 Lalsot
111 Phulera
112 Naraina
113 Jaipur North
114 Dudu
115 Amarsar
116 Kotputli

SAWAI MADHOPUR DIST RICT

117 Gangapur
118 Khandar
119 Mahwa
120 Malarna
121 Bamanwas
122 Nadoti
123 Toda Bhim
124 Surwal
125 Bonli
126 Sapotra

SIKAR DISTRICT

127 Reengus
128 Sri Madhopur
129 Laxamangarh
130 Fatehpur
131 Danta Ramgarh

JHUNJHUNUN DISTRICT

132 Chirawa

Page No.76

133 Gorir
134 Nawalgarh
135 Udaipur wati

BHARATPUR DISTRICT

136 Nagar
137 Nadbai
138 Bari
139 Kumbher
140 Pahari
141 Ucchain

ALWAR DISTRICT

142 Bansur
143 Laxamangarh
144 Thana gazi
145 Malakhera
146 Ramgarh
147 Govindgarh
148 Khatumbar
149 Mendhad
150 Kishangarhbas
151 Harsoli
152 Kotkasim

AJMER DISTRICT

153 Khnrwa
154 Masuda
155 Jawaja
156 Bhinai
157 Sarwar
158 Bijai nagar
159 Srinagar
160 Arain
161 Roopangarh
162 Sewar

CLASS FIRST VETY. HOSPITALS.

1 Jodhpur
2 Jaipur
3 Bikaner
4 Kotah
5 Udaipur
6 Bharatpur
7 Alwar
8 Sikar
9 Ajmer

CLASS SECOND VETERINARY HOSPITALS

JODHPUR DISTT.

1 Bilara

JALORE DISTT.

2 Jaipur

BARMER DISTT.

3 Barmer

JAISALMER DISTT.

4 Jaisalmer

NAGAUR DISTT.

5 Nagaur
6 Merta city
7 Makarana

PALI DISTT.

8 Pali
9 Bali
10 Sojat

SIROHI DISTT.

11 Sirohi
12 Mount Abu

CHURU DISTT.

13 Churu

14 Ratangarh

GANGANAGAR DISTT.

15 Bhadra

UDAIPUR DISTT

16 Rajsamand

CHITTORGARH DISTT.

17 Chittoregarh

18 Pratapgarh

BANSWARA DISTT.

19 Banswara

DUNGARPUR DISTT.

20 Dungarpur

BHILWARA DISTT.

21 Bhilwara

22 Shahpura

KOTAH DISTT.

23 Baran

JHALAWAR DISTT.

24 Jhalawar

25 Khanpur

BUNDI DISTT.

26 Bundi

27 Nenws

TONK DISTT.

28 Tonk

29 Malpura

JAIPUR DISTT.

30 Daussa

Page No.79

SAWAI MADHOPUR DISTT.

31 Sawai Madhopur

32 Karouli

33 Hindaun

ALWAR DISTT.

34 Rajgarh

35 Tijara

36 Behror

BHARATPUR DISTT.

37 Dholpur

38 Deeg

39 Bayana

SIKAR DISTT.

40 Neemka Thana

JHUNJHUNU DISTT.

41 Jhunjhunu

42 Khetri

AJMER DISTT.

43 Kishangarh

44 Beawar

45 Kekri

46 Pishangan

47 Pushkar

48 Nasirabad

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५४६ का उत्तर देखिये)

नाम नरसरी	सन् १९५६-५७ में पौधों का उत्पादन	सन् १९५७-५८ में पौधों का उत्पादन	सन् ५६-५७ में व्यय रू०	सन् ५७-५८ में व्यय रू०	रिमार्क
१	२	३	४	५	६
जयपुर डिवीजन					
जयपुर ग्रास फार्म	३०२१२	२४५११	२३४३१.८२	१४०००.००	
किशनगढ	३४००	५,०००	२३६६.८५	२८००.००	
सांभर	७२००	६५००	२५१७.१४	२१००.००	
टौंक डिवीजन					
टोंक	७००००	८२०००	४३४०.३७	५८८५.१०	
मालपुरा	१००००	१२०००	१९८८.५६	३०२६.८१	
सरवाड	६००००	१००००	५००.००	२४२५.२०	
कोटा डिवीजन					
जगपुरा	१००००	१५०००	२०५०.८७	१५७८.८७	
श्री पुराब्रागर	,,	१२०००	२०५०. ,,	५३५१.०८	
झालावाड़ डिवीजन					
झालावाड	२३२५३	२३६५९	३९९४.६२	३४६०.१७	
अकलेरा	१५६८३	१०२१६	१७२२.३७	११०२.२१	
भरतपुर डिवीजन					
भरतपुर	११०००	११०००	१०५७७	३५२८.३९	
अलवर	१२०००	१२०००	१७२२	१५०७.४४	
धौलपुर	१२०००	१५०००	६७७१	३१२०.५९	

१	२	३	४	५
सरिस्का	१००००	१००००	६४३०	६६६३.२०
बरौद	,,	८०००	११४२	१८९९.०२
करौली	,,	१५०००	२०२७	३५४९.६१
		बूंदी डिवीजन		
बूंदी	२५०००	२५०००	७२२२	६००५
पाटन	८०००	१५०००	५१६६	३४५७
नैनवा	२००००	१००००	३५७६	४१६६
		बांरा डिविजन		
बांरा	१३०००	,,	४०२५.२२	६५००
छबडा	३२०००	—	३७४७.६५	४०००
शाहबाद	२६०००	—	२६०७.१२	३०००
छीपाबडौद	८५००	—	१९३२.६८	२५००
जलवाडा	११०००	—	१५३९.३१	१५००
किशनगंज	१४०००	—	२१५७.०६	२५००
शेरगढ	६०००	—	४३५.३१	२००
		उदयपुर डिवीजन		
चौगान	५६७७५	४०५६०	९४१८	५०७६
खैरवाडा	१४५९५	२५६००	६६२८	४३२३
काटेडा	७५००	१५०००	५२९१	३६६८
भीम	—	७०००	६२३०	३०२५
सीतामाता	—	७५६२०	१०८०४	१०३२३

१	२	३	४	५
		चित्तौड़गढ़ डिवीजन		
चित्तौडगढ	५१२००	६४०००	६५२४.२५	६५३४.५७
भीलवाडा	५५००	६०००	४४०.१२	८३७.७६
मांडलरोड	—	५६०००	—	५३७५.००
		बांसवाड़ा डिवीजन		
बांसवाडा	७००००	६६०००	१००००	८५००
डूंगरपुर	२५०००	२६०००	४४१७	४०००
सागवाडा	६०००	८०००	३०००	४०००
सीमलवाडा	—	८०००	२५२२	४०००
गढी	२६०००	२८०००	२४१४	४०००
		सिरोही डिवीजन		
सिरोही डिवीजन	५३५००	२४५००	६४१८	५४२४
पालडी	१४८००	११६०००	६०००	३३४३
पिंडवाडा	३३३००	४८७००	८८८८	६४५२
आबूरोड	—	२५०००	१०२१	११५२३
माउन्ट आबू	—	१६३००	५२४५	८१६४
		अजमेर डिवीजन		
पुष्कर	४००००	१५००००	६१६८	६०१३
अजमेर	१००००	१००००	१८६	१३५१
		जोधपुर डिवीजन		
लोक का कुंआ	८०००	६०००	७७३८	६४२६
ग्रासफार्म	५५००	७०००	१०५१७	७६६०

१	२	३	४	५
देसूरी	३२०००	२००००	१२१३८	५२१५
सेवाडी	१५६५०	२६०००	६६४३	२९६१
सैंदडा	१५४००	१४२००	६७९५	३६४७
जालौर	३०००	११६००	३०००	६४७६
बीकानेर	२००००	१३०००	५५३६	५९४०
हनुमानगढ	१३०००	१००५०	७१८७	८२१२

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५५१ का उत्तर देखिये)

नगर विकास मंडल जयपुर के अब तक कौन कौन सदस्य रहे और उनको कितना २ भत्ता दिया गया इसकी सूची।

१. दिसम्बर १६४६ में सर्व प्रथम निम्न सदस्यों को मनोनयन किया गया :

१ मान्यवर मन्त्री महोदय, वाणिज्य व उद्योग विभाग	अध्यक्ष
२ सचिव, वाणिज्य व उद्योग विभाग	सदस्य
३ मुख्य अभियन्ता पथ व निर्माण विभाग	सदस्य
४ अध्यक्ष म्युनिसिपल कौंसिल जयपुर	सदस्य
५ श्री दौलतमल भंडारी वकील जयपुर	सदस्य
६ श्री स्वरूप नारायण पुरोहित जौहरी बाज़ार जयपुर	सदस्य
७ सचिव, नगर विकास मंडल जयपुर श्री कन्हैयालाल शर्मा	सचिव

२. दिनांक ३ मई सन् १६५४ को उक्त गठन में परिवर्तन किया गया तथा निम्न सदस्य बनाये गये।

१ श्री रामकिशोर व्यास	अध्यक्ष
२ श्री हरिश्चन्द्र शास्त्री	सदस्य
३ श्री गुलाबचन्द कासलीवाल	सदस्य
४ अध्यक्ष नगरपालिका जयपुर	सदस्य
५ अधिशासक अभियन्ता जयपुर सिटी	सदस्य
६ सचिव, नगर विकास मण्डल जयपुर	सचिव
७ श्री बी. एन. काक	सदस्य

३. दिनांक १४ दिसम्बर सन् १६५४ का उक्त गठन में पुनः संशोधन किया गया जिसके अनुसार निम्न व्यक्ति अध्यक्ष व सदस्य रहे :

१ श्री गुलाबचन्द कासलीवाल	अध्यक्ष
२ श्री हरिश्चन्द्र शास्त्री	सदस्य श्री शास्त्री ने तारीख १४.३.५७ तक कार्य किया इसके उपरान्त सचिव नगर विकास मण्डल को मंडल का सदस्य बना दिया गया।

३ अध्यक्ष नगर पालिका जयपुर	सदस्य	इस पद पर निम्न व्यक्तियों ने कार्य किया श्री आर. के. चतुर्वेदी ता० १८.१.५५ से ता० २.७.५५ तक श्री एस. एन. मिश्रा ता० ६.७.५५ से ता० ७.७.५६ तक श्याम बिहारीलाल सक्सेना ता० ४.१०.५६ से अब तक।
४. अधिशासक अभियन्ता जयपुर सिटी	सदस्य	श्री डी. एन. गुप्ता ता० १८.१.५५ से २५.६.५५ तक श्री के. एन. भार्गव ता० २.७.५५ से।
५. श्री बी. एन. काक	सदस्य	
६. सचिव, नगर विकास मण्डल जयपुर	सदस्य	श्री परमानन्द शर्मा तारीख १८.१.५५ से २६.५.५६ तक श्री एन. जी. भट्टाचार्य तारीख ३०.५.५६ से १०.६.५६ तक श्री रतन नारायण शिवपुरी ता० १०.६.५६ से ११.४.५७ तक ता० १२.४.५८ से स्थान रिक्त।

तारीख ६.११.५६ से श्री गुलाबचन्द कासलीवाल के स्थान पर श्री के.एन. भार्गव मण्डल के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किये गये। इसी प्रकार श्री हरिश्चन्द्र शास्त्री के निधन के कारण पद रिक्त होने से सचिव नगर विकास मण्डल को अस्थायी रूप से मण्डल का सदस्य एवं सचिव बनाया गया।

राजस्थान सरकार ने मण्डल के सदस्यों के लिये २० रुपया प्रति सदस्य प्रति मीटिंग स्वीकृत किया अब तक सदस्यों ने जो रकम प्राप्त की उसकी सूची इस प्रकार है :

१. श्री गुलाबचन्द कासलीवाल	१७०० रुपया
२. श्री हरिश्चन्द्र शास्त्री	२१२० रुपया
२. श्री आर. के. चतुर्वेदी	२२० रुपया
४. श्री एस. एन. मिश्रा	१०६० रुपया
५. श्री श्याम बिहारीलाल सक्सेना	१३४० रुपया
६. श्री डी. एन. गुप्ता	४० रुपया

७. श्री के. एन. भार्गव	२६४० रुपया
८. श्री वी. एन. काक	२६००रुपया
६. श्री रमेशचन्द्र शर्मा	३३२० रुपया

उपरोक्त सदस्यां में से बहुत से राज्य कर्मचारी हैं। उनके भत्ते में से १।३ भाग आर एस आर की धारा ४७ के तहत राज्य के कोष में जमा करा दिया जाता है।

परिशिष्ट ४

(प्रश्न काल में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

प्रश्न

डकैतियां, जिला टौंक

१४५९ श्री लालूराम, टरवाड़िया (टौंक) : गृह क्यामंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

जिला टौंक में सन् ५१ से आज तक कितनी डकैतियां कहां कहां कितनी धनराशि की हुई ? कितने आदमी मारे गये ? किस किस का कितना कितना नुकसान हुआ ? सरकार ने इनको क्या क्या मुआवज़ा बतौर मदद के दिया ?

(उत्तर अनुपलब्ध)

प्रश्न

जल बोर्ड द्वारा डूंगरपुर ज़िले में जल कष्ट निवारण हेतु दी गई धनराशि

१९६० श्री बालमुकुन्द (डूंगरपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान जल बोर्ड द्वारा डूंगरपुर ज़िले में अब तक कुल कितनी धनराशि पानी पीने के कूप निर्माण हेतु दी गई ?

(ख) अब तक कुल कितने कुए इस विभाग द्वारा पूर्ण रुप से तैयार हो चुके हैं?

उत्तर

(क) १,६५,१९० रुपये। सन् १९५५–५६ व १९५६–५७।

(ख) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

प्रश्न संख्या १६६०

संशोधित एवं अंतिम सूची नेशनल वाटर सप्लाई एण्ड सेनीटेशन स्कीम,
१६५५-१६५६ जिला डूंगरपुर १६५५-५६

गांव का नाम	कार्य विवरण	सरकारी सहायता	जनसहयोग	कुल व्यय
तहसील डूंगरपुर				
१, करावाड़ा	नया कुंआ	१४००)	७००)	२१००)
२. जोथरीनंया	तालाब-नया कुआ	१२००)	६००)	१८००)
३. बोखला	नया कुंआ	१०००)	५००)	१५००)
४. जूड़ा	,,	१०००)	५००)	१५००)
५. देवल	,,	१२००)	६००)	१८००)
६. नरणिया	,,	१०००)	५००)	१५००)
७. घटाऊ	,,	१२००)	६००)	१८००)
८. मसानिया	,,	१२००)	६००)	१८००)
९. आमझरा	,,	१०००)	५००)	१५००)
१०. नवाडेरा गांधी आश्रम,	नया कुंआ	१६००)	८००)	२४००)
११. राजपुर	मरम्मत कुंआ	१०००)	५००)	१५००)
१२, हताई नवाघरा	,,	४००)	२००)	६००)
१३, रामसौर बड़ा	नया कुंआ	४००)	२००)	६००)
१४. निटाऊआपीठ	,,	४००)	२००)	६००)
१५. मोदर	,,	६००)	३००)	९००)
१६. पीथापुर	,,	१००)	५०)	१५०)
१७. मालमाथा	,,	१००)	५०)	१५०)
१८. वसी	मरम्मत कुंआ	५००)	२५०)	७५०)
१९. वेड़सा	नया कुंआ	६००)	३००)	९००)
२०. भाटिया	मरम्मत कुंआ	३००)	१५०)	४५०)
२१. वाकड़ा	,,	५००)	२५०)	७५०)

१	२	३	४	५
२२. झरनी	नया कुंआ	३००)	१५०)	४५०)
२३. रंगपुर	नया कुंआ	५००)	२५०)	७५०)
२४. वेजा	मरम्मत कुआ	३००)	१५०)	४५०)
	योग:	१७,८००)	८,९००)	२६,७००)

तहसील सागवाड़ा

१. खडगदा	नया कुंआ	१०००)	५००)	१५००)
२. चीतरी	,,	१५००)	७५०)	२२५०)
३. भोवरी	मरम्मत कुंआ	१०००)	५००)	१५००)
४. गड़ाबामण	नया कुंआ	१४००)	७००)	२१००)
५. वगौरी	,,	३०००)	१५००)	४५००)
६. चीखली	,,	१०००)	५००)	१५००)
७. गलियाकोट	,,	१३००)	६५०)	१९५०)
८. जसेला	,,	१२००)	६००)	१८००)
९. मिलूड़ा लौहारवाड़ा	,,	२०००)	१०००)	३०००)
१०. सरसाई	,,	१३८०)	६९०)	२०७०)
११. वड़गामा	,,	१०००)	५००)	१५००)
१२. वांदरवेड़	,,	१४००)	७००)	२१००)
१३. भाटोड़ा तम्बोलिया	,,	१०००)	५००)	१५००)
१४. काहिला	कुंआ मरम्मत	३००)	१५०)	४५०)
१५. सामलिया हरिजन-	नया कुंआ	५००)	२५०)	७५०)
१६. सुन्दरपुरा	,,	५००)	२५०)	७५०)
१७. सरोदा हरिजन	,,	१०००)	५००)	१५००)
१८. गामला चारणिया	मरम्मत कुंआ	६००)	३००)	९००)
१९. लैम्बड़िया	नया कुंआ	८००)	४००)	१२००)
२०. डूंगरसारण	,,	३००)	१५०)	४५०)

१	२	३	४	५
२१. नेनसावण	,,	५००)	२५०)	७५०)
२२. सिलोई	,,	४००)	२००)	६००)
२३. सेमलिया घाटा का गांव	,,	३००)	१५०)	४५०)
२४. मुदरा पृथ्वीपुरा	,,	१००)	५०)	१५०)
२५. सजनपुरा	,,	३००)	१५०)	४५०)
२६. बावड़ी हालियागमेती	,,	४८०)	२४०)	७२०)
२७. कटारपाड़ा	,,	३००)	१५०)	४५०)
२८. गढ़ा मेड़तिया	मरम्मत कुंआ	२००)	१००)	३००)
२९. सेलाता	नया कुंआ	७००)	३५०)	१०५०)
३०. खोखरा चाखाड़ा	मरम्मत कुंआ	६००)	३००)	९००)
३१. सागवाड़ा अहारीवाड़ा	नया कुंआ	५०००)	२५००)	७५००)
३२. गामोठवाड़ा	,,	४००)	२००)	६००)
	योग तहसील सागवाड़ा:	३१,४६०)	१५,७३०)	४७,१९०)
तहसील आसपुर				
१. गणेशपुर	नया कुंआ	१०००)	५००)	१५००)
२, पचलासा बड़ा	,,	१०००)	५००)	१५००)
३. पचलासा छोटा	,,	१०००)	५००)	१५००)
४. मोवई	,,	१०००)	५००)	१५००)
५. नवा पादर	,,	१४००)	७५०)	२१००)
६. रामकी	,,	१०००)	५००)	१५००)
७. पुंजपुर आदर्श	,,	१०००)	५००)	१५००)
८. मुंगेड़	,,	१४००)	७००)	२१००)
९, देवला	,,	१४००)	७००)	२१००)
१०. बनकोड़ाहरिजन	,,	५००)	२५०)	७५०)
११. माल हरिजन	,,	४००)	२००)	६००)

१	२	३		४
१२. कतीसौर	,,	३००)	१५०)	४५०)
१२. पुंजपुर हरिजन	,,	३००)	१५०)	४५०)
१४. लिलवासा	मरम्मत कुंआ	३००)	१५०)	४५०)
१५. तालौरा	नया कुंआ	४००)	२००)	६००)
१६. गैपुला	,,	२००)	१००)	३००)
१७. लाकियां	,,	३००)	१५०)	४५०)
१८. कोड़ा लोड़ावल	मरम्मत कुंआ	४००)	२००)	६००)
१९. पिंडावल	नया कुंआ	४४०)	२२०)	६६०)
	योग तहसील आसपुर:	१३,७४०)	६,८७०)	२०,६१०)
	बृहद् योग:	६३,०००)	३१,५००)	९४,५००)

प्रश्न संख्या १५६०

डूंगरपुर जिले की सन् ५५-५६ की संशोधित कूप निर्माण योजना

क्रमांक	ग्राम	कार्य विवरण	स्वीकृत सरकारी सहायता रु०	जन सहयोग रु०	कुल योग रु०
१	गामोउवाडा	नया कुंआ	१४००)	७००)	२१००)
२	नौगामा	मरम्मत तालाब	४५००)	२२५०)	६७५०)
३	गरियता	नया कुंआ	१४००)	७००)	२१००)
४	सुन्दरपुरा सामलिया	,,	१०००)	५००)	१५००)
५	सिलोई	,,	१४००)	७००)	२१००)
६	सेलौता	,,	१०००)	५००)	१५००)
७	सेमलिया घाटा का गांव	,,	१०६७)	५३३॥)	१६००॥)
८	कठार पाडा	,,	१०६७)	५३३॥)	१६००॥)
९	नौकना	पुराना कुंआ	१०००)	५००)	१५००)
१०	मेतों का पारडा	नया कुंआ	११००)	५५०)	१६५०)
११	सज्जनपुरा	,,	१४००)	७००)	२१००)
१२	मुद्रा पृथ्वीपुरा	,,	११६७)	५८३॥)	१७५०॥)
१३	लेम्बडीया	,,	६६७)	३३३॥)	१०००॥)
१४	नेन्सावा	,,	१०००)	५००)	१५००)
१५	डूंगर सारण	,,	५००)	२५०)	७५०)
१६	गडा मेडतिया	पुराना कुआ	१०००)	५००)	१५००)
१७	नन्दोड	नया कुआ	६००)	३००)	९००)
१८	पडवा	,,	६६७)	३३३॥)	१०००॥)
१९	शिशोद निचली	,,	४५०)	२२५)	६७५)
२०	बावडी फला हरिया गमेती	,,	५००)	२५०)	७५०)
२१	शिवराजपुर	मरम्मत कूप	१००)	५०)	१५०)
२२	सामलिया(हरिजन)	नया कुंआ	५००)	२५०)	७५०)
			२३४८५)	११७४२॥)	३५२२७॥)

१	२	३	४	५	६
	तहसील डूंगरपुर				
१	मोदर	कुंआ नया	१०००)	५००)	१५००)
२	पिथापुर	,,	१०००)	५००)	१५००)
३	मालमाथा	,,	१०००)	५००)	१५००)
४	सडली	,,	१०००)	५००)	१५००)
५	सीदड़ी	पुराना कुंआ	६००)	३००)	९००)
६	कलारिया	नया कुंआ	१०००)	५००)	१५००)
७	कोलखंडा	,,	८००)	४००)	१२००)
८	रंगपुर	,,	६००)	३००)	९००)
९	भाटिया	मरम्मत कुंआ	१०००)	५००)	१५००)
१०	डूंका	,,	१०००)	५००)	१५००)
११	वेडसा	नया कुंआ	१०००)	५००)	१५००)
१२	सरथुणा	,,	१०००)	५००)	१५००)
१३	हथाई नवाघरा	मरम्मत कुआ	१२००)	६००)	१८००)
१४	निटाउवा	नया कुंआ	१०००)	५००)	१५००)
१५	सुराता कलां डूंगरा	,,	१०००)	५००)	१५००)
१५	रामसोर गडा	,,	१०००)	५००)	१५००)
१७	झरनी	,,	१०००)	५००)	१५००)
१८	जोगीवाडा	,,	१०००)	५००)	१५००)
		योग	१७२००)	८६००)	२५८००)
	तहसील आसपुर				
१	गडोद	मरम्मत कुंआ	१०००)	५००)	१५००)
२	पिंडयाल	नया कुंआ	१४००)	७००)	२१००)
३	सेवला (नांदली)	,,	७००)	३५०)	१०५०)
४	वनकोडा सार्वजनिक	,,	१४००)	७००)	२१००)

१	२	३	४	५	६
५	बनकोडा (हरिजन)	,,	१०००)	५००)	१५००)
६	पूंजपुर	,,	६००)	३००)	९००)
७	कतिसोर	,,	८००)	४००)	१२००)
८	लिलवासा	मरम्मत कुंआ	६००)	३००)	९००)
९	अन्तिया	,,	४००)	२००)	६००)
१०	गडा हाट किया	नया कुंआ	१०००)	५००)	१५००)
११	माल (हरिजन)	,,	१२००)	६००)	१८००)
१२	लांपिया	,,	८००)	४००)	१२००)
१३	गेपूला	,,	७५०)	३७५)	११२५)
१४	पालथूर बिडाफुला	मरम्मत कुंआ	५००)	२५०)	७५०)
१५	वालोरा	नया कुंआ	१०००)	५००)	१५००)
१६	जसपुर भाटों का	,,	१८००)	९००)	२७००)
१७	मोदपुर	,,	१४००)	७००)	२१००)
१८	भेखरेड	,,	१०००)	५००)	१५००)
१९	खरोडिया	मरम्मत कुंआ	४५०)	२२५)	६७५)
२०	भेमरोडा	,,	५००)	२५०)	७५०)
२१	ओडा लोड़ावल	,,	६५०)	३२५)	८७५)
			१८९५०)	९४७५)	२८४२५)

Page No.95

परिशिष्ट

क्रमांक	तहसील	स्वीकृत धन राशि रु०	जनश्रम रु०	योजना की लागत रु०
१	सागवाडा	२३४८५)	११७४२)	३५२२७)
२	डूंगरपुर	१७२००)	८६००)	२५८००)
३	आसपुर	१८९५०)	९४७५)	२८४२५)
		५९६३५)	२९८१७)	८९४५२)

Page No.96

संशोधित एवं अंतिम सूची नेशनल वाटर सप्लाई एण्ड सेनीटेशन स्कीम, १९५६—१९५७ जिला डूंगरपुर १९५६—५७.

गांव का नाम	कार्य विवरण	सरकारी सहायता	जनसहयोग	कुल व्यय
तहसील डूंगरपुर				
१. पुनाली	नया कुंआ	१०००)	५००)	१५००)
२. नया तालाब	मरम्मत कुंआ	७००)	३५०)	१०५०)
३. आलूड़ा फूटीतलाई-	नया कुंआ	१०००)	५००)	१५००)
४. दामड़ी फलानाल	"	१२००)	६००)	१८००)
	योग :	३९००)	१९५०)	५८५०)
तहसील सागवाड़ा				
१. सामलिया सार्वजनिक-	कुंआ मरम्मत	७००)	३५०)	१०५०)
२. पंचावाल	नया कुंआ	१०००)	५००)	१५००)
३. भीलूड़ा भटवाड़ा	मरम्मत कुंआ	४००)	२००)	६००)
४. जेटाना	नया कुआ	१२००)	६००)	१८००)
५. काली डूंगरी दिवड़ावड़ा-	नाया कुआ	१०००)	५००)	१५००)
५. गरीयता	नया कुआ	८५५)	४२७॥)	१२८२॥)
	योग :	५१५५)	२५७७॥)	७७३२॥)
तहसील आसपुर				
१. सरमारियोंका ओड़ा	नया कुंआ	१०००)	५००)	१५००)
२. मांकड़ी मुंगेड़	नया कुंआ	१२००)	६००)	१८००)
३. वरवासा	नया कुंआ	७००)	३५०)	१०५०)
४. अन्तिया	मरम्मत कुंआ	१००)	५०)	१५०)
५. गलियाना	"	५००)	२५०)	७५०)
	योग :	३५००)	१७५०)	५२५०)
	बृहद् योग :	१२,५५५)	६,२७७॥)	१८,८३२॥)

डिमान्सट्रेटर जूनियर फील्डमैन आदि के वेतन का निर्धारण

१५६१. श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि तारीख १-४-५० से डिमान्स्ट्रेटर, जूनियर फील्डमैन व मुकद्दमों की तनख्वाहों का फिक्सेशन ६०-३-९० । ५-१२० में हो चुका है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त फिक्सेशन राजस्थान राज-पत्र, दिनांक २७-१-५१ में प्रकाशित भी हो चुका है ?

(ग) क्या यह सही है कि फिक्सेशन होने के बावजूद भी अभी तक उन्हें उपरोक्त ग्रेड न देकर ४०) रु० फिक्स्ड पे दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) जी हां, राजस्थान राजपत्र दिनांक १३-१-५१ में प्रकाशित हो चुकी है।

(ग) ६०-३-९०।५-१२० का ग्रेड जो मन्जूर हुआ था वह मैट्रिक पास व एग्रीकल्चर के डिप्लोमा प्राप्त वालों के लिए था। जिनकी योग्यता इससे कम थी उनको ग्रो-मोर-फूड स्कीम के फिल्डमैन अथवा मुकद्दम में रखा जाता था जिसकी ग्रेड ४०) फिक्स्ड थी।

डाकू भंवरसिंह और पुलिस में हुई मुठभेड़

१५६२. श्री मानकचन्द कोठारी (जयाल) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार के पास ऐसा कोई सबल और स्पष्ट प्रमाण है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुख्यात डाकू भंवरसिंह, जैसलमेर, पाकिस्तान सरहद पर पुलिस मुठभेड़ में मारा गया ?

(ख) यदि हां, तो उक्त मुठभेड़ में पुलिस के एवं डाकू दल के कितने व्यक्ति मारे गये ?

(ग) उक्त मुठभेड में कितने डाकुओं को पकड़ा गया ?

उत्तर

(क) जी हां ।

(ख) डकैतों की तरफ से डकैत मारे गये जब कि पुलिस की तरफ से कोई नहीं मरा ।

(ग) मुठभेड़ में जो डकैत थे उनमें से एक को बाद में गिरफ्तार किया गया ।

नगरपालिका, चाकसू

१५६३. **श्री सहदेव** (आमेर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या चाकसू नगरपालिका ने चुनावों के बाद नये टैक्स जनता पर लगाये हैं ?

(२) क्या उपरोक्त टैक्सों की मन्जूरी सरकार से ले ली गई है ?

उत्तर

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

जयपुर–कोटखावदा रूट

१५६४. श्री महादेव प्रसाद बंका (केकड़ी सु०) क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि "ए" क्लास रूट पर एस.टी.ए. की हिदायतों के अनुसार तीन साल पुरानी गाड़ी पक्के रोड पर तथा सात साल पुरानी गाड़ी कच्चे रोड पर चलने की इजाजत है ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि जयपुर-कोटखावदा जो "ए" क्लास रूट है उस पर सन् ५१ मोडल की गाड़ी चलाने की स्वीकृति सन् ५८ में दी है ?

उत्तर

(क) जी हां । यह प्रतिबन्ध नये पर्मिट प्रदान करने के लिए लागू है ।

(ख) सारा मार्ग 'ए' क्लास रूट की परिभाषा में नहीं आता।

(ग) जी हां, रिपेलसमेंट की आज्ञा नहीं दी गई।

पहाड़ी की डिस्पेंसरी, जिला भरतपुर

१५६५ श्री नाथसिंह (कामा): Will the Minister for Medical and Public Health be pleased to State:—

(1) Is it correct that there is no accommodation of indoor patients in the Pahari Dispensary District Bharatpur?

(2) If so, will the Government make provisions and pass orders for the construction of two rooms with four beds for indoor patients there?

(3) Is there no other dispensary for indoors patient in this area within a radius about 15 miles?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) पहाड़ी डिस्पेन्सरी के लिये बैड्स की स्वीकृति नहीं है इसलिये वार्ड बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

(३) पहाड़ी डिस्पेन्सरी से करीब १२ मील की दूरी पर कामां में एक डिस्पेन्सरी है जिसमें ५ रोग शैय्याएं उपलब्ध है।

सिपाहियों की भर्ती

१५६६. श्री महादेवप्रसाद बंका (केकड़ी सु०): क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) प्रान्त के प्रत्येक ज़िले में पिछले ५ साल में कितने कितने सिपाही भर्ती किये गये तथा इनमें हरिजन कितने कितने लिये गये ?

(२) क्या यह सही है कि ज़िलों में सिपाहियों की भर्ती अधिकारियों द्वारा बिना विज्ञापन किये कर ली जाती है ?

उत्तर

(१) कृपया साथ लगा हुआ स्टेटमेंट देखिये।

(२) जी नहीं।

(कृपया सूची आगे के पृष्ठ पर देखिये)

उदयपुर नगर विकास योजना

१५६७. श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) उदयपुर नगर सुधार योजना के अन्तर्गत एक व्यक्ति अपने बंगले के साथ अधिक से अधिक कितनी भूमि पड़त रख सकता है ?

(२) क्या सरकार को विदित है कि उदयपुर नगर के विकास के लिये काश्तकारों की भूमि एक्वायर की जा रही है और दूसरी और कई बंगलों के साथ इतनी अधिक भूमि है कि वे उसमें खेती कराते हैं ?

(३) उदयपुर शहर कोर्पोरेशन की सीमा में कितनी भूमि में खेती की जाती है ?

(४) क्या जिन ज़मीनों में खेती होती है उसका लगान भी लिया जाता है ?

उत्तर

(१) यदि प्लॉटों का क्षेत्रफल १।२ बीघा से कम हैं तो अधिक से अधिक १।३ भूमि पर मकान बना सकते हैं बाकी भूमि पर बाग लगावें या खाली रखें।

(२) जी हां। काश्तकारों और दूसरों की भूमि एक्वायर जनहित कार्य के लिये की जा रही है। जिसका एवजाना दिया जा रहा है। कुछ बंगलेवालों के पास उनके बंगलों के साथ काफी भूमि है।

(३) ३१५६ बीघा में खेती की जाती है।

(४) जी हां। काश्त होने वाली भूमि का लगान वसूल होता है।

प्रश्न संख्या १५६६ के साथ सलग्न सूची

सन १६५३ से १६५७ तक सिपाहियों की भर्ती का विवरण

क्रमांक	नाम जिला	१६५३		१६५४		१६५५		१६५६		१६५७	
		कुल भर्ती	हरिजन संख्या	कुल भर्ती	हरिजन संख्या	कुल भर्ती	हरिजन संख्या	कुल भर्ती	हरिजन संख्या	कुल भर्ती	हरिजन संख्या
१.	अजमेर	१०२	—	४१	—	२६	—	७७	—	७६	—
२.	जयपुर	२६८	१	५०	६	६६	—	१०६	—	१४६	१
३.	अलवर	१०७	७	२४	—	५	—	४७	३	२६	—
४.	भरतपुर	६०	४	३८	—	१४	१	२३	२	५०	३
५.	झुंझुनू	१०६	१	४०	—	२४	—	२६	—	१६	—
६.	सीकर	६७	—	३७	—	८	१	३७	—	१४	—
७.	सवाई माधोपुर	७१	—	३४	—	६	—	२०	—	४८	—
८.	टोंक	१२६	२	७६	—	१५	—	३८	—	२२	—

Page No.102

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
९.	कोटा	३२०	—	११३	—	४	—	१०८	—	१३८	—
१०.	बूंदी	८६	—	१५	—	—	—	१६	—	१४	—
११.	झालावाड़	६६	—	२६	—	६	—	६४	—	५४	—
१२,	जोधपुर	१३०	—	४६	—	८	—	१६४	—	१६७	—
१३.	जालोर	५५	—	२६	—	२	—	६	—	२१	—
१४.	नागोर	७२	—	२३	—	१३	—	४०	—	१७	—
१५.	पाली	१८	४	१३	६	—	—	१६	—	३२	५
१६.	बाड़मेर	५२	१	२	—	३४	—	४४	—	२८	—
१७.	जैसलमेर	६८	२	७	—	१६	—	१६	—	४०	२
१८,	सीरोही	१२	—	२३	—	२	—	२४	—	६२	—
१९.	बीकानेर	२१	—	१५	—	—	—	६	—	१६	—
२०.	गंगानगर	६	—	६	—	१०	—	१६	१	६८	१

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
२१.	चूरू	४४	—	५	—	२	—	९	—	२	—
२२.	उदयपुर	२३०	—	८४	—	३३	—	२०७	३	१८७	१
२३.	भीलवाड़ा	५४	—	३०	—	७	—	५७	३	२६	—
२४.	डूंगरपुर	३४	—	२१	—	१	—	४०	—	२१	—
२५.	बांसवाड़ा	२३	—	१	—	१	—	२८	—	२४	—
२६.	चित्तौड़गढ़	१०६	—	१६	—	२१	—	१०२	—	८१	१
२७.	रेलवे पुलिस	इस वर्ष प्रथक विभाग नहीं था		१२८	—	८	१	२४	—	१४	२
	योग	२३६६	२२	६५५	१२	३३८	३	१४०३	१३	१४५५	१६

कुल योग ६५१७   ६६ या १.०१

पुलिस स्टेशन, झुंझुनू के हैड कान्स्टेबिल लक्ष्मणसिंह के विरुद्ध की गई शिकायतें

१५६८. श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा सु०) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि लक्ष्मणसिंह कॉन्स्टेबिल तैनात थाना झुंझुनू (जिसका अब अजमेर डी.आई.जी. के यहां तबादला हो गया है) ने भंवर वल्द सूरजा मीणा, निवासी खतेपुरा व झाबर वल्द हनुमाना को झुंझुनू में ही गिरफ्तार करके ७२ घन्टे के बाद सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट, झुंझुनू के सामने पेश किया ? जिस पर सब- डिविज़नल मजिस्ट्रेट, झुंझुनू ने पुलिस झुंझुनू से सफाई मांगी कि उक्त अभियुक्तों को २४ घन्टे से ज्यादा क्यों रखा गया ?

(२) क्या पुलिस झुंझुनू ने अभी तक इस बारे में सफाई पेश नहीं की ?

(३) क्या यह सच है कि उक्त घटना की शिकायतें इन्सपेक्टर जनरल पुलिस के रूबरू की गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(४) क्या यह सच है कि उक्त घटना के बाद उक्त पुलिस अधिकारी को थानेदार का प्रमोशन दिया गया है ?

(५) क्या यह सच है कि उक्त पुलिस अधिकारी एक कतल के मुकद्दमे में अपने ही काका को मारने के अपराध में मुलज़िम रह चुका है ?

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) कोतवाल सीकर के सब-इन्सपेक्टर ने ता० २५-७-५७ को अपना एक्सप्लेनेशन सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट झुंझुनू को दे दिया था।

(ग) जी हां। आई.जी.पी.की. आज्ञा से डी. आई. जी. अजमेर रेन्ज लक्ष्मणसिंह के खिलाफ डिपार्टमेंटल इनक्वारी करने का हुक्म दिया।

(घ) लक्ष्मणसिंह की दो डाकुओं को मारने के कारण पदोन्नति की गई थी।

(च) जी हां किन्तु सैशन्स कोर्ट द्वारा बरी किया गया था।

ज़िला बोर्ड, गंगानगर

१५६६. श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि ज़िला बोर्ड गंगानगर के कोआपटेड मेम्बर्स के नाम राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद भी रोक दिये गये और अब तक फैसला नहीं हुआ ?

(ख) ज़िला बोर्ड गंगानगर के कोआपटेड मेम्बर्स का नाम कितनी तारीख को रोका गया और अब कब तक फैसला किया जावेगा ?

उत्तर

(क) जी हां। लेकिन फैसला हो चुका है।

(ख) तारीख ५–७–५७ को। इस विषय पर निर्णय हो चुका है।

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक बुधवार, २३ अप्रेल, १९५८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
८२७३	२	सांसं ४	सांय ४
८२७४	अन्तिम से ६	सुकदमात	मुकदमात
८२८४	,, ,, ७	Thete	There
८३१२	शीर्ष	८२१२	८३१२
८३१३	११	thim	him
८३१८	१३	टेम्प्रेरेरी	टेम्प्रेरी
८३१९	३	witn	with
८३१९	अन्तिम से ६	yumours	rumours
८३१९	अन्तिम	But tbe	but the
८३२७	प्रथम	(श्री हरिशंकर सिन्द्धान्त शास्त्री)	(श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री)
८३३०	५	कार्रपेंटिंग	कार्पेंटिंग
८३४३	अन्तिम	Contractions	Contradictions
८३५०	२०	अभाव ग्रष्त	अभाव ग्रस्त
८३६२	१९	इत्तल्ला	इत्तला
८३६४	अन्तिम से ६	wil	will
८३७४	अन्तिमसे १५	cemmencemeul	commencement
८३७९	१७	Lelling Perrod	telling period
८३८९	अन्तिम से ८	th.	the
८४२३	७	सीमलवाडा	सीमलवाड़ी
८४२५	६	कौंसिल	कौंसिल

१	२	३	४
८४२८	४	ढकेतियां	डकैतियां
८४३६	१०	टैवसों	टैक्सों
८४४२	८	टौंक	टौंक
८४४५	१६	कुतल	क़त्ल